खण्ड-277, अंक-9
शुक्रवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1891
(1 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०।। बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४१०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रतापसिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह , श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री

केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री

नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा,श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह,श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराजसिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरमसिंह, श्री
महातम, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफ़ा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री

रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार ,श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई , श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफ़ी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप , श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री

विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ़ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाब)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हर नरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त का डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देहरादून से बालक अनिलकुमार का अपहरण

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि देहरादून के एक बालक अनिल कुमार पुत्र श्री ए० सी० शर्मा, ९२, खुड़बुड़ा, देहरादून को दिनांक २३ अप्रैल, १९६८ से पी. सी क द्वारा उठा लिये जाने के बाद तथा बालक के हाथ दो पत्रों एक मेरठ से तथा दूसरा अम्बाला से उसके पिता को प्राप्त हो जाने के बाद तथा उन पत्रों में बच्चे द्वारा अपनी कैद के स्थान की सूचना स्पष्ट संकेत दिये जाने पर भी तथा उन पत्रों को पुलिस विभाग को दिखाने के बाद लगभग सवा वर्ष से बालक के पिता द्वारा लगातार पत्र-व्यवहार पर सरकार ने उस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

देहरादून के बालक अनिल कुमार के दिनांक २३-४-६८ से खो जाने की रिपोर्ट उनके पिता श्री ए० सी० शर्मा द्वारा दिनांक ३०-४-६८ को थाना कोतवाली देहरादून पर दर्ज कराई गई। बालक को खोजने के लिये पहले जिला पुलिस द्वारा प्रयत्न होते रहे परन्तु जब कोई सफलता प्राप्त नहीं हुयी तो बालक को खोजने का काम सी० आई० डी० को सौपा गया। अभी तक उस बालक का कोई पता नहीं चल सका है। अनिल कुमार द्वारा लिखे गये जो दो पत्र श्री ए० सी० शर्मा को प्राप्त हुए, उन पत्रों में बालक द्वारा अपने कैद के स्थान की सूचना नहीं दी गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो पत्र उस बच्चे ने अपने पिता को भेजे हैं, उनके अन्दर कोई स्थान बताया था या नहीं कि मैं इस स्थान पर रखा गया हूं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इन पत्रों में स्थान नहीं बताया गया है। उस बच्चे ने जो दो पत्र लिखे, उनको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। एक पत्र २७ अप्रैल, १९६८ का है उसमें लिखा है "बाबू जी मैं ठीक हूं। अगर आपने पांच हजार रुपये ना भिजवाये तो मुझे मार डालेंगे। पैसे भिजवाने का पता सूरजकुंड समसान गेट के पास एक सरदार नीली पगड़ी सफेद कमीज काली पैंट वाला मिलेगा। भेजने का टाइम शाम के ७ बजे। यह अनिल कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है"। दूसरा पत्र ३०-४-६८ का है जिसमें लिखा है "बाबू जी मैं ठीक तरह से हूं यहां पर खूब खेल खेलने को है। इनके यहां कार है। बहुत बड़ा बंगला है। हम सूरज कुंड मेरठ इसलिये नहीं मिले क्योंकि हमारे घर वे पुलिस के दरोगा हैं। मैं एक दिन जरूर आऊंगा, बड़ा होकर। मेरे ऊपर बड़ा पहरा रहता है।" यह भी पत्र अनिल कुमार द्वारा हस्ताक्षरित है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने पहले पत्र में सूरजकुंड, मेरठ का हवाला दिया और दूसरे में अम्बाला का हवाला दिया। इन दोनों स्थानों पर क्या सी० आई० डी० द्वारा सर्च करायी गयी और वह वहां पर है या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसके लिये सी० आई० डी० को तो अभी हाल में ही दिया गया है। पहले इसके लिये एक सब-इंस्पक्टर और दो कांस्टेबुल नियुक्त किये गये थे। वे मेरठ भी गये और वहां पर एक दो बैड कैरेक्टर्स जो हैं, उनसे जेल में और बाहर भी इन्क्वायरी की।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैसा लेने के मुकर्रर स्थान पर क्या उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गयी ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जब ये पत्र बच्चे के पिता को मिले तो डर की वजह से उसके पिता ने पुलिस को सूचना न दी कि कहीं बच्चे की हत्या न हो जाय। तो उन्होंने जाकर पैसा देने का प्रयास किया लेकिन वहां पर कोई नहीं था।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लड़के के पिता ने अपने पत्र २७-६-६९ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसका शक श्री मंगत सिंह त्यागी और श्री जयपाल सिंह कांस्टेबिलों पर है। ये दोनों अब भी उसके घर के पास पुलिस चौकी में तैनात हैं। इनमें से एक सजायाफ्ता है, डिसमिस्ड है और उसको दुबारा सर्विस में रखा गया है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

वह पत्र इस पत्रावली में नहीं आया। माननीय सदस्य जब इसकी सूचना दे रहे हैं तो उसके बारे में पूछताछ की जायगी और उस पत्र पर अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

जब अम्बाले का जिक्र इस में आया है तो क्या राज्य सरकार सी० बी० आई० से भी इस कांड की जांच कराने में सहायता लेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अगर आवश्यक समझा गया तो सी० बी० आई० से भी सहायता लेने के लिये बातचीत की जायगी।

विद्युत परिषद् के चेयरमैन पद पर इंजीनियर न नियुक्त करना

**२---श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् के चेयरमैन अब इंजीनियर न हो कर एक आई० ए० एस० अफिसर को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

जी हां। राज्य विद्युत् परिषद् के चेयरमैन के लिये इंजीनियरिंग का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं है जितना कि उसके लिये एक अच्छा प्रशासक होना जरूरी है। यह परिषद् एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका प्रशासन पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और जिसके सुचारु रूप से संचालन पर प्रदेश की प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है। इसको उचित प्रशासकीय नेतृत्व देने का काम अच्छा इंजीनियर भी कर सकता है और अच्छा प्रशासक भी कर सकता है। इस समय यह आवश्यक समझा गया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को इसके लिये चुना जाय जो कुछ समय परिषद् में रह कर उसके बढ़ते हुये कार्य को सुचारु रूप दे सके। उपलब्ध लोगों में जो सब से अच्छे व्यक्ति मौजूद थे उन्हीं का चयन किया गया।

इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि विद्युत् परिषद् में उचित तकनीकी सलाह देने के लिये ऐक्ट में यह प्राविधान है कि परिषद् का एक मेम्बर बिजली का इंजीनियर होना चाहिये और इस समय इस प्रकार का एक वरिष्ठ इंजीनियर मेम्बर है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वर्तमान चेयरमैन, विद्युत् परिषद् से पूर्व श्री लक्ष्मण देव और श्री जैन इंजीनियर थे और वे इस परिषद् के चेयरमैन रहे और उनका कार्य प्रशासकीय रूप से भी सफल रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ये दोनों ही चेयरमैन थे और उन्होंने अच्छा काम किया ।

श्री शिवराज सिंह—

माननीय मंत्री ने अपने प्रश्नोत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि इस परिषद् को बहुत अच्छा प्रशासकीय नेतृत्व देने का काम एक इंजीनियर भी कर सकता है और पिछले दो इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया तो फिर कौन-सा कारण था जिस से उन्होंने एक नया एक्सपेरीमेंट इस तरह का किया कि एक टेक्निकल हेड के बजाय एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी को हेड बनाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह कोई नियम नहीं है ऐक्ट में कि इंजीनियर ही इसका चेयरमैन बनाया जाय और यह नया एक्सपेरिमेंट भी नहीं है । जैसे दो इंजीनियर इसके चेयरमैन हुये हैं वैसे ही प्रशासकीय सर्विस के तीन चेयरमैन इसके रह चुके हैं । इस समय यह मुनासिब समझा गया कि इनको चेयरमैन बनाया जाय ।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

जब नियम नहीं है और कार्य सुचारु रूप से चल रहा था तो फिर परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रशासन के सामने कुछ समस्यायें थीं जिनके समाधान के लिये यह समझा गया कि इनको हम चेयरमैन बनायें । दूसरे इस समय हमारे पास कोई वरिष्ठ इंजीनियर भी नहीं था जिसको हम वहां रखते । यह जरूरी भी नहीं है कि इंजीनियर ही रखा जाय । पहले इंजीनियर रह चुके हैं । इसके पहले इंजीनियर नहीं भी थे । आगे आवश्यकता पड़ेगी और योग्य इंजीनियर मिल गया तो इंजीनियर हो भी सकता है ।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार की नोटिस में यह है कि इंजीनियर साहबान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स हैं दिन प्रति दिन टैक्निकल बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है जिस से असुविधा होती है और काम में प्रगति नहीं हो पाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात सही नहीं है क्योंकि बोर्ड में मेम्बर इंजीनियर होते हैं बाकायदा और एक और वरिष्ठ इंजीनियर इस समय मेम्बर इंजीनियर हैं जो सरकार से वेतन भी पाते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसा देखने में आया है कि जिन टैक्निकल डिपार्टमेंट्स के हेड्स आई० ए० एस० आई०सी० एस० हैं वहां आपस में बड़ा मतभेद है । तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति पर विचार करने जा रही है कि जो टैक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स टैक्निकल आदमी ही रखे जायं ताकि आपस में वैमनस्य न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कुछ लोगों का ऐसा मत है परन्तु यह प्रश्न अभी विवादास्पद है और विचारणीय है ।

वाराणसी जिले में शिरसी हत्याकान्ड के अभियुक्त की गिरफ्तारी

**३---श्री राज बिहारी सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विकास खंड नियमताबाद, वाराणसी के प्रमुख के घर सिरोसी हत्याकाण्ड के अभियुक्त शरण लिये थे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही है कि शिरसी हत्या कांड का एक अभियुक्त विकास खंड, नियमताबाद, वाराणसी के प्रमुख के घर छिपा हुआ मिला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया ।

**४---श्री राजबिहारी सिंह---

क्या यह भी सही है कि पुलिस ने जब प्रमुख के घर पर उन अभियुक्तों को पकड़ने के लिये अर्द्ध रात्रि में छापा मारा था तो ब्लाक प्रमुख ने अभियुक्तों के बचाने के प्रयास में पिस्तौल निकाल कर प्रतिरोध किया था जिसके फलस्वरूप पुलिस को अतिरिक्त पी० ए० सी० मंगानी पड़ी ? अगर हां, तो उस प्रमुख के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही नहीं है कि ब्लाक प्रमुख ने अभियुक्त को बचाने के प्रयास में पिस्तौल निकाल कर प्रतिरोध किया जिसके फलस्वरूप पुलिस को अतिरिक्त पी० ए० सी० मंगानी पड़ी। पुलिस की कार्यवाही पर ब्लाक प्रमुख नें अप्रसन्नता अवश्य प्रकट की। प्रमुख के पिस्तौल के लाइसेन्स के निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री उमाशंकर---

क्या यह ब्लाक प्रमुख किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध रखते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जो आफिशल रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि ब्लाक प्रमुख बी० के० डी० के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं और प्रभावशाली हैं।

श्री उमाशंकर---

क्या यह सही है कि जब हत्याकांड का अभियुक्त ब्लाक प्रमुख के घर पकड़ा गया तो प्रमुख और उनके भाई, दोनों शराब पिये हुये बेहोशी की हालत में थे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, आप बैठ गये इसलिये मैं व्यवस्था की बात कह रहा था हमारे सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मंत्री जो जो उत्तर देते हैं उनमें इतनी गलत बात रहती है कि जो उनके मन में आता है उसको बतला देते हैं वरना छिपा लेते हैं। इसके लिये आप निर्देश दें कि मंत्री लोग सही उत्तर दिया करें।

श्री अध्यक्ष---

हमारा निर्देश है कि जो सूचना हो वह पूरी देनी चाहिये। इसमें कोई बात छिपानी नहीं चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न पूछा गया था कि दो पार्टियों का संबंध है। एक तो मारी गई और दूसरी का चालान हुआ। किस पार्टी से उसका सम्बन्ध था इसको मंत्री जी ने कल बताने से इन्कार किया था।

श्री उमाशंकर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बनारस जिले की शिरसी हत्याकांड के अभियुक्त ब्लाक प्रमुख के यहां शरण लेते हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री धर्मसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने उत्तर में कहा है कि ब्लाक प्रमुख भारतीय क्रान्ति दल के थे तो यह सूचना उनको कहां से प्राप्त हुई और किस आधार पर वे कहते हैं कि वह बी० के० डी० के थे?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन् जब प्रश्न आता है तो उसकी जांच जिला अधिकारियों से कराई जाती है और थानेदार और एस० पी० के माध्यम से रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा है कि वह भारतीय क्रान्ति दल के हैं और प्रमुख व्यक्ति हैं।

श्री धर्मसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस की रिपोर्ट आई है वह क्या है?

श्री कृष्णानन्द राय--

मैंने निवेदन किया कि जब इसकी छानबीन की गई तो जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि रिपोर्ट पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, वह रिपोर्ट इस फाइल में नहीं है (शेम शेम की आवाजें)।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, कल रिपोर्ट होते हुये भी उन्होंने नहीं बताई। आज बगैर रिपोर्ट के होते हुये भी गलत बयान किया है.....

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यह रिपोर्ट आयी है और जब हम लोग मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि रिपोर्ट फाइल में नहीं है। यह सदन के सामने झूठ बयानी है। यह सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष--

(श्री कृष्णानन्द राय से) बात यह है कि आपने अभी कहा कि रिपोर्ट के आधार पर है। अगर यहां आपके पास वह नहीं है तो दफ्तर से मंगाइय।

श्री कृष्णानन्द राय---

पत्रावली में जो है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। आप मांगिए तो आपके सामने रख दूंगा। मुख्य प्रश्न के उत्तर के साथ अनुपूरक प्रश्नों के लिए थोड़े से जो हम लोगों को फैक्ट्स दिये जाते हैं, जो फैक्टस आये हैं.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जो उन्होंने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट है वह पढ़ दें इसके अलावा हम और कुछ सुनना नहीं चाहते।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

आपने आदेश दिया है कि जिला अधिकारियों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको पढ़ें। पत्रावली सुनाने के लिए कहां कह रहे हैं?

श्री कृष्णानन्द राय---

हम तो पढ़ रहे हैं आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जब हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो यह हमारे इंटरेस्ट के लिए है, हम कह रहे हैं कि जिला अधिकारी या पुलिस कप्तान की रिपोर्ट हो तो पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष---

यह मेरा काम है। मैं पहले सुन तो लूं। मैं सुन लेता हूं तब निर्णय देता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय---

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी ने ३० जुलाई, १९६९ को जो सूचनाएं भेजी हैं उसमें यह दिया हुआ है---"जैसा प्रश्न १ में संकेत किया गया है इतना सत्य है कि पुलिस ने १० बजे रात को अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए धावा किया और उनकी बैठक के दालान से दीना अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पहले प्रमुख ने प्रतिष्ठा का प्रश्न उठा कर कुछ वादविवाद किया। यह सही नहीं है कि उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया और गिरफ्तारी में बाधा पहुंचायी। जहां तक पी० ए० सी० को मंगाने का प्रश्न है, रात्रि का समय था। अभियुक्तों की संख्या अधिक थी। ब्लाक प्रमुख भारतीय क्रान्ति दल के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं और प्रभावशाली हैं। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटित होने से बचाने के लिए सतर्कता बरती गयी। पी० ए० सी० के साहूपुरी से थाने पर पहुंचने से पहले ही पुलिस दल दीना को गिरफ्तार करके वापस थाने जा चुका था।" इस पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के दस्तखत हैं, ३०-७-६९ को।

तारांकित प्रश्न

शिक्षा संस्थाओं में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की वेतन वढ़ोत्तरी

*१---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन-मान व भत्ता की दरों में बढ़ोत्तरी के बारे में अलग-अलग पिछली दफा कब निर्णय लिया गया था?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)---

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (लिपिक वर्ग) के वेतनमान १९४७ में निर्धारित किये गये तब से इन वेतनमानों का पुनरीक्षण नहीं किया गया। निम्नवर्गीय कर्मचारियों के लिये कोई वेतनमान् निर्धारित नहीं है।

समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता गत बार १९६२ में पुनरीक्षित किया गया था, और १९६५ में इनकी तदर्थ वृद्धि दी गई थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि सन् १९४७ में जब कि वेतन निर्धारित किया गया था और इस वक्त के सूचकांक में कुछ अन्तर हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो कितना?

श्री रामजीलाल सहायक---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अभी हाल ही में जो घोषणा सरकार द्वारा लिपिकों के लिए १० रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये ६ रुपये के वृद्धि की घोषणा की गई थी उसको क्या कर्मचारियों ने अमान्य कर दिया है?

श्री रामजीलाल सहायक---

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ४७ में वेतन-क्रम में सुधार हुआ था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले ७-८ सालो में ५ बार शिक्षकों के वेतन-क्रम में सुधार हुआ है, तो जो गैर-शिक्षक कर्मचारी हैं उनके साथ सरकार इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं कर रही है?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह तो आर्थिक बात है, जिनको देना था उनको दिया गया, लेकिन उनका नहीं आ सका।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या शिक्षा मंत्री जी को पता है कि सन् ६२ के मुकाबले आज चीजों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। क्या उसके तदनुरूप उनका वेतन भत्ता भी आप बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, यह विचाराधीन है।

श्री दीप नारायणमणि (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा परिषद् ने यह मांग की थी कि अध्यापको के साथ चतुर्थ श्रेणी व लिपिक कर्मचारियों के वेतन मान का भी निश्चय सरकार को करना चाहिये और पूर्व शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि यह किया जाएगा?

श्री रामजीलाल सहायक---

मैंने अभी निवेदन किया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर निश्चय लिया जाने वाला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

पिछले २२ सालों में जब शिक्षकों का वेतनमान पांच, सात बार बढ़ाया जा चुका है और उसके लिये अर्थ व्यवस्था हो चुकी है तब किन कारणों से लो-पेड कर्मचारियों के वेतनमानों और महंगाई भत्ते में उसी प्रकार से बढ़ोत्तरी नहीं की गई जिस प्रकार से शिक्षकों क वेतनमानों में और महंगाई में की गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह तो संशोधन की बात है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

वह बात तो शिक्षकों के लिये भी उतनी ही थी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

उनकी मांग उस वक्त नहीं थी।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)---

क्या जो शिक्षकों के वेतनमानों में और महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है वह लगातार सब को मिल रही है ? अगर नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं है। लेकिन जहां से भी शिकायत आती है उनका प्रबन्ध करते हैं जो विभाग कर सकता है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

गैर-शिक्षकों का जो वेतन मान सन् १९४७ में तय हुआ था और अब तक पुनरीक्षित नहीं हुआ है तो सरकार उसे कब पुनरीक्षित करने जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निश्चय लिये जाने की बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

निम्न वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में सरकार कब से विचार कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या संविद के शासन काल में मान्यवर राम प्रकाश जी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने चतुर्थ श्रेणी और तीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये फैसला किया था और वह अप्रैल, १९६८ से लागू किया जाने वाला था ?

श्री रामजीलाल सहायक---

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

विभिन्न कर्मचारियों को जिनका कि प्रश्न में जिक्र है उनको अलग-अलग क्या-क्या वेतन तथा भत्ता मिला कर कितना प्रति मास मिल रहा है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

गडास तथा रसूलाबाद विकास क्षेत्र में हरिजनों को पेय जल कष्ट

*२---श्री सूरजलाल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को पता है कि जनपद गोंडा में विकास क्षेत्र गडास बुजुर्ग के अन्तर्गत रसूलाबाद ग्राम में हरिजनों के पानी पीने के लिये कोई कूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में कूप निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)---

यह बात शासन के जानकारी में नहीं थी किन्तु जांच कराने पर हाल ही में ज्ञात हुई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही यथासंभव शीघ्र की जायगी।

*३---श्री सूरजलाल (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को पता है कि जनपद गोंडा में उतरौला विकास क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिलरिया तथा महुआ इब्राहीम में हरिजनों की बस्ती में उनके पानी पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों हरिजनों के पानी पीने के लिये उचित व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर---

ग्राम बिलरिया की स्थिति वही है जो प्रश्न २ में ग्राम रसूलाबाद के बारे में बताई गई है। ग्राम महुआ इब्राहीम में एक कुएं की व्यवस्था की जा रही है।

हरिजन कल्याण परिषद् की बैठकें

*४---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बतायेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से अब तक प्रदेश स्तर पर गठित हरिजन कल्याण परिषद् की बैठकें हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विद्यावती राठौर---

जी नहीं। २० नवम्बर, १९६७ की राजाज्ञा द्वारा पुनर्गठित उत्तर प्रदेश, हरिजन कल्याण परिषद् में बहुत से सदस्य ऐसे थे जो मंत्रिमंडल तथा विधान सभा के सदस्य थे। विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप इनकी सदस्यता परिषद् से स्वतः समाप्त हो गई। यह परिकल्पित था कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् आम चुनाव शीघ्र हो जायेंगे और तदुपरान्त नये मंत्रिमंडल के बनने पर प्रश्नगत परिषद् का पुनर्गठन हो जायगा। अतः राष्ट्रपति शासन की अवधि में उक्त परिषद् की बैठक नहीं बुलाई जा सकी। इसी बीच राज्यपाल महोदय ने हरिजन सहायक विभाग के कार्य-कलापों से जनता के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करने के लिये विधान परिषद् के सदस्यों की एक समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति का गठन कर दिया था। जिसकी उक्त अवधि में दो बैठकें भी हुई थीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगी कि राष्ट्रपति शासन में, जब कि यह समिति एम० एल० सी० के द्वारा गठित की गई तो इस समिति ने हरिजनों को कितना अनुदान दिया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर---

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस काल में जो यह नई समिति गठित की गई उस काल में इस समिति ने कोई काम किया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसकी भी कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस विभाग के बारे में कोई सूचना है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

पूरी बात आपको बतला दी गई कि तब गवर्नर शासन था और उसमें यह काम किया गया।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बस्ती)—

क्या मंत्रीजी जी बतायेंगी कि इस समिति के सदस्य कौन-कौन थे और यह कब गठित की गई।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

इसमें सदस्य थे :—श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री सूरत नारायण मणि त्रिपाठी, श्री हुकुमसिंह विसेन, श्री एल० एन० सरीन, श्री गुरु नारायण, श्री परमानन्द सिन्हा, श्री हरिशंकर प्रसाद, श्री पुरुषोत्तम दास, श्री रामशंकर मिश्र, श्री कैलाश प्रकाश, श्री शाकिर अली सिद्दीकी, श्री हृदय नारायण सिंह, श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री ब्रह्म स्वरूप भटनागर। ये सब एम० एल० सी० थे। विधान सभा उस समय भंग हो गई थी तो विधान परिषद् के लोगों को ही इसमें रखा गया था। लोक सभा के भी लोग थे। इन सब लोगों को इसमें रखा गया।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या इसको आप अब पुनः गठित करने जा रही हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी हां, बहुत जल्द।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की २, ३ मीटिंगों में हरिजनों के लिये कौन-सा हित का काम किया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जो गवर्नर शासन में बनी थी वह ४ जुलाई, १९६८ को बनी थी। उसकी दो बैठक हुईं जिनकी कार्यवाही हमारे पास नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हरिजन कल्याण के लिये जो समिति बनाई गई, क्या सदन यह जान सकता है कि इसमें कोई हरिजन सदस्य भी थे ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

उस समय कौंसिल में और पार्लियामेंट में जो सदस्य थे उनकी एक सलाहकार समिति बना ली गयी जो विविध विषयों में सलाह दिया करते थे और क्या प्रोग्रेस हुई वह सलाह उन्होंने गवर्नमेंट को दी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

व्यवस्था का प्रश्न है, सदन का समय खराब हो रहा है। निश्चित उत्तर दिया जाना चाहिए। आपने समाज कल्याण मंत्री को पुकारा, उद्योग मंत्री स्वयं खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष—

यह जरूर होना चाहिए कि उनका जो सवाल है उसका जवाब दीजिये, किस्सा मत बताइये।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

कोई हरिजन है या नहीं, यह इस लिस्ट से पता नहीं चलता, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूं कि कोई हरिजन है या नहीं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस समिति का पुनर्गठन निकट भविष्य में करने जा रहे हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

बहुत जल्दी जैसा कि मने कहा, हम पुनर्गठन करना चाहते ह। जिले जिले से सूचना मंगा रही हूं, जब नाम आयेंगे तो उसके बाद हो जायगा।

एक सदस्य—

जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बन पाता तो उद्योग मंत्री उत्तर दे देते हैं, तो क्या सब विभागों का उत्तरदायित्व उन्हीं के पास है ?

एक सदस्य—

क्या सरकार उस कमेटी में आगे हरिजनों को, हरिजनों के हित के लिए रखेगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

पहले भी रखा है, आगे भी रखेगी।

*५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पुनरावृति के कारण निरस्त किया गया।]

शामली लार्ज साइज सोसाइटी का निलम्बन

*६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शामली लार्ज साइज सोसाइटी (मुजफ्फर-नगर) का संचालक मंडल पिछले तीन वर्षों से क्यों निलम्बित है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

नए सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत चुनाव होने वाले हैं, उसी समय यहां भी चुनाव होगा और नया बोर्ड आ जाएगा।

*७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस समिति को प्रशासक के अधिकार में और कब तक रखने की योजना है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

गम्भीर अनियमितताएं तथा अवैधानिक कार्य करने के कारण ही समिति का संचालक मंडल १७-१०-१९६६ से निलम्बित है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी में है कि संबंधित सोसाइटी के संचालक मंडल का निर्वाचन ३ जून, १९६६ को निर्विरोध हुआ था और उस बोर्ड ने सर्वसमिति से ३० प्रतिनिधि चुनकर जिला सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा के लिए भेजे थे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं, चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ था, कुछ लोगों को एतराज था और जो पहले प्रधान रहे वह कार्यवाही रजिस्टर ले गये और उसको दिया नहीं आज तक।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने यह सवाल किया था कि क्या यह बात मंत्री जी की जानकारी में है कि संबंधित सोसाइटी के संचालक मंडल का निर्विरोध सर्वसमिति से चुनाव ३ जून, १९६६ को हुआ था और उस बोर्ड ने सर्वसम्मति से ३० प्रतिनिधि बैंक की वार्षिक साधारण सभा के लिए जो २९ जून को होने वाली थी चुनकर भेजे थे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त संचालक मंडल के विरुद्ध २२ जून को आर्बिट्रेशन किया गया था, २९ जून को बैंक वार्षिक मीटिंग होने वाली थी, उसके प्रतिनिधि उसमें भाग लेने वाले थे, किन्तु उनको २९ जून में ही रोक दिया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जो संचालक म"डल बना था वह सर्वसम्मत नहीं बना था, उनमें झगड़ा था, इसलिए उनकी मीटिंग होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नियमों के अनुसार, जो उनके पहले के नियम थे, एक वर्ष के अन्दर ही निलम्बित बोर्ड का चुनाव हो जाना चाहिए था, तो किन कारणों से अब तक, ३ वर्ष तक चुनाव नहीं कराया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उसके निलम्बन के बाद नया ऐक्ट बना है और नए नियम आदि बने हैं, अब उनके अनुसार चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, बोर्ड का निलम्बन १७ अक्तूबर, १९६६ को हुआ, और नए रूल्स १ जनवरी, १९६९ में लागू हुए, नया ऐक्ट २६ जनवरी, १९६८ में लागू हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि पुराने नियमों के अनुसार जब कि एक वर्ष के अन्दर चुनाव होना चाहिये था, वह क्यों नहीं हुआ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह नया कानून २६ जनवरी, १९६८ को लागू हुआ, उसके बाद नए नियम आदि बने। अब चुनाव होने जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी की वह कौन सी जानकारी थी जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि सोसाइटी बकायादार थी, और अगर थी तो कितनी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

३० जून, १९६६ को जब कि सोसाइटी निलम्बित हुई थी, ३,४८,३७८ रु० बकाया थे। उसमें एरियर था पुराने बकाया का १,६२,६२७ रु०। और अब तक १,७०,०२७ रु० एडमिनिस्ट्रेटर ने वसूल किये।

(अगला प्रश्न पुकारने पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न जो था उसका उत्तर नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष—

आप उनके कमरे में जाकर मालूम कर लें ।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर

*८—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में कितने कोआपरेटिव सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनको इसी जिले में काम करते हुए १ मई, १९६९ को ५ वर्ष से अधिक का समय हो गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

बदायूं जनपद में ऐसे २८ कोआपरेटिव सुपरवाइजर ह ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर को तब्दीली कितने वर्षों में होनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

इसका कोई सवाल नहीं उठता । सुपरवाइजर्स, बैंक, कोआपरेटिव यूनियन और कोआपरेटिव फेडरेशन में होते हैं । वे जो तय करते हैं उसके अनुसार उनके ट्रांसफर्स हुआ करते हैं । उन्होंने ६ साल का नियम बनाया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

मैं जानना चाहता हूं कि स्थानान्तरण कोआपरेटिव यूनियन के द्वारा होते हैं । क्या सरकार अपनी तरफ से, इस बात को देखते हुए कि सहकारी समितियों में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह नियम बनाएगी कि उनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में ५ वर्ष में हो जाया करे ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सुपरवाइजर्स सरकारी नहीं होते । वह तो यूनियन या कोआपरेटिव फेडरेशन के होते हैं । वह जो नियम बनाते हैं, उसी हिसाब से ट्रांसफर हुआ करते हैं । सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार ने ३ साल तय किया है । यही चीज हमने उन लोगों को भी लिख दी है । माननीय सदस्य तो ५ साल की कहते हैं, हमने उनको तीन साल के बारे में लिखा है । लेकिन होगा उनके तय करने के अनुसार ही ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार कोआपरेटिव फेडरेशन और कोआपरेटिव यूनियन को यह निर्देश करने की कृपा करेगी कि वे सुपरवाइजर्स का स्थानान्तरण ज्यादा से ज्यादा ५ साल में कर दिया करें ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि आर्डर वे नहीं दे सकते ।

शिक्षा संस्थाओं में डिमान्सट्रेटर्स का वेतन

*६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा विभाग की राजाज्ञा सं० क–१७८२/पन्द्रह–३०४६–१६६८, दिनांक १५ मार्च, १६६६ जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन पुनरीक्षित किये गये हैं, का लाभ ऐसे विद्यालयों के डिमांस्ट्रेटर्स को भी मिलेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, यदि प्रशिक्षित हैं, अन्यथा नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्रीजी यह बतायेंगे कि क्या डेमांस्ट्रेटर्स क्रियात्मक विज्ञान पढ़ाने का काम भी करते हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

करते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि यह जो आपने विवेक किया है वह किसी वैज्ञानिक आधार पर किया है या मनमानी के आधार पर ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मनमानी नहीं, उसका वैज्ञानिक आधार है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वैज्ञानिक आधार क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जो बी० एस० सी० ट्रेण्ड होते हैं उनका ग्रेड दूसरा है। अनट्रेंड को वही ग्रेड नहीं दिया जा सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब डिमान्स्ट्रेटर भी पढ़ाने का कार्य करते हैं तो उनको अन्य अध्यापकों की भांति समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसका सवाल नहीं उठता। एक ट्रेण्ड है और एक अनट्रेण्ड है, दोनों बराबर कैसे हो सकते ?

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

डिमान्स्ट्रेटर का ट्रेंड होना क्या अनिवार्य है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां, अनिवार्य है। लेकिन वही ग्रेड ट्रेण्ड को और वही अनट्रेण्ड को दे दिया जाय, यह कैसे हो सकता है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहले तो उन्होंने बताया कि दोनों के वेतनमान में इसलिए अन्तर है कि अध्यापक ट्रेण्ड होते हैं और डिमान्सट्रेटर ट्रेण्ड नहीं होते, लेकिन अभी बताया कि डिमान्सट्रेटर का ट्रेण्ड होना आवश्यक है। फिर दोनों के वेतनमानों में अन्तर क्यों है?

श्री रामजी लाल सहायक—

मैंने आपसे निवेदन किया कि जो अध्यापक विज्ञान पढ़ाते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता अलग है और डिमान्सट्रेटरों की उतनी नहीं है इसलिए दोनों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है ?

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि डिमांस्ट्रेटर प्रशिक्षित होते हैं और इधर से कहा गया कि डिमान्स्ट्रेटर की नियुक्ति के लिये प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ऐसी स्थिति में जो प्रशिक्षित डिमान्स्ट्रेटर हैं उनको प्रशिक्षित अध्यापक के बराबर वेतन देने में कठिनाई क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जब अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं तो उसमें वरीयता दी जाती है प्रशिक्षण को। और अब जब हमें ट्रेण्ड मिल रहे हैं तो इसको भी हमें देखना पड़ता है कि जब हमारे पास ट्रेण्ड हैं तो अनट्रेण्ड को क्यों रखें और दोनों को एक सा वेतन कैसे दे सकते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, डिमांस्ट्रेटर के क्वालिफिकेशन का जिस नियम में उल्लेख है, वह नियम माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह कैलेंडर है बोर्ड का, जिसमें हर विषय के अध्यापकों की योग्यता का उल्लेख है। यह तो बहुत अधिक है, तमाम को देखने के लिये वक्त चाहिए, इसके लिये मुझे सूचना की जरूरत है।]

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब माननीय मंत्री जी उत्तर के लिये वक्त चाहते हैं तो आज इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके इनको लिख कर भेज देंगे।

इलाहाबाद में शिक्षा गोष्ठी की सिफारिशें

*१०—श्री दीपनारायण मणि—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में गत जून, १९६९ में जो प्रदेशीय स्तर पर शिक्षा गोष्ठी (एजूकेशनल सेमीनार) हुई थी उसकी मुख्य-मुख्य क्या सिफारिशें हैं तथा सरकार ने उसे कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इस शिक्षा गोष्ठी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें संलग्न सूची में दी हुई हैं। इन सिफारिशों के विषय से संबंधित शिक्षा निदेशक ने प्रस्ताव शासन को भेज दिए हैं जिन पर विचार किया जायगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९३–८९४ पर)

श्री दीपनारायण मणि—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सिफारिश शासन को कब प्राप्त हुई और इस पर कब तक विचार होगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, अभी तो हाल ही में ३–४ जून को यह गोष्ठी हुई थी और शासन को इसकी सूचना जून में ही आई, अभी तो जुलाई है, इसमें कुछ समय तो लगेगा ही ।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस गोष्ठी की जो सिफारिशें हैं, उनमें से नं० १, २, ३, ८, १५ और १६ को मान लेने में शासन का कुछ व्यय नहीं होने वाला है, केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर ही आदेश दे देने की बात है, उसके लिये तत्काल आदेश देने की कृपा करेंगे जिससे वे काम चालू हो जायं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

आदेश तो हो ही जायेगा, लेकिन आगे ही ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*११—श्रीमती आशा सिंह—

[४ थे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

पचास वर्ष से ऊपर की उम्र के अप्रशिक्षित अध्यापक

*१२—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वारणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५० वर्ष से ऊपर की उम्र के अनट्रेंड अध्यापकों को ट्रेनिंग से मुक्त करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी घोषणा कब तक करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन देने के आदेश

*१३—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को प्रत्येक मास समय पर पूरा-पूरा वेतन मिल जाया करे ?

श्री रामजी लाल सहायक—

ऐसी व्यवस्था के लिये शासन के आदेश पहलें ही निर्गत हो चुके हैं ।

झांसी खण्ड में महिला मंगल योजनान्तर्गत नोटिस पीरियड का वेतन

*१४—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड प्रखण्ड, झांसी में भूतपूर्व महिला मंगल विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाली सहायक विकास अधिकारियों (महिलाओं) को उपनिदेशिका, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के राजाज्ञा संख्या २०८, दिनांक १५ नवम्बर १९६७ के अनुसार एक माह की नोटिस की अवधि का वेतन दिया गया या नहीं ?

नोट:—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी नहीं ।

*१५—श्री सियाराम—

यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या सरकार उक्त सहायक विकास अधिकारियों (महिलाओं) को एक माह की नोटिस की अवधि का वेतन यथाशीघ्र भुगतान करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

शीघ्र भुगतान करने के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

*१६—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

[४ थे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बिड़ला राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा न होना

*१७—श्री शेरसिंह दानू—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गढ़वाल की जनता राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल) में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलने के लिये मुख्य मंत्री ने जनता को हाल में आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या श्रीनगर (गढ़वाल) में इसी शिक्षा सत्र से पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं संचालित हो जायेंगी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मुख्य मंत्री जी ने केवल यही कहा है कि आगे आने वाले वर्षों में बिड़ला राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल) में कुछ ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे कुछ सालों के बाद वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने का प्रबन्ध हो सके । अतएव इसी शिक्षा सत्र से वहां पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारंभ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१८-१९—श्री आशाराम इन्दु—

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी बैंक, मोहनलालगंज के खजांची का गायब होना

*२०—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि दिनांक २ जुलाई, १९६९ को सहकारी बैंक मोहनलाल-गंज, (लखनऊ) का खजान्ची १ १/२ लाख रुपया लेकर भाग गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

ऐसी कोई जानकारी शासन को नहीं है, जिसके अनुसार सहकारी बैंक, मोहनलालगंज (लखनऊ) का खजांची उस दिन डेढ़ लाख रुपया लेकर भाग गया हो। हां, यह बात जानकारी में आई है कि खजान्ची ३-७-६९ को लापता हो गया और उस दिन बैंक की तिजोरी का ताला तोड़ने पर रु० २९,०१२.६७ कम पाये गए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं नियम ४९ के अनुसार माननीय सहकारिता मंत्री के उत्तर से निराशा प्रकट करते हुए एक नोटिस लिख कर दूंगा और उस पर बहस के लिये आधा-घंटे की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये

श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय जायसवाल जी ने दिया था। मैं चाहता था कि उनको अपने कमरें में बुलाऊं और वे मुझसे इस सम्बन्ध में बात करलें क्योंकि यह उनसे और उनकी पार्टी से सम्बन्धित है। उस दृष्टिकोण से मैं चाहता था कि पहले उनसे पूछताछ कर लूं क्योंकि उनकी पार्टी का उसमें जिक्र है सब नामों का। तो ऐसी हालत में म नहीं समझता हूं कि किसी पार्टी के बारे में अगर प्रश्न हो तो वह सबके सामने रोशन हो जाय। इसलिये किसी वक्त जब आपको समय मिले मुझ से बात कर लीजियेगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आप अपनी सुविधा के अनुसार समय बता दीजिये मैं उसी समय आजाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप ३ बजे आजांय तो अच्छा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ठीक है श्रीमन्, मैं हाजिर हो जाऊंगा।

श्री सूबेदार सिंह द्वारा श्री डो० पी० बोरा के विरुद्ध शिकायत

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक सूचना श्री सूबेदार सिंह जी की आयी हैजिसमें उन्होंने लिखा है कि "आज सुबह साढ़े ९ बजे जब मैं सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहा था तो श्री डी० पी० बोरा, सदस्य, विधान सभा के नेतृत्व में २०-३० युवकों ने मुझे घेर लिया, मेरे विरुद्ध "सूबेदार सिंह मुर्दाबाद" के नारे लगाये और ये लोग साथ हीं "चरण सिंह जिन्दाबाद" के नारे लगा रहे थे। बाद में ये लोग मुझे मार डालने तथा गोमती में फ़ेंक देने की धमकी देकर वापिल चले गये और कहा कि कल बहुत बड़ी संख्या में आदमियों को लाऊंगा और तब देखूंगा। चूंकि उन्होंने मेरे विधान सभा में आकर उपस्थित होने में बाधा उपस्थित की है, मार डालने की धमकी दी है तो यह एक गम्भीर अपराध है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, यह बात बिल्कुल झूठ है। न कोई ऐसा प्रदर्शन मैंने आयोजित किया था और न मैं किसी ऐसे कार्य को कर सकता हूं। यह मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लगाकर मेरी प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाई है। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न रखा जाता है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर इस तरफ़ के लोगों के खिलाफ़ कोई बात पड़ती है तो ज्यादा तेजी से गर्मी आ जाती है और अगर कोई जवाब देता है तो चिल्लाना आरम्भ कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। कल मैंने सब सचेतकों को बुलाया और बातचीत की कि इस प्रकार की सदन में गड़बड़ी न हो। इस सदन में देखने के लिये बहुत दर्शक लोग आते हैं। वे आपसे कुछ सीखने के लिये आते हैं क्योंकि उनमें से कुछ लोग पंचायतों के भी होते हैं। अगर यहां पर ऐसा होता है तो यह तमाशा देख कर हम लोगों के बारे में उनकी क्या समझ में आयेगा ? वे कहेंगे कि इससे तो अच्छी हमारी पंचायतें ही हैं। थोड़ा सा आप अपने को नियंत्रित रखें। थोड़े से शब्द आपकी मर्जी के खिलाफ पड़ते है तो बर्दाश्त करनी चाहिये। फिर हम इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं

[श्री अध्यक्ष]

और हमारे बहुत से विशेषधिकार हैं तो उनको हम कैसे बरत सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया में कोई विशषाधिकार का प्रश्न नहीं मानेगा।

श्री गंगाप्रसाद---

हमारे विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो कार्यवाही की जा रही है उससे वास्तव में प्रजातंत्र के लिये एक चुनौती खड़ी हो गई है। (शोरगुल) हमारी मान मर्यादा अब आपके हाथ में है और कोई समुचित व्यवस्था इस सम्बन्ध में की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने प्रतिवाद किया है।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---

अध्यक्ष महोदय मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि २१ तारीख को जिस दिन बजट पेश हुआ श्री धर्मसिंह उस समय मुझे लाबी में मिले। उन्होंने कहा कि आपने पार्टी क्यों बदली? कुछ और भी बातें उन्होंने कहीं? एक युवक था, उसने कहा कि तुम्हें गोली से मार दिया जायेगा। मैं यह सोचता रहा कि एक सीनियर आदमी इस किस्म की बात नहीं सुन सकेगा। लेकिन वह खामोश रहे।

आज की घटना जो हुई वह नितांत क्षोभ जनक और खेदजनक थी। साढ़े नौ बजे मैं विधान सभा में आने के लिये तैयार था। उस समय माननीय डी० पी० बोरा की अध्यक्षता में २०-३० नवयुवकों का गिरोह मेरे कमरे में आ गया और उसने "सूबेदार सिंह मुर्दाबाद" के नारे लगाये। "साले निकलो तुम्हें मार डालेंगे और गोमती में फेंक देंगे।" यह कहते हुये वे आगे बढ़ गये और तिवारी जी के कमरे के सामने जो गमले रखे थे उन्हें तोड़ दिया। इस किस्म की घटना न केवल मेरे साथ बल्कि दूसरे सदस्यों के साथ भी हुई है। अगर आश्रय हमको नहीं दिया जाता है और इस तरह की विध्वंसात्मक घटनायें होती रहती हैं तो यह हमारे लिये चुनौती है। कल के लिये वे चुनौती देकर आये हैं और एक हजार से ज्यादा आदमी मेरे कमरे पर चढ़ जायगे। मेरी जान खतरे में हो जायेगी। मुझे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और इस तरह की कार्यवाहियों को रोकने की भी बड़ी आवश्यकता है।

श्री केदार नाथ (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय, सुबह साढ़े नौ बजे ए ब्लाक दारुल शफा १५० नं० में जहां मैं रहता हूं, मेरे सामने से बड़ा भारी जुलूस बोरा साहब लेकर निकले। वह नारे लगा रहे थे "सूबेदार सिंह मुर्दाबाद"। उन्होंने सूबेदारसिंह को धमकी भी दी। हम लोग अपने कमरे से बाहर निकल कर दरवाजे पर आये। २०, २५ आदमी लेकर वह सीधे दारुल शफा से बाहर निकले।

श्री अध्यक्ष---

आपने बोरा साहब पर चार्ज लगाया। मुझसे गलतफहमी हो गई। मैं समझा कि आप उस तरफ बैठे हैं लेकिन आप इस तरफ थे। जब दो सदस्य परस्पर विरोधी बातें कहें तो उसकी जांच करानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि आज इसको स्थगित किया जाय। मैं इसकी जांच कराने की कोशिश करूंगा और कोशिश इस बात की करूंगा कि ऐसी हरकत हुई है तो आगे न हो और अगर इस तरह की बात कोई नहीं हुई है तो गलत शिकायत भी न हो।

श्री केदारनाथ---

अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा के अन्दर नारे लगाये गय हैं और वही ये धमकियां भी हो गई हैं। यह निहायत अनुचित है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कह दिया कि जब दो माननीय सदस्य परस्पर विरोधी वक्तव्य दें तो उसकी जांच करना आवश्यक हो जाता है। तो मैं उसकी जांच करूंगा। कहां पर हुआ, क्या हुआ, वह कहते हैं कि मैं आ रहा था यहां उस वक्त हुआ, तो उसकी जांच तो कर लेने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)—

मैं बी ब्लाक, कमरा नम्बर ३७ में रहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन से मैं इस बात की अपील करता हूं कि जो बहुत से लोग अपने आप उठते हैं उनको कृपा करके आप भी रोकें। (व्यवधान)

मैंने कहा है कि मैं इन्क्वायरी करूंगा। इसके ऊपर आपको क्या कहना है?

श्री धर्मबीर (जिला इलाहाबाद)—

इन्क्वायरी के बाद आप हमारी सुरक्षा के लिये क्या स्टेप लेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपको नियम समझ लेना चाहिये।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि जो आपने अभी अनुरोध किया है और अपील भी की है उसकी तरफ हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सदन का काम है, शान्ति के साथ हम चलायें। बड़े से बड़े मसलों पर हम शान्ति के साथ विचार कर सकते हैं और किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। शोर, गुल गपाड़े से मैं समझता हूं हमारी प्रतिष्ठा थोड़ी घटती है। अभी यह प्रश्न उठा। आपने कहा कि इसकी इंक्वायरी करायेंगे। मैं समझता हूं कि उस समय तक यह मामला खत्म हो जाना चाहिये जब तक कि अध्यक्ष महोदय इसको जांच करके सदन के समक्ष नहीं रखते।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी को मैं इशारा कर रहा था कि वह अपने लोगों को रोकें। उन्होंने मेहरबानी की और खड़े होकर बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने मुनासिब बात की। यह बात आपकी तरफ इन्हीं शब्दों में आनी चाहिये थी। मैं अर्ज कर रहा था कि वे अपनी पार्टी पर अधिक नियंत्रण के लिये ध्यान दें। जिस समय आप खड़े होकर कह रहे थे

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, जब अपनी पार्टी के ऊपर उनका अनुशासन नहीं है तो दूसरों के लिये क्या कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने निजी नाते पर त्रिपाठी जी को इशारा किया था। धर्मबीर जी बराबर खड़े रहे। जिस समय आप खड़े थे और त्रिपाठी जी बोलना चाहते थे बावजूद इसके वह खड़े रहे। इसके पहले माननीय जैटली जी बोलते रहे और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। मेरे मित्र गुप्ता जी और त्रिपाठी जी बैठे रहे। मैं कोशिश कर रहा था

[श्री चरणसिंह]

बराबर, लेकिन दोनों दोस्तों की तरफ से वह चीज नहीं देखता। अब भी जो उन्होंने कहा है उसमें दोनों दलों को एक स्तर पर रख कर कहा है मैं आशा करता था कि वह अपने लोगों से कहेंगे बाकी इधर भी इशारा करते। लेकिन उन्होंने दोनों को एक ही स्तर पर रख दिया इसकी मुझे उनसे शिकायत है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे आप से निवेदन करना है कि पिछले बहुत दिनों से मैं यह महसूस करता चला आ रहा हूं कि आपकी आज्ञा का जो पालन करे उसको वही भुगतना पड़ता है जो मुझे भुगतना पड़ता है। कितनी ही बार मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे हतोत्साह किया क्योंकि मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लघन नहीं किया। मैं देखता हूं कि मेरा नाम पुकारे जाने पर व्यवस्था के आधार पर जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो दूसरा व्यक्ति खड़े होकर बोलने लगता है। उसको आप बोलने देते हैं। यह सब अनुशासनहीनता के लिये प्रोत्साहन ही करना है। मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा है उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वह रिकार्ड में नहीं आना चाहिये और अखबारों में नहीं छपना चाहिये। आखिर आप कैसे अनुशासन कायम रखेंगे? बंगाल की घटना देख कर मुझे डर लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो यहां पर भी यह चीज न हो। मुझे बड़ा भय लगता है क्योंकि चिनगारी आग पकड़ती चली जाती है।

आपके सामने एक गहन विषय उपस्थित है। हम उसके मेरिट्स पर कुछ नहीं कहेंगे आज प्रश्न विचारणीय है कि दल बदलुओं ने प्रशासन को अस्त व्यवस्त कर दिया है। हम किसी सिद्धान्त पर दल बदले तब तो ठीक है। लेकिन जहां निजी स्वार्थवश या प्रलोभनवश यदि दल बदलें तो यह प्रश्न आपके सामने विचारणीय है। मैं उद्दन्डता और वायलेंस का हामी नहीं हूं। जो लोग निज स्वार्थवश या प्रलोभन वश अपना दल बदलते हैं तो वह निन्दनीय और अनैतिक है। इसके ऊपर आप व्यवस्था दें कि भविष्य में जनता का इनके प्रति रोष तथा प्रतिक्रिया क्या हो। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप अनुशासन कायम रखने के लिये दल बदलने वालों के संबंध में विचार करके अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अब सब लोग बैठ जायं। यह बात मान ली गयी कि इसकी इनक्वायरी होगी जो प्रश्न सामने है। आपको मौका मिलेगा कहने का। दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा। मगर आज गरमी मत निकालिये। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप शान्त हो जायं। अब इस विषय में मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान) यह यकायक प्रश्न आया है। उसकी जांच करना जरूरी है।

सतिया हत्याकांड में न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष जी, २२ जून १९६९ को कुमारी सतिया की मृत्यु के तथ्यों तथा उस घटना की पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच में हस्तक्षेप करने के संदेह के सम्बन्ध में न्यायिक जांच करने के सवाल पर मैंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है, मैंने इस मामले में कानूनी राय भी प्राप्त की है। मुझे यह राय दी गयी है और मेरा अपना भी यही विचार है कि अभी तक जो बातें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने आयी हैं उनसे कोई प्राग्दर्शन में (प्राइमाफेशइ) यह मामला नहीं बनता कि उप मुख्य मंत्री के पुत्र का कुमारी सतिया की हत्या से कोई सम्बन्ध था और न ही उप मुख्य मंत्री के विरुद्ध इस जुर्म की जांच के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई प्राइमाफेशाई मामला बनता है। ऐसी दशा में न्यायिक जांच का साधारण तौर पर कोई औचित्य नहीं होता है। विरोधी दल के नेता ने भी सदन में कहा है कि वे इस आरोप का समर्थन नहीं कर सकते कि उप मुख्य मंत्री या उनके पुत्र का इस जुर्म में कोई हाथ था, परन्तु उप मुख्य मंत्री ने सदन में यह वक्तव्य दिया है कि वे इस मामले में स्वयं न्यायिक जांच कराना चाहेंगे जिससे यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई आशंका उनके सम्बन्ध में उत्पन्न हो गयी हो तो यह आशंका इस न्यायिक जांच के फलस्वरूप दूर हो सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यदि इस जांच के फलस्वरूप उनके आचरण पर कोई आक्षेप आता है तो वे बिना किसी हिचक के अपने पद का तत्काल त्याग कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर न्यायिक जांच में उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होते तो उन लोगोंको जिन्होंने आरोप लगाये हैं न केवल सदन में माफी मांगनी चाहिये बल्कि उन्हें विधान सभा की सदस्यता भी त्यागने के लिये प्रस्तुत होना चाहिये। केबिनेट प्रणाली की सर्वमान्य परम्पराओं के अन्तर्गत मुख्य मंत्री होने के नाते अपनी मंत्रि परिषद् के सदस्यों के लोग व्यवहार सम्बन्धी प्रश्नों का बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अन्तिम निर्णय करना मेरा ही परम्परागत अधिकार व दायित्व है। अपने इस प्रजातांत्रिक अधिकार की मर्यादा बनाये रखना मेरा इस सदन के सम्मुख मुख्य दायित्व है। फिर भी उप मुख्य मंत्री की भावनाओं एवं चिन्ता को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टिकोण से कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वास्तविकता के बारे में किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह न रहे मैंने यह असाधारण तथा दृष्टान्त रहित निर्णय किया है कि इस मामले की न्यायिक जांच करने के लिये कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२ के अधीन एक जांच कमीशन नियुक्त कर दिया जाय, यदि सदन के जिन सदस्यों ने यह आरोप लगाये हैं वे उन आरोपों को लिखित रूप में सदन के बाहर मेरे पास भेजें तथा उन आरोपों को लगाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। सदन के किसी सदस्य या सदस्यों के इस प्रकार के लिखित पत्र आ जाने पर ही न्यायिक जांच करने के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा सकेगी। जांच कमीशन की नियुक्ति की परिस्थिति में भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन तफतीश, जांच अथवा मुकदमे की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा ऐसी कानूनी राय भी मुझे दी गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, अभी जो इंक्वायरी की बात कही गई है और उसके सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र या आरोप वह मांग रहे हैं, वह तो वह लोग कमीशन के सामने देंगे, आरोप कमीशन के सामने प्रस्तुत किये जायंगे। (व्यवधान) उन सदस्यों का इस सदन में कही गई बातों के लिये प्रोटेक्शन होना चाहिये। इस लिये मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, जो आपने कमीशन एप्वाएन्ट किया है, उसके सामने आरोप हों या गवाहियां हों जाएं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित मित्र इस बयान को समझ नहीं सके। मैंने तो यह घोषणा की थी कि कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट को एक असाधारण बात मानते हुये भी मैं उसकी नियुक्ति करने के लिये उद्यत हूं बशर्ते कि जो साहब उप मुख्य मंत्री जी के खिलाफ़ चार्ज लाते हैं वह सब इस सदन के बाहर लिखित रूप में मुझे दें दें, ताकि मैं लिखित रूप में जान सकूं कि किन चीजों की मैं जांच कराऊं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह मामला जरूरत से ज्यादा तूल खींचता रहा, जिसके लिये मुझे और इस सदन को भी दुःख होगा, लेकिन जिस तरह से यह मामला चलाया गया, उस पर आप नजर डाल लें। इस मामले में प्रमुख रूप से ४ आदमियों ने सूचना इस सदन में प्रस्तुत की है। नम्बर एक श्री शिवदास जी तिवारी, नम्बर २ बिजय बहादुर सिंह जी, नम्बर तीन मुख्य मंत्री

[श्री अनन्तराम का सवाल]

जी स्वयं और नम्बर ४ माननीय उप मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी । इन ४ आदमियों ने प्रमुख रूप से इस केस के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की। मैंने यह कोशिश की कि जो यह सूचना यहां पर प्रस्तुत की गई उसमें जो अस्पष्टता है वह इस सदन के सामने आ जाये, उस अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिये मुख्य मंत्र जी ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और वह मैं कहना चाहता हूं कि कौन-कौन चीजें हैं · · ·

श्री अध्यक्ष—

आप उसके विषय पर मत जायें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

विषय पर नहीं जा रहा हूं (व्यवधान) कांग्रेसियों से मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यदि वह सदन को चलाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का रवैया ऐसा होता जा रहा है कि किसी सदस्य को बोलते वक्त रोकते हैं, शोरह पुश्ती तक उनका मामला पहुंच रहा है, जानबूझ कर मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं । यदि भविष्य में ऐसा हुआ और, श्रीमन्, यदि आपकी उदारता का नाजायज फ़ायदा यह उठाते रहे तो मैं साफ़ कहना चाहता हूं कि यह सदन आगे नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

हमने वह दिन भी, और आपने भी देखे हैं कि जब इस सदन में हमारे दल की संख्या या सारे विरोधी दल की संख्या १०० से बहुत नीचे रहा करती थी तब आपको याद होगा जब हम चाहते थे सदन की कार्यवाही चलती थी और जब नहीं चाहते थे तो नहीं चलती थी। अब तो आपके कारनामों ने मामला बराबर कर दिया है, इस लिये आप सदन की कार्यवाही नहीं चला सकेंगे, यह चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिये। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो इस सदन में उत्तर दिया और जो स्वीकारोक्ति कमलापति त्रिपाठी जी ने की उससे यह साफ नतीजा निकला कि इस हरिजन बाला को मारने वाला व्यक्ति राम बहादुर है । जो राम नारायण गोपालपुर फार्म का पार्टनर है जिसके एक पार्टनर श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री कमलापति त्रिपाठी जी के बेटे हैं । जो बन्दूक सतिया कांड में इस्तेमाल की गयी है वह राम नारायण की है । जो यहां पर कहा गया है वही मैं कह रहा हूं कि मुख्य मंत्री ने माना कि जो गवाहों के तोड़ने की प्रक्रिया हो रही है वह असाधारण बात है । मैं चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है उसको सदन जाने और उसको पूरी तरह से महसूस करें कि क्या मजबूरी रही होगी कि जिसके कारण एक बाप ने रिपोर्ट लिखाने के बाद बयान बदला । इस सिलसिले में जो सफाई नहीं हो रही है वह यह है कि ज्ञानपुर का दरोगा क्यों इस थाने में लाकर बिठाया गया ? आखिरकार मुख्य मंत्री जी इ से क्यों भाग रहे हैं । जब आप चाहते हैं कि सदन आप पर विश्वास करें और पमुख्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि हम तैयार हैं एन्क्वायरी हो लेकिन बराबर उसी के साथ कोई न कोई मिली भगत जैसी चल रही है कि तुम कहते रहो कि हम तैयार हैं और दूसरा यह कहता रहे कि वह तैयार नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौनसी चीज बीच में आ गयी कि आपने उस दरोगा को बीच में से हटा दिया और बनारस के दरोगा को लाकर रख दिया ?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप सब चाजज यहां रिपोर्ट कर रहे हैं वे जांच कराने को तैयार हैं । आपने डिमांड किया, विरोधी दल के नेता ने भी डिमांड किया, उप मुख्य मंत्री जी ने अपनी ओर से अपील की । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं देखूंगा क्योंकि मर्डर केस चल रहा है उसके बीच में इस तरह की जांच होगी वह कहां तक वैधानिक होगी, वह मैं देख लूं । उसकी जांच करके आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया । मुझे याद है कि नित्यानन्द स्वामी ने यहां अपील की थी कि यह उन्हीं के इंटरेस्ट में है कि वह जांच करा लें क्योंकि ईश्वर करें वह आरोप असत्य सिद्ध हो ।

मैंने भी यह बात कही। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि वह जांच कराने के लिये तैयार हैं। सिर्फ बात इतनी है कि वह चाहते हैं कि जितने चार्जेज हैं वह टर्म्स आफ रिफरेंस में आ जायं। तो लिखित अगर आप दे देते हैं और जिम्मेदारी के साथ दे देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि वह एक जुडीशियल इंक्वायरी बैठा देंगे, कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट के मुताबिक। तो इसको आप मंजूर करते हैं या नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यह सब जितनी कार्यवाही यहां पर होती है वह जिम्मेदारी के साथ होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्य मंत्री को क्या अड़चन है ? माननीय कमलापति जी इस हत्या के बाद वहां तशरीफ ले गये थे .....(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरी तरह की बात कहना चाहते हैं उसका जवाब नहीं देते जो मैं पूछ रहा हूं कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं इसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। मैं यहां इस सदन में कह रहा हूं और जो हमारी शंकायें हैं उनका भी समाधान होना चाहिये। जो कुछ भी यहां सदन में कहा जाता है वह अगर जिम्मेदारी की बात होती है तो इस सदन में कही गई किसी भी बात पर अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो इस सदन में किसी विषय पर चर्चा का मतलब ही नहीं। वरना जो कुछ मैं कह रहा हूं उसी के आधार पर टर्म्स आफ रिफरेन्स बना कर जांच कर ली जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सद के अन्दर दोनों पक्षों की ओर से सब बातें आ गई हैं। मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ सदन में कहा गया है उसी के आधार पर निर्णय लिया है कि इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करेंगे और नये प्रार्थना-पत्रों को मंगायेंगे। आप इस सवाल को नये सिरे से खोल रहे हैं। फिर कह देंगे कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता। प्राइमाफेसी केस तो बन गया जब कि निश्चय हो गया। मुख्य मंत्री जी के इंटरेस्ट में, सद के इंटरेस्ट में, न्याय के इंटरेस्ट में जब उन्होंने यह महसूस किया कि सदन में जो कुछ कहा गया सही है तो उसका कागनिजेन्स लेकर इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात कही। अगर अब नये सिरे से प्रार्थना पत्र लिये जायेंगे तो फिर नये सिरे से निर्णय होगा कि कमीशन आफ इंक्वायरी होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यहां पर दो राय दिखाईदी कि कमीशन के सामने जो चार्जेज हैं उनको पेश किया जाय। दूसरा मुख्य मंत्री जी का सजेशन यह है कि वह अगर उनको बता दें तो उसको टर्म्स आफ रिफरेंस में शामिल कर देंगे। इस तरह से दो सजेशन हैं। मैं समझता हूं इसके बारे में थोड़ा सा विरोधी दल के नेता का भी सुझाव आ जाय कि कमीशन के सामने किस तरह से रखा जाय तो अच्छा होगा।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में जो कुछ चर्चा हुआ उससे दो बात स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि अभी हम लोगों के सामने जो बात जाहिर की गई है वह ठीक है। टार्म्स आफ रिफरेन्स बनेगा तो उसी के मुताबिक इंक्वायरी होगी। यदि मुख्य मंत्री जी का मतलब यह है कि जिन लोगों ने यह आरोप लगाया वह अपना टर्म्स आफ रिफरेन्स लिख कर दे दें तो वह चाहें उनको लिख कर दे दें लेकिन उनकी राय में कोई जिम्मेदारी लेने का अर्थ दूसरा हो जाता है। आप उन्हें कहेंगे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है और वह जिम्मेदारी लें। अध्यक्ष महोदय,

[श्री उदितनारायण]

जितनी बातें यहां पर अनन्तराम जी ने और नित्यानन्द जी ने कही हैं वह सब ठीक है। वह सब जिम्मेदारी के साथ कही गयी है। जहां तक टर्म्स आफ रिफरेन्स की बात मानते हैं वह टर्म्स आफ रिफरेन्स लिख कर देना चाहिये। और उसी के अनुसार यहां पर आगे इंक्वायरी होनी चाहिये लेकिन इसके बाद यह नहीं होना चाहिये कि वह लिख कर दें तो उसके बाद यह फैसला हो कि इसको हम दे या नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें सदन के सम्मान, शक्ति और अधिकार का प्रश्न भी जुड़ गया है। इस सदन में जो सूचना दी जाती है वह इस आशा से कि सरकार कुछ कार्य करे तो क्या वह बेकार है, कार्यवाही के लिये काफी नहीं है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि गवर्नमेंट एप्वाइंटिंग अथारिटी है, सदन नहीं है, इसलिये गवर्नमेंट ही टर्म्स आफ रेफरेंस देगी, सदन नहीं दे सकता। जितनी बातें कही गयी हैं वह सब टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं आ सकतीं क्योंकि कुछ याद रहीं कुछ न रहीं और कोई छूट जाय तो आप कहेंगे कि यह चीजें छोड़ दी गयीं। इसलिये दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर आपस में विश्वास आपका है तो एक कमरे में बैठकर टर्म्स आफ रेफरेंस तय कर लें या फिर न्यायिक बैठेगी तो उसमें अपनी शिकायत रखें। टर्म्स आफ रेफरेंस तो मुख्य मंत्री अपने मन के मुताबिक पहले ही ८-९ दे देंगे, फिर उसमें यह नहीं होना चाहिये कि वह ठीक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने प्रश्न उठाया उस पर कोई व्यवस्था आपने नहीं दी। प्रोसीडिंग्स में जो यहां की हैं सब बातें मौजूद हैं, उनको देख कर टर्म्स आफ रेफरेंस तय किये जा सकते हैं। उनको आप सरकुलेट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि कोई चीज छूटी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर (जिला पीलीभीत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि वह सोचें कि क्या मसला है और उस पर सदन को क्या निर्णय करना है। मालूम नहीं सूबे में कितने मर्डर्स रोज होते हैं, और कितने अपराध किये जाते ह। सवाल हर अपराध, मर्डर और कत्ल का यहां नहीं उठाया जाता। कहा यह गया है कि एक खास मर्डर मिर्जापुर में हुआ उसमें हमारे उप मुख्य मंत्री के लड़के का हाथ है और उप मुख्य मंत्री का हाथ है कि उन्होंने सप्रेशन आफ एवीडेंस में हिस्सा लिया। आप गौर करें कि महज इस हाउस में इस किस्म का चार्ज लगा दिया जाय किसी मंत्री के ऊपर या दूसरे आदमी पर और उसके ऊपर कोई कमीशन आफ इंक्वायरी फौरन बैठा दिया जाय तो कहां तक यह किस्सा जा सकता है? यह ऐसी चीज होगी कि जिसकी कोई हद नहीं रह जायगी। कोई न कोई साहब आ गये, कोई वाकया कहीं हो गया तो कह दिया कि फलां मिनिस्टर इसमें शरीक था, उसके आदमी इसमें शामिल थे। तो सवाल यह है कि महज उस वाकये के हो जाने से ही आप इंक्वायरी नहीं बिठाल सकते। वह चीज अदालत में जाती है, हाई कोर्ट में जाती है, उसके ऊपर विचार होता है, फैसला होता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है। इसमें दो जिम्मेदार व्यक्तियों का सवाल है, एक हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री, तथा एक उनके लड़के उनका नाम यहां पर लिया जा रहा है, तो जरूरत इस बात की हो जायेगी कि आप किस बुनियाद पर यह सब बातें कह रह हैं। यहां पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वह प्रिविलेज है, और उसके

लिये किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि वाकई आपको यकीन है, आप यह समझते हैं कि जो कुछ यहां आप कह रहे हैं वह सही है, इन लोगों का हाथ उसमें है, तो उसकी जिम्मेदारी आप संभालिये, और वह जिम्मेदारी उसी हालत में उठाई जा सकती है जब कि आप उस विषय में लिख कर माननीय मुख्य मंत्री को दें। यहां पर तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। कहीं पर डाका पड़ जाय, आप कह सकते हैं कि उसमें फलां मंत्री का हाथ था। लेकिन उस पर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाली जा सकती। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि, माननीय जायसवाल जी से कहा जाय कि वे अपनी बातों को लिख कर माननीय मुख्य मंत्री जी को दे दें, और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया है इन्क्वायरी कमीशन अवश्य बिठाल देंगे। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो इसके कुछ और माने निकलते हैं कि यहां तो आपको प्रिविलेज है, आप झूठ सच कह सकते हैं लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप उससे गुरेज करते हैं। अगर आप उस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं होंगे तो, माननीय सदस्य सदन के खुद उसका नतीजा निकाल लेंगे। तो यह बात इसमें इनवाल्बड है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप इस पर अमल करें और लिख कर भेज दें।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। मैं हमेशा इस बात का विरोधी रहा हूं कि यहां पर जो कुछ कहा जाय उसे लिख कर दिया जाय। मंत्रिमंडल बेंचेज से जब भी कोई प्रश्न आता है, हम लोग कोई बात कहते हैं, यही कह दिया जाता है कि हम लोग लिख कर दें। इसका अर्थ यह होता है कि यहां पर हम लोग गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल इंक्वायरी का अंग बना लिया जाय। यह सदन सक्षम है यदि आवश्यक हो तो उतनी प्रोसीडिंग्स के लिये, अपने प्रिविलेज को यह सदन रिवोक भी कर सकता है। हाउस आफ़ कामन्स में परफ्यूमो स्कैंडिल पर ऐसा हुआ है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स पर ही इंक्वायरी बिठाल दी गयी है। उस इंक्वायरी परपज के लिये प्रोसीडिंग्स के उतने पोर्शन को इंक्वायरी का अंग मान लिया गया और अपने प्रिविलेज को रिवोक कर दिया गया और उसको पब्लिक डाकुमेंट मान लिया गया। इसलिये यह भी एक रास्ता है इस समस्या के हल का।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं इस संबंध में सदन को बतलाना चाहता हूं कि परफ्यूमो कांड में तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठी नहीं थी। प्रोफ्यूमो कांड में तो केवल उस जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंगलड के उन्होंने अपने अन्तर्गत लेकर एक इंक्वायरी की और उसके बाद निर्णय दे दिया। एक बात और मैं माननीय सदन से कहना चाहता हूं .....

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

श्रीमन्, टाइम्स अखबार में एक आर्टिकिल आया। उसमें हाउस आफ कामन्स में घटना हुई। प्रोफ्यूमों ने डिनाई किया। अपोजीशन ने कहा कि यह सत्य है और एटली ने स्वयं एडजर्नमेंट मोशन मूव किया। मैकमिलन ने स्वीकार किया कि हम इसकी जांच करेंगे। ब्लैंक चेक दे दिये थे। प्रोफ्यूमो के साथ जितना कांड था, चैक्स का किस्सा था, वह सब उसके अन्तर्गत आया। श्रीमन्, मैं आचार्य जी की जानकारी के लिये इतना कहना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं राजा साहब की जानकारी के लिये यह बात कहना चाहता हूं कि प्रोफ्यूमो कांड में मैकमिलन ने अपना एक निर्णय दे दिया था और जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा है वैधानिक रूप से जहां तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है मुख्य मंत्री ही मंत्रियों के व्यवहार के संबंध में अन्तिम निर्णय देते ह। वे आज भी सक्षम हैं इस कांड में भी मंत्रियों के संबंध में कोई भी निर्णय दे सकते हैं, वह हमें

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

स्वीकार होगा। वैधानिक रूप से हम बाध्य भी हैं, मान्यवर मैं केवल एक बात कहना चाहता था बार-बार दोहराया जाता है सवाल। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जितनी बातें कही जाती हैं वे बहुत जिम्मेदारी की बातें हैं। एक कानूनी अड़चन हमारे सामने है। आखिर कोई, कुछ टर्म्स आफ रेफ़रेन्स देना पड़ेगा। टर्म्स आब् रेफ़रेंस आप नहीं देंगे बल्कि यह सरकार फ्रेम करेगी वहां देने के लिये जो कि जायेगा कमीशन आफ़ इंक्वायरी को। वह टर्म्स आफ रेफ़रेन्स हमको देना पड़ेगा। कानूनी तौर पर, नियमित रूप से, नियमानुसार उस टर्म्स आफ रेफ़रेन्स के लिये हमारे पास में कोई वह सामग्री होनी चाहिये जिसको हम कानूनन स्वीकार कर सकेंगे। जहां जो कार्यवाही हुई उसको हम कानूनन स्वीकार नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। जो टर्म्स आफ रेफ़रेंस जायेगा इसकी दो ही प्रक्रिया थीं। मेरे मित्र जायसवाल और राजा साहब भी उसको स्वीकार कर लें। श्रीमन्, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत एक बड़ी प्रक्रिया दी है जिसके अन्तर्गत किसी भी अपराध में इन्वेस्टीगेशन होता है और उस प्रक्रिया के बाहर जाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं। जो प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। सतिया हत्या कांड या उसके अन्तर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसकी धाराओं के अनुसार १५४ में और उसके बाद दूसरी धाराओं के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट यदि काग्निजिबुल है तो काग्निजेन्स लिया जाता है यदि नहीं तो नहीं लिया जाता है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था... मैं समझता हूं कि जायसवाल जी मुझसे ज्यादा जानते हैं वह मैं नहीं कहता। जायसवाल जी को यदि मैं कुछ कहूं तो इतना कह सकूंगा कि कुछ टाइम हमको भी दे दें। मैं इतना कहना चाहता था कि आज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत यह कार्यवाही नहीं हो रही है .....

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत जो इनवेस्टीगेशन चलेगा उसे हम नहीं रोक सकते। कोई सदन या पार्लियामेंट भी नहीं रोक सकती। ५६ के अन्तर्गत कोर्ट रोक सकता है जो उसके इनहेरेन्ट राइट्स हैं। कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट अलग है उसके अन्तर्गत जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि कदाचित सारे हिन्दुस्तान में यह पहला केस होगा जिसमें माननीय उप मुख्य मंत्री ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था और जनता के भ्रम निवारण के लिये इस सरकार ने उस चीज को स्वीकार किया। आज आपके सामने स्वीकार करने का यह अर्थ हो जाता है कि कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट के अधीन जिन चीजों की आवश्यकता है उनको स्वीकार किया जाय। कमीशन आफ़ इंक्वायरी ऐक्ट के टर्म्स आफ़ रेफ़रेन्स को फ्रेम करने के लिये कुछ वैधानिक सामग्री होनी चाहिये। सदन में जो कुछ कहा गया है, वह उसका आधार नहीं हो सकता। उसके विपरीत यह आवश्यकता है कि शिकायत के रूप में कुछ हो। उसको ही टर्म्स आफ़ रिफ़रेंस का आधार बनाया जा सकता है। जो चीज अत्यन्त जिम्मेदारी के साथ कही गयी है, उसके बारे में लिख कर देने में संकोच क्या है, कौन सी हिचक है। मैं माननीय उदित नारायण जी और माननीय चौधरी चरण सिंह जी से भी अपील करना चाहता हूं कि इसको वे लिख कर दे दें। या कहें कि यहां पर जो कोई भी चीज कही जाती है वह जिम्मेदारी से परिपूर्ण नहीं है और अगर जिम्मेदारी से परिपूर्ण है तो फिर उसको लिख कर देने में हिचक और संकोच क्या है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, सतिया हत्या कांड के बारे में आज एक सप्ताह से विचार विमर्श हो रहा है। इन दिनों कई तथ्य हमारे सामने आये हैं। उनमें से पहली बात तो यह है कि गोपालपुर में जो फ़ार्म है, वहां एक हरिजन बालिका का कत्ल हुआ। (शोर)।

श्री अध्यक्ष—

यह चीज नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

दूसरी बात यह है कि वहां जो थानेदार था उसको बदल दिया गया, क्योंकि वह सही जांच कर रहा था। तीसरी बात यह है कि वहां जो राधेश्याम एस० एस० पी० है, मेरी निश्चित जानकारी है, माननीय उप मुख्य मंत्री जी की लड़की या भतीजी की शादी उसके लड़के से हुई है। वह उनका रिश्तेदार है, इसलिये वहां से हटाया नहीं गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह तो हठयोग है।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं गुप्ता जी के वक्तव्य के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, गुप्ता जी ने कहा कि हम लोग लिख कर दें। मैं उनके खिलाफ़ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं (शोर) वे सदस्यों को धमकी देते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता था माननीय अलीजहीर और माननीय वित्त मंत्री जी से कि वे इस विषय में कोई प्रकाश डालेंगे। लेकिन दोनों ने उस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला। अली जहीर साहब ने कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कितनी बार बोलेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस सदन की जो कार्यवाही है उसको कमीशन का अंग बनाया जा सकता है या नहीं और वह उसका काग्जीनेंस ले सकता है या नहीं। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कार्यवाही अलग चलेगी। वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिस से गवर्नमेंट क्रिमिनल कार्यवाही को रोक सके। लेकिन अगर दोनों ओर कार्यवाही हुई तो दो-दो निर्णय हो सकते हैं। दोनों के फ़ैसलों में विरोध हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कमीशन इस सदन की कार्यवाही का काग्नीजेंस ले। जिसको गवाही देना है वह उसके सामने गवाही दे क्योंकि प्राइमाफेसी केस सदन के सामने आ चुका है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि इसको वाइडर न किया जाय। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत मरडर का चार्ज जो है, उसके लिये इन्क्वायरी कमीशन नहीं बैठा रहे हैं, आप इसके लिये बैठा रहे हैं कि उप मुख्य मंत्री ने इसमें मदाखलत की,

[श्री अध्यक्ष]

उनके ऊपर चार्ज लगाया गया सदन में कि उन्होंने केस को दबाने की कोशिश की। इस तरह से मैं समझता हूं कि उनकी जांच का सवाल जब आया तो उन्होंने भी एक वक्तव्य दे दिया कि हम अपने को निर्दोष समझते हैं लकिन जब और लोग चाहते हैं तो इसकी सफाई हो जाय। वही प्रश्न-दो चार रोज के बाद आया तो मुख्य मंत्री के सामने भी यह बात आयी कि जांच के लिये कानूनी तौर पर हम क्या कर सकते हैं। मैंने भी उनसे बातचीत की और उस बात से यह परिणाम निकला कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हो गया है इस तरह का। उनको दिक्कत थी कि वह मामला चलते हुए यह चलाया जा सकता है या नहीं। उसमें यह हो जायगा कि दोनों चलाये जा सकते हैं। वह तो अलग चलता रहे मर्डर वगैरह के चार्ज के सम्बन्ध में और तमाम कार्य के लिये जांच वह करेगा। जो स्पेशल जुडिशियल इन्क्वायरी होगी उसमें कोई हाई कोर्ट का जज बैठेगा। यह उनकी बड़ी दिक्कत थी। आउट आफ वे जाकर उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया क्योंकि मुख्य मंत्री को उप मुख्य मंत्री में पूर्ण विश्वास है इसलिये सफाई का मौका दे दिया गया अ इसमें गरमा-गरमी नहीं होनी चाहिये। अब इसमे यह बात है कि जो लोग कानून जानते हैं, उन सब की राय भी मैंने आपके सामने रखी और उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया, इसलिये और किसी के बोलने का सवाल नहीं है। २ मिनट मैं विरोधी दल के नेता को दूंगा। वह समाप्त कर लें तो आप इसको स्वीकार कर लें। उस के बाद अगर कुछ कहना हो तो मैं समझता हूं कि बाहर जाकर बैठ कर टर्म आफ रैफरेंस वगैरह क्या होगा, एक राय से सब सदस्य बतला दें तो ठीक है, वरना मुख्य मंत्री को जो कार्यवाही करनी होगी वे करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का सवाल है, मुझे भी बाद में वक्त दिया जाय।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से....

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ है कि इस कांड के सिलसिले में कभी-कभी डिस्कशन इतना हीटेड हो जाता है कि इच्छा न रहते हुए भी कभी-कभी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो न कहनी चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय कमलापति त्रिपाठी के भतीजे की शादी श्री राधेश्याम की लड़की से तय होने वाली है। इस तरह की बात से मुझे दुख है और इस पर ध्यान न देकर आप क्षमा करेंगे।

श्री चरणसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं २–३ बातें कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में तो मैं माननीय गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दल के माननीय सदस्यों के बहुत आग्रह के बाद उनके इस सुझाव को मान लिया कि एक कमीशन आफ इन्क्वायरी के मातहत जुडिशियल एन्क्वायरी हो लेकिन आज जब इस सदन में यह विषय प्रस्तुत हुआ तो हममें से उसके लिये कोई तैयार नहीं था। कभी किसी ने नहीं पढ़ा कि हाउस के क्या विशेष अख्तियारात हैं, ऐसे मामलों में इसलिये यह इतनी हीट हो गयी। मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न को ४ तारीख के लिये मुल्तवी कर दिया जाय। हम इसको स्टडी कर लें और उस दिन अगर आवश्यक हुआ तो आप एक या दो आदमियों को बोलने की इजाजत दे दें या आपसे आपके कक्ष में मिल लें। हम में से किसी को ज्ञात नहीं है कि हाउस को कितना अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

मुल्तवी करना ठीक है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर चर्चा कर लें तो संभव है कि कोई रास्ता निकल आये जो ठीक रास्ता हो। मेरी माननीय गुप्ता जी से २–३ दफा बात हुयी। उनकी डिफिकल्टी थी। उन्होंने कानून के पंडितों से सलाह की कि वे कानून के शिकंजे में तो नहीं आ जाते हैं। तो उन्होंने उनकी राय ली कि क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत के बाद जब आपकी बात मान ली तो आपस में बात करके टर्म्स आफ रेफरेंस तैयार कर लिये जायं। तो इतनी हीट पैदा करने की क्या जरूरत थी। आप बाहर बैठ कर या मेरे कमरे में बैठ कर बात-चीत कर सकते हैं। इसलिये इसे अब मैं, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने चाहा है, मुल्तवी करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता था लेकिन उसके पहले ही आपने निर्णय दे दिया ?

श्री अध्यक्ष—

अभी मिसलेनियस बातें चल रही हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, जहां तक मेरा ताल्लुक इस सदन के नेता होने से है, जो कुछ मैंने तय किया है और जो कुछ विचार विमर्श के बाद सदन के सामने रखा है वह क्लोज्ड है। इसके विपरीत मैं इस सद में जिसका मैं नेता हूं कोई परम्परा नहीं डालना चाहता हूं, जिसके बारे में बाद में मेरे लिये यह कहा जाय कि मैंने इस सदन में, एक गलत परम्परा डालने की चेष्टा की। जो कुछ मैंने बयान दिया उसमें सदन की परम्परा को रखा है। इसके बाद मैं एक कदम आगे जाने और न एक कदम पीछे हटने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक सूचना आई है कि अखबार वालों ने श्री शिवपाल, जो कि भारतीय क्रांति दल के सदस्य हैं, उनकी जगह पर श्री कृपाल सिंह को लिख दिया है। हमारी कार्यवाही में तो श्री शिवपाल ही लिखा गया है। तो मैं अखबार वालों से कहना चाहता हूं कि वे यहां की कार्यवाही के बारे में अगर उनको नामों की जानकारी न हो तो पूछ लिया करें और जहां तक हो सके गल्ती न हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी आपने चरण सिंह जी के वक्तव्य के बाद एक रूलिंग दी कि चार तारीख को सुनने के बाद यह निर्णय देंगे कि टर्म्स आफ रिफरेंस क्या होगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके बाद यह कहा कि चैप्टर उनकी तरफ से क्लोज्ड है और वे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो आपकी रूलिंग अन्तिम है अथवा माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद आपने अपनी रूलिंग बदल दी है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपना वक्तव्य उसमें बिठा दिया है। उन्होंने कानूनी राय ले ली है और उसके बाहर वह नहीं जाना चाहते। उसके अन्दर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिहाजा उसमें कोई दिक्कत नहीं है और परस्पर विरोधी इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुल्तवी रखा जाय क्योंकि स्टडी नहीं किया है तो स्टडी कर लिया जायगा।

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३३––सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४––संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री अध्यक्ष––

अब वित्तीय वर्ष १९६९–७० के आय-व्ययक पर मतदान लिया जायगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारीलाल)––

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३––सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,५४,२४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४––संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६३,४५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५––सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,७५,७०,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०––सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,३८,१८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन अनुदानों का सम्बन्ध है इनमें ज्यादा समय नहीं लेना है लेकिन इन अनुदानों का सम्बन्ध सारे सूबे की सड़कों तथा भवनों से है। जिस तरह शरीर में नस और नाड़ियों से शक्ति का संचार शरीर में होता है उसी तरह से पूरे सूबे के अन्दर जब तक सड़कों तथा भवनों का विकास नहीं होगा तब तक हमारा सूबा एक स्वस्थ सूबा नहीं कहलाया जा सकता। सड़कों का स्थान किसी भी विकास के मामले में बहुत ऊंचा होता है। आजादी से पहले जितने सिविल इंजीनियर थे उन्होंने पूरे भारत का सर्वे कराया और विचार विनिमय किया। और यह तय किया कि स्टार ग्रिड फार्मूला के हिसाब से हमको हर स्टेट के अन्दर सड़कों का विकास करना चाहिये। यानी ऐसा न हो कि किसी स्टेट में तो जरूरत से ज्यादा सड़कें बन जायं और दूसरे में बहुत कम बनें। उस समय हमारे प्रदेश में १५ हजार किलोमीटर सड़कें थी। वह एक उद्देश्य था जिसके मातहत हमारी तमाम योजनायें चलती रहीं और सन् १९६६ में अपने सूबे के अन्दर स्टार ग्रिड फार्मूले में जितना होना चाहिये था उतना उसकी पूर्ति हुई। उसके बाद दिन पर दिन तरक्की हो रही है, लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो रहा है और आज सड़कों की अधिक आवश्यकता है। इसलिये दोबारा १९५८ में हिन्दुस्तान के तमाम इंजीनियर्स बैठे और उन्होंने एक बाम्बे फार्मूला बनाया जिसके मातहत उनका कहना था कि १०० मील के एरिया में ५२ मील सड़कें होनी चाहिये। उसके हिसाब से हमारे सूबे में ४६,९६० किलोमीटर सड़कों की जरूरत थी और इसकी पूर्ति २० साल में,

यानी १९८१ तक हो जाना चाहिये। १९६९ में हमारे यहां ३१,५६६ किलोमीटर सड़कें हैं और लक्ष्य की पूर्ति के लिये करीब १५ हजार किलोमीटर और सड़कों की जरूरत है। समय थोड़ा है और साधन भी सीमित हैं। फिर भी जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। हमें इस लक्ष्य से चलना है कि हमारे सूबे का हर कोना सड़कों के मामले में समान रूप से विकसित हो। जहां तक इस योजना की बात है साढ़े ९ सौ करोड़ रुपये की बहुत सूक्ष्म सी योजना है। उसमें पी० डब्ल्यू० डी० के लिये बहुत मामूली सी ५० करोड़ रुपये की धनराशि है जिसमें से करीब २४ कारोड़ ३४ लाख रुपया उन कामों पर खर्च होगा जो अधूरे काम इस वक्त चल रहे हैं। बाकी रुपयों में से २५ करोड़ और ३०–३५ लाख के करीब सड़कों पर खर्च किया जायगा, जहां तक इस वर्ष का ताल्लुक है जिसके लिये यह सदन अनुदान मंजूर करने जा रहा है २८ करोड़ १७ लाख रुपया व्यय होगा जो पिछले वर्ष से ६ करोड़ ८९ लाख ज्यादा है। यह वृद्धि मरम्मत खभाल, अनुरक्षण तथा भवन वगैरह की वजह से हुई है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यह इस योजना का पहला वर्ष है और इसमें ३ करोड़ ७५ लाख रुपया ४४० किलोमीटर सड़कों के लिये रखा गया है और १ करोड़ २४ लाख रुपया १० पुलों के लिये रखा गया है, १ करोड़ ३९ लाख रुपया ग्रामीण सड़कों के लिये और ३८ लाख ८४ हजार रुपया नये कार्यों के लिय रखा गया है। फिर भी बहुत से जिले ऐसे रह गये हैं जो पिछड़ गये हैं। जैसे मैंने देखा कि बुन्देलखंड का कुछ इलाका है और भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी तरफ विशेष ध्यान रखे जाने की जरूरत है। जहां तक हो सके इनकी इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जायेगी।

इसके अलावा यह भी जरूरी है कि जो सड़कें बनी हुई हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया उनको भी सही हालत में कायम रखा जाय। हमारे यहां की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिये सड़कों पर ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है वह आज कल के ट्रैफिक के बोझ को संभाल नहीं सकती है। इसलिये उनको कायम रखने की कोशिश की जायेगी। इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरा न हो। इन सब चीजों को देखते हुये एक नान प्लान योजना ५ करोड़ ७० लाख रुपये की बनाई गई है। जो वर्तमान सड़कें हैं और जरूरी हैं उनके आधुनिकीकरण तथा सुधार करने का कार्यक्रम है। इस वर्ष इनके ऊपर ६० लाख २३ हजार रुपया खर्च होगा।

इसके अलावा जहां तक हमारे प्रदेश के पुलों की बात है उसके लिये यह किया गया है कि पुल के जरिये रुपया इकट्ठा हुआ है उसमें से २ करोड़ २० लाख रुपया २० पुलों के लिये रखा गया है। इसके अलावा जो रेलवे क्रासिंग्स हैं उनके ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की बहुत से स्थान पर आवश्यकता है और इसके लिये डेढ़ करोड़ रुपया रखा गया है हमारे सूबे में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो किसी न किसी नदी के ऊपर से न जाती हो। कहीं-कहीं कई स्थानों पर यह चीज आ जाती है और उससे काफी दिक्कत होती है। इसमें सबसे बड़ी नदी की जो समस्यायें हैं वह गंगा नदी है। इसके ऊपर के पुल बनाना हमारे साधनों से बाहर है इस लिये कई बार केन्द्रीय सरकार से बातचीत और लिखा पढ़ी हुई। अन्त में यह तय हुआ कि साढ़े चार करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ऋण की शक्ल में देगी और साढ़े चार करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकार लगायेगी। इस तरह से ९ करोड़ रुपया से जहां-जहां पुलों की आवश्यकता है वह बनेंगे। इसी तरह से फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा पर पुल बन रहा है। हरिद्वार और मिर्जापुर के लिये प्रपोजल केन्द्रीय सरकार के पास गया है। आशा है कि वह शीघ्र स्वीकृत होगा। एक पुल बिहार और प्रदेश के बार्डर बक्सर पर बनना है जिसके लिये तय हुआ है कि एक-एक तिहाई रुपया बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार देगी।

ठेकेदारी प्रथा को बुरा बताया जाता है। इस पर सोचा गया। १९६४ में पुल बनवाने के लिये जब पी० डब्ल्यू० डी० के शिड्यूल रेट्स पर टेंडर नहीं आये तो उसने खुद बनाया और इसमें काफी बचत हुई। १९६६ में एक यूनिट कायम हुई और फर्रुखाबाद में रामगंगा पर जो

[चौधरी गिरधारीलाल]

पुल है वह इसी यूनिट के जरिये बन रहा है। और भी कई एक पुल विभाग ने बनाये हैं और मैं समझता हूं कि इससे ६-७ लाख रुपये की बचत हुई है। इस समय ४ यूनिट इस प्रकार की हैं। एक तो, रेलवे क्रासिंग के ऊपर जो पुल बनाये गये हैं उनके बारे में काम कर रही है, २ पुलों के सिलसिले में और एक भवन के सिलसिले में काम कर रही है। यदि सबका सहयोग मिला तो यह काम आगे बढ़ेगा और इससे काम में काफी एफीशियेन्सी आयेगी, काम भी बढ़िया होगा तथा उसको और आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आम जनता यह चाहती है कि गवर्नमेंट के जितने काम हो रहे हैं, उसको जाकर देखें, उनके बुनियाद और प्लास्टर को जाकर देखें कि यह ठीक भी है। यह प्रश्न बहुत पहले हमारे सामने आय कोई आज नहीं आया। इस पर सोचने के बाद एक टेक्निकल आडिट सेल की स्थापना इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर की गई है जिसका सम्बन्ध सीधे सचिवालय से है, किसी इंजीनियर या चीफ इंजीनियर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह यहां पर कायम है जिसका काम यह है कि २० हजार से ऊपर के जितने काम हैं उनको रैण्डम रूप से पूरी तरह पर देखें। यह उनका पेमेन्ट देखता है, काम के टेक्निकल साईड को देखता है, उसको खोद कर देखता है, उसकी बुनियाद और प्लास्टर को तोड़ कर देखता है और जहां कहीं कोई अनियमितता देखता है उस पर मुनासिब कार्यवाही करता है। इसी कारण से बहुत से ठेकेदार पी० डब्ल्यू० डी० में आते हुए घबड़ाते हैं। इसी प्रकार से इस उद्देश्य से जो वरिष्ठ इंजीनियर्स हैं उनकी भी एक कमेटी बनी हुई है, जो कि स्थान-स्थान से प्राप्त शिकायतों को देखने के लिये, (जिसको आप ऐन्टी-करप्शन कमेटी भी कह सकते हैं) और उस पर उचित कार्यवाही करते हैं। इस समय मैं ज्यादा समय न लकर अपनी बात समाप्त करके उम्मीद करूंगा कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३, ३४, ३५ एवं ५० से सम्बद्ध रकम को घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाये।

कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आज पी० डब्ल्यू० डी० के ग्रान्ट पेश किये जिसके ऊपर मैं आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग २२ साल हो गये हैं, मान्यवर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि आज देश में या किसी भी देश की तरक्की के लिये यह आवश्यक है कि उस देश में यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिये वहां की सड़कों का ज्यादा होना और अच्छा होना, नितांत आवश्यक होता है। १९५८ में सारे हिन्दुस्तान के इंजीयनयरों की एक कमेटी बैठी थी उसने तय किया कि उत्तर प्रदेश में सड़कों क कितनी आवश्यकता है, माननीय मंत्री ने उसका जिक्र किया कि वह ४६ हजार ९६० किलोमीटर थी। दूसरे, इस वक्त जो तृतीय पंचवर्षीय योजना खत्म हुई है, व्यक्तिगत आपका खयाल है कि ३१ हजार ५८६ किलोमीटर सड़क री होगी। २ वर्ष के अन्दर, जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सड़कें बनायी, उसके बाद २१ वर्ष में ३१ हजार ५८६, माननीय मंत्री जी का आंकड़ा पहुंचा है। १५ हजार किलोमीटर की जो कमी है वह चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में शमिल है। जो आपके पिछले और आने वाले आंकड़े हैं उनसे लगता है कि आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है, पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है। माननीय मंत्री ने यह जिक्र नहीं किया जब आज हिन्दुस्तान में इंजीनियर्स बैठ कर सोचते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश कहां है। जन संख्या की दृष्टि से, दूसरे सूबों की बनिस्बत, चाहे आंध्र हो या मैसूर हो या उड़ीसा, उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में सबसे पीछे है।

(इस समय १ बज कर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम यातायात के मामले में पीछे ही हैं जब कि उत्तर प्रदेश हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। गांवों में बसने वाले लोगों को सुविधा होनी चाहिये कि जो माल वह अपने यहां पैदा करते हों उसको बाजार तक पहुचाने के लिए सड़कों की सुविधा होनी चाहिए। डिपार्टमेंट का यह विचार है कि हर गांव के चार मील की दूरी पर पक्की सड़क होनी चाहिये ढाई मील की दूरी पर कच्ची सड़क होनी चाहिये। लेकिन इस दिशा में कोई बात नहीं की गयी। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ५४ जिलों में से वह कोई भी एक जिला नमूने के तौर पर बता दें जहां चार मील और ढाई मील के हिसाब से पक्की और कच्ची सड़कों से सुसज्जित कर दिया हो। माननीय मंत्री का इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, १९६४-६५ में इसी मुहकमे से संबंधित एक स्कीम चलायी गयी थी, रूरल मैन पावर स्कीम। जन शक्ति योजना का बहुत प्रचार किया गया और कुछ सड़के मिट्टी डाल कर बनाई गईं। कुछ सड़कों पर कहीं-कहीं एक आध ईंट भी चढ़ गई हैं। आज पूरी जन शक्ति योजना फेल हो रही है इसलिये कि रुपया हमारे पास इस वक्त नहीं है और मंत्री जी कहते हैं कि रुपया जब आयेगा तब करेंगे। जन शक्ति योजना जिसके द्वारा आप चाहते थे कि जिन गरीब लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है उनको सड़कों पर काम देकर उनको मजदूरी के द्वारा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया जाय वह फेल हो रही है। मैं चाहता हूं कि जब आप अपनी दूसरी टिप्पणी देंगे तो मेरी बातों का उत्तर दें कि जिन स्कीमों पर जन शक्ति योजना के अधीन काम अधूरा है जिन पर और कुछ ही रुपयों की जरूरत है उनको पहले पूरा कर दें। उदाहरण के लिये हमारे गोरखपुर जनपद में इस योजना के अधीन चार पांच सड़कें ली गयीं लेकिन वह सारी की सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। वे न जिला परिषद के अन्तर्गत आती हैं और न पी० डब्ल्यु० डी० के अधीन कौन सा डिपार्टमेंट उनकी देख रेख कर रहा है, यह भी पता नहीं है। इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिय।

दूसरी तरफ सुरक्षा की बात है। उसकी दृष्टि से अपने उत्तर के पहाड़ी बार्डर के जिलेहैं जिनसे लगा हुआ दूसरा देश है उनकी सड़कों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सन १९६२ के बाद एक योजना बनी और हमारे यहां एक डिवीजन नया खुला जिसके अधीन बरेली से अमीन गांव तक सड़क बनाने की योजना हुई। बड़ा लम्बा खर्च है उसको आप देखे। यह बहुत अहम मसला भी है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही अपने डिपार्टमेंट की प्रशंसा में कि उनके डिपार्टमेंट ने इस बात की कोशिश की कि ठेकेदारी की प्रथा को खत्म करके डिपार्टमेंट खुद ही उस काम को कराये। लगा कि जैसा इनका डिपार्टमेंट काफी एफीशियेंट है, काफी अच्छा है और काफी खूबसूरत डिपार्टमेंट है और उसने बड़ा अच्छा काम किया है। एक नया एल० आर० पी० डिवीजन हमारे गोरखपुर जिले में है। इसमें चार सड़कें है---६-४, ६-६, ७-१, और ७-२। ६-४ की सड़क लखनऊ गोरखपुर सड़क पर जहां पर २ करोड़ ६४ लाख घन फुट मिट्टी डालनी चाहिये थी डिपार्टमेंट को वहां आपके डिपार्टमेंट ने केवल ९८ लाख घन फुट मिट्टी छोड़ी है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं ६-६ वाला जो कसया बाई पास है वहां २५ लाख घनफुट मिट्टी पड़नी चाहिये थी वहां केवल ६ लाख घनफुट मिट्टी पड़ी है। तीसरे ७-१ नम्बर का जो कसया तमकुही बाई पास है वहां सवा ३ करोड़ घनफुट मिट्टी पड़नी चाहिये थी लेकिन सिर्फ डेढ़ करोड़ घनफुट मिट्टी पड़ी है। इसी तरह से तमकुही सलेमपुर बाई पास पर ७० घनफुट मिट्टी डालना चाहिये थी लेकिन वहां सिर्फ ५२ लाख घनफुट मिट्टी डाली गयी है। इन सारे बाई पासेज पर जब जांच पड़ताल की बात आयी तो जो सारा मस्टर रोल है वह फ़रजी बना हुआ है। उसकी नकल मैं आपके पास भेज दूंगा अगर आप चाहेंगे ३० टी १६ मस्टर रोल हैं जिसमें २० आदमी रोज दिखाये गये हैं। इसमें जब जांच पड़ताल होती है तो आपको यह सुनकर हैरत होगी कि सारे कागजात सारे मस्टर रोल्स ऐसे हैं जिनमें २५ लाख रुपये का घोटाला है गोरखपुर में गायब हो जाता है यह कह करके कि कागजात पर डाका पड़ गया है। यह आपका डिपार्टमेंट है। मान्यवर, सजा किसको मिलती है। जिन दो क्लर्कों की यह ड्यूटी लगाई गई है कि आप इन कागजात को लखनऊ हेड आफ़िस

[श्री रामकरन]

पहुंचायेंगे, उनको सजा दी गई । वे दो हैं एक असिस्टेंट इंजीनियर और दूसरा ओवरसियर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस २५ लाख रुपये का घोटाला है उस दो करोड़ रुपये की योजना में ५ करोड़ रुपये की मशीन मंगाई गई जिसमें ३ करोड़ इस्तेमाल हुई हैं और दो करोड़ की मशीन आज तक किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है । इस प्रकार जो गड़बड़ी हुई उस गड़बड़ी की जांच पड़ताल करने पर असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर, क्लर्क और चपरासी को सजा होती है। एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेन्ट इंजीनियर और एडीशनल इंजीनियर जो सबसे बड़े मुढ बैठे हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह २५ लाख का घोटाला क्लर्क नहीं कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं वह १०, ५०, १००, २०० या हजार का कर सकता है और इतना ही लालच उसको हो सकता है लेकिन उनकी हिम्मत २५ लाख के गबन करने की नहीं हो सकती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो विभाग की गड़बड़ी का सवाल मैंने आपके सामने रखा है इसको आप देखें।

दूसरा उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं बरेली के ओवरसियर का । एक ओवरसियर हैं श्री पचौरी, उन्होंने आर० सी० मित्तल एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ २ लाख रुपये की गड़बड़ी के संबंध में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के पास लिखा । जब उन्होंने ऐसा किया तो उन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने उनके दो इन्क्रीमेंट बन्द कर दिये । दूसरी बार लिखने पर तीसरा इंक्रीमेंट स्टाप कर दिया है इस प्रकार जब उसने कई बार लिखा तो उन सुपरिन्टेंड इंजीनियर ने उस ओवरसियर श्री पचौरी के ९ इन्क्रीमेंट बन्द कर दिये । यह आपके विभाग की बात है । आर०सी० मित्तल एक्जिक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ़ जब २ लाख की गड़बड़ी का चार्ज उसने लगाय तो ९ इंक्रीमेंट उनके रोक दिये गये । मित्तल साहब पिछले २ साल से वहां पर मौजूद हैं। इसके बाद दूसरी मिसाल देता हूं। श्री पचौरी के खिलाफ १३ चार्जेज की एक चार्जशीट लगाई गई । वह एक साल तक सस्पेंड रहे । फिर उन चार्जेज को विभाग ने वापस लिया । फिर उनके ऊपर चार्जेज लगाये और उनको फिर सस्पेंड किया । १३ चार्जेज के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई और फिर से उनके ऊपर चार्जेज लगा दिये गये । यह आपका विभाग कर रहा है।

जहां तक आपके विभाग में भ्रष्टाचार का ताल्लुक है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस तरह की मिसाल आपके विभाग की इस प्रांत में एक नहीं अनेक हैं। मैं आशा करता हूं मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे । जहां तक ठेकेदारों का प्रश्न है इस विभाग में चार तरह के ठेकेदार हैं। इन ठेकेदारों के लिए कुछ कायदे कानून हैं। एक टेंडर फार्म होता है जिसको इनका विभाग भरता और भरवाता है । ८ क्लाज के अन्तर्गत कुछ एग्रीमेंट होता है । यह क्लाज आपके विभाग से सुपरवीजन से संबंध रखता है और उसकी तरफ ही मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सुपरवीजन के अलावा इनका डिपार्टमेंट क्या करता है? सड़कों, पुलों और इमारतों की निर्माण संबंधी गड़बड़ियां क्यों होती हैं, क्यों गिर जाती हैं, मजबूत क्यों नहीं बनतीं ? जब ठेकेदार टेंडर फार्म भरता है तो ठेकेदार अपना बिल स्वयं बनाकर देगा। वह अगर 'ए' क्लास का है तो उसे एक असिस्टेंट इंजीनियर की क्वालिफ़िकेशन का अगर बी० या सी० क्लास का है तो कोई टेक्निकल असिस्टेंट, ओवरसियर की क्वालिफ़िकेशन का रखना पड़ेगा कायदे के मुताबिक लेकिन इतना लम्बा-चौड़ा डिवीजन है, डेढ़ हजार से ऊपर ठेकेदार काम करते होंगे कोई भी ठेकेदार इस काम के लिए किसी को नहीं रखता और आपका जो इंजीदियर है, ओवरसियर है वही उसकी नौकरी करता है, वही बिल बनाता है। जब वह ठेकेदार की नौकरी करेगा तो कितना नुकसान होता है उससे । अगर ठेकेदार ३०० रुपये का नौकर भी रखता अपने काम के लिए तो इतने टेक्निकल हैंड हैं वह सब एम्प्लायड हो जाते और ठेकेदार से राज्य को लाभ पहुंचता। लेकिन आज होता क्या है कि उनके डिपार्टमेंट की मेहरबानी से ५७-५८ लाख रुपया साल में ठेकेदारों को बचता है, ६० लाख के करीब बच जाता है और उसमें उन ओवरसियरों और असिस्टेंट इंजीनियरों का भी साझा है जो उनकी नौकरी बजाते हैं । अगर ठेकेदार का

टेक्निकल आदमी काम करता है और ऊपर से सुपरविजन वाला आदमी काम करता है तो आपस में क्लैश होता और समझदारी से ठेकेदार काम करते। यह न होकर जब सभी का, नपाई, लेखा-जोखा ठेकेदार उन ओवरसियरों से कराते हैं तो उसमें सुपरवीजन का काम नहीं हो सकता है। संभवतः १९६५ के लगभग चीफ़ इंजीनियर का कुछ अमेंडमेंट इसमें हुआ है लेकिन टेंडर फ़ार्म या एग्रीमेंट में कोई तब्दीली नहीं है। कोई जी०ओ० शायद डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला गया है जिसमें कुछ तरमीम करना चाहते हैं ताकि सुपरवीजन के लिए जो कायदे कानून हैं उनको मजबूती के साथ अपनाने की कोशिश करें। आपके इंजीनियरों और ओवरसियरों ने कभी किसी बात की गारंटी के साथ काम किया है? जब देश गुलाम था तो सड़क और पुल की लाइफ़ गारंटी होती थी १०-१०, २०-२०, ३०-३० और ४०-४० साल की। २१ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद आज देश के काम करने वाले लोगों की क्या भावना है? किसी एक भी योजना का नाम ले लिया जाय इस प्रदेश में जिसकी गारंटी प्रदेश में इंजीनियर ने ली हो। कि यह २० साल तक चलेगी। उसके बाद मरम्मत आदि में पैसा खर्च होगा। मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश रिजीम में, जब कि हम गुलाम थे, जब कि हममें इतना राष्ट्र प्रेम नहीं था, हमारे इंजीनियर जो भी सड़कें आदि बनाया करते थे उसकी गारन्टी लिया करते थे। लेकिन आज कोई गारन्टी नहीं लेता। माननीय मंत्री जी तो अनुभवी मंत्री हैं, कभी हो सकता है यह विभाग उनके पास न रहा हो, मगर अधिकतर वे इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, उन्हें इंजीनियरों से पूछना चाहिये कि भाई यह क्या है। मैंने एक इंजीनियर से पूछा तो उसने कहा कि आजकल हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, स्लैकनेश, है, सुपरवीजन ठीक से नहीं होता, यह सब उन्होंने कहा। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये।

आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि रोड्स पर ट्रैफिक बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है। श्रीमन्, प्रदेश की जन संख्या काफी तेजी से जब बढ़ रही है तो रोड्स पर लोड भी बढ़ेगा ही। रोड बनाने से पहले आपको सोचना चाहिये कि लोड बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपको सड़क बनानी चाहिये। सड़कें इतनी कम चौड़ी होती हैं कि अक्सर उसके कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप सारी चीजों को एकदम दुरुस्त कर दीजिये, मगर आप अपनी पुरानी गलतियों से सीख लीजिये, ऐसा प्रयत्न कीजिये कि वे गलतियां फिर न होने पायें। अगर इस तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो देश गिरावट की ओर ही जाता रहेगा और सारे प्रदेश की जनता की भावना भी आपके खिलाफ हो जायेगी।

संविद सरकार ने अपने समय में मजदूरों के संबंध में एक जी०ओ० निकाला था और घोषणा की थी कि १५ हजार लोगों को हम रेगुलर करेंगे। उस जी०ओ० के मातहत १३४६६ लोगों को रेगुलर करने की बात जब आपके सामने आयी तो विभाग ने उसको दो भागों में बांट दिया एक मेन्टीनेंस में और एक कांस्ट्रक्शन में। इस प्रकार ५० फीसदी लोगों को ही रेगुलर किया जा सका, ५० परसेंट लोग अधर में ही लटक गये। तो आपके विभाग में जो यह बदले की भावना वाली प्रवृत्ति है यह खत्म होनी चाहिये। छोटे काम करने वाले मजदूरों के साथ कोई बदले की भावना नहीं रखना चाहिये स्थानीय अधिकारियों को उनके प्रति अच्छी भावना रखना चाहिये। अगर यह हो जाय तो फिर बेगारी लेने की बात भी नहीं होगी। इससे उनको छुट्टी मिल जायेगी।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां मैदानी इलाके में भी मजदूर हैं और पहाड़ी इलाके में भी काम करते हैं। पहाड़ी इलाके में काम करने वाले लोगों को आप मान्यवर, कुछ अलाउन्स अधिक देते हैं। तो मेरी गुजारिश है

[श्री रामकरन]

कि अगर संभव हो सके तो पहाड़ी इलाके में काम करने वाले मजदूरों को कुछ अलाउन्स देने की बात सोचें। श्रीमन्, इसके अलावा एक और भी दिक्कत पैदा हो रही है कि जो पी० आर० सी० की रिपोर्ट बनी है उसमें आपके मुहकमें में काम करने वाले बेलदार, जिनकी संख्या १० हजार है, को ३०-१-५० का ही ग्रेड दिया गया है और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वालों को आप ५०-१-७५ का ग्रेड देते हैं। यह अन्तर नहीं होना चाहिये, सरकार इस ओर भी ध्यान दे। जहां तक सड़कों पर काम करने वाले बेलदार लोगों की बात है उनमें कुछ गांव के लिए भी होते हैं। उनको एक निश्चित सड़क दस मील की दूरी की होती है उन पर वे मजदूर काम करते हैं और काम करने के बाद अपने गांव लौट जाते हैं। उनको ट्रांसफर करने की संभावना रक्खी गई है। जो दस मील के अन्दर काम करते हैं और जिनको ६० और ७० रुपये तनख्वाह मिलती है उसको ८०० मील की दूरी पर भी क्या ट्रांसफर कर देंगे। इस पर भी ध्यान जाना चाहिये।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक करप्शन का सवाल है, शिकायतों का सवाल है, आपका भी मुहकमा उसी ढंग से काम कर रहा है। अगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ हमारी शिकायत है तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ही उसकी जांच करेंगे। अगर इस प्रकार से इन सारी चीजों को निपटाना है, दूर करना है, तो आपको चाहिये कि इसकी अलग कमेटी बननी चाहिये जिसमें पब्लिक के आदमी हों, डिपार्टमेंट के आदमी हों और मजदूरों के भी प्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से जांच करें तो जो गड़बड़ी की संभावना या शिकायतों के दब जाने की संभावना या फिर शिकायतों के न करने की इच्छाओं की संभावना काफी दूर हो जाती है। इन सारी चीजों की ओर आपका ध्यान खींचते हुए अब मैं गोरखपुर से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा। एक सड़क गोरखपुर जिले में सबसे पुरानी है सहजवां–बखिरा। आपका नियम है कि सूबे से कनेक्ट करने वाली सड़क को प्राथमिकता दी जाय और एक जिले से दूसरे जिले को कनेक्ट करने वाली सड़क को दूसरे नम्बर पर रक्खा जाय और एक जिले के अन्दर जो सड़कें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं उनको तीसरे नम्बर पर रक्खा जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह वह सड़क है जो एक जिले से दूसरे जिले को मिलाती है। वह सड़क केवल १४ मील लम्बी है। उसका संबंध सोधा नैपाल के बार्डर से हो जायेगा लेकिन वह सड़क आपके मुहकमें में नहीं आ पाई। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उस सड़क की ओर जाना चाहिये।

मान्यवर, एक ऐसा इलाका है हमारी तरफ जहां जब नदियां बढ़ती हैं तो वह टापू जैसा हो जाता है। उसको कनेक्ट करने का आपके यहां कोई रास्ता नहीं है। वह है सहजवां–कुआवल घाट। उस घाट पर सड़क जाती है। कुआवल में पुल बनाया जाय तो पच्चीस मील की दूरी कनेक्ट हो जाती है।

दूर-दूर तक कोई आदमी दिखायी नहीं देता। वहां तो उस समय ऐसा मालूम पड़ता है कि हम हिन्दुस्तान के बाशिन्दे ही नहीं, शायद पाकिस्तान के हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिखायी देता है। इस चीज की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामकरन जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा था। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीति के संबंध में जो विचार व्यक्त किये, उनसे मैं सहमत नहीं हूं, इसलिये उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, आप जानते हैं कि जब किसी देश या विदेश का मानचित्र हमारे सामने आता है, उसमें प्राकृतिक दिशायें चित्रित होती हैं। साथ ही साथ देश और विदेश के संचार साधन भी अंकित होते हैं। १९४७ में जो हमारे प्रदेश का मानचित्र था उसमें ९३०० LBSNAA

मील की पक्की सड़कें दिखायी गयी थीं लेकिन १९६६ में १६८९३ मील की सड़कें चित्रित की गयी हैं। इस प्रकार से ७५९३ मील की बढ़ोत्तरी हुयी है। इससे साबित होता है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ही नहीं है वह पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट है। इस चित्र को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस विभाग द्वारा कितना रुपया जनता के लाभ के लिये लगाया जाता है। मैं माननीय मित्र से अपील करूंगा कि वह अपने भ्रम को दूर कर दें और सार्वजनिक निर्माण विभाग को पब्लिक वेल्थ विभाग समझें।

हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश सड़क निधि कायम की गयी है जिसके अन्तर्गत ६००० मील लम्बी सड़कें, और २२४ पुलों का निर्माण किया गया है। इस वर्ष अनुमानतः ५५६.८३ लाख रुपये की लागत से प्रदेश की वर्तमान सड़कों का सुधार और निर्माण करना है। इसके लिए मौजूदा आयव्ययक में ६०.२३ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से १९५६ में उत्तर प्रदेश में एक सेतु निधि का सृजन किया गया और उससे नये पुलों का निर्माण किया गया। इस निधि से पुलों के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारी प्रगति की निशानी है। १९६५-६६ में ५.३९४ करोड़ रुपया निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था जो बढ़ते बढ़ते ६८-६९ में १६.५९४४ करोड़ हो गया। हमें आशा है कि इसमें से बहुत सा कार्य अब तक समाप्त हो गया होगा।

मान्यवर, यदि हम इस विभाग की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर दृष्टि डालें तो हमको विदित होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत ७९६ मील सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार, १२५४ मील नयी सड़कें जिनमें ८५४ मील की ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं। ये आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि अभी तक हमारी सड़कों का निर्माण कार्य शहरों की ओर ही होता था लेकिन अब ग्रामोंकी ओर भी होने लगा है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रामीण जनता के हित की पूर्ति की लिये, उसकी सुख सुविधा के लिए उत्तरोत्तर सजग है। माननीय मंत्री जी अपने कार्य काल में ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहे हैं।

मान्यवर, १९६९-७० की वार्षिक योजना में सड़कों और पुलों के लिए केवल ६.२५ करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। हम यह मानते हैं कि हमारे यहां पर धनराशि की कमी है लेकिन प्रदेश की जैसी आवश्यकता है, जैसा कि हम सब लोगों के सामने हमारे मतदाता चुनाव के समय बराबर इस बात की मांग करते रहे हैं और हमसे आश्वासन चाहते हैं कि उनके आवागमन की जो कठिनाई हैं उनको किसी न किसी रूप में दूर करायेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे इस कथन से इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य पूर्णरूप से सहमत होंगे कि यह धनराशि और मिलनी चाहिये और इसको बढ़ा कर ऐसी सीमा पर लाना चाहिये जिसे कि हम सब लोगों की उन भावनाओं को प्रतिष्ठित किया जा सके जिसके लिये कि हम उनसे कह कर आये हैं। सभी लोग और बातों के साथ-साथ अपने यहां की स्थानीय समस्याओं की ओर माननीय मंत्री की का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिकायत यह है कि यह धनराशि काफी ज्यादा क्यों नहीं है। यह धनराशि उस सीमा तक मिलनी चाहिये कि जो निर्माण का कार्य है वह अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके।

इस विभाग में एक विभागीय निर्माण यूनिट खुली है जिसने बहुत ज्यादा काम किया है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए उस पैमाने पर ठेकेदार नहीं मिलते हैं जिस पैमाने पर वह कार्य होना है। देहात जैसी छोटी जगहों में भी ऐसे ठेकेदार उपलब्ध नहीं होते हैं जो उस तरह के कार्यों को करा सकें। मुझे प्रसन्नता है कि यह विभाग ढंग से काम कर रहा है लेकिन

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

उसमें और भी एफिशिएंसी बढ़ायी जा सकती है और अच्छा होगा कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग को यह आदेश दें कि जो एफिशिएंसी अब तक प्राप्त हुई है उसमें और भी बढाने की गुंजाइश है ।

एक सदस्य—

श्रीमन, कोरम का अभाव है इसलिये कार्यवाही स्थगित की जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

मान्यवर, अभी कोरम का कोई सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यह परम्परा रही है कि दोपहर में भोजन के लिए कुछ ढील-ढाल रहती है लेकिन जब कोरम का सवाल उठा दिया गया है तो ठीक है, घंटी बजावें ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक विभागीय निर्माण यूनिट कायम की गयी है इसकी एफिशिएंसी को और भी बढ़ाने की जरूरत है जिससे किसी माननीय सदस्य को किसी भी तरह की शिकायत करने का मौका न प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, पी० डब्ल्यू० डी० में कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में है । पिछले वर्ष लगभग १३ हजार विभागीय कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान किया गया । इस समय भी विभाग के सामने उन कर्मचारियों की कुछ शिकायतें और मांग हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन मांगों के सिलसिले में उदारता पूर्वक विचार करने की कृपा करें और मुझे विश्वास है कि हमारी प्रार्थना पर वे ध्यान देंगे । और मैं समझता हूं कि उन मांगों को स्वीकार करने में उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । मान्यवर, इसी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में यह कहा जाता है कि कहीं पर प्रोपोर्शन में कम मसाला लगाया जा रहा है और कहीं पर सीमेंट कम प्रपोर्शन में लगाया जाता है । तो इस सिलसिले में मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक आडिट सेल है उसके अधिकारी स्थान-स्थान पर जाते हैं और वे देखते है कि संबंधित भवन या पुल में वांछित मात्रा में मसाला लगाया गया है अथवा नहीं । इसलिये अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो तो वे उसे माननीय मंत्री जी के पास भेज सकते हैं ताकि जहां पर गड़बड़ी हो उसको ठीक करा सकें और दोषी अधिकारियों को सजा दे सकें । यह हमारा और आपका सब का कर्त्तव्य है ।

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि एक एन्टी करप्शन कमेटी बनी हुयी है । इस कमेटी का काम है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हो, उसकी जांच होनी चाहिये और व विभाग को यह भी बताती है कि उन्हें उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करनी चाहिये । तो अगर किसी माननीय सदस्य कोई शिकायत है तो उसे विभाग के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिये ।

इस विभाग में एक बड़ी दिक्कत है कि सारा बजट फरवरी के आखीर में या मार्च के प्रथम या दूसरे सप्ताह में भेजा जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि जो काम निर्धारित रहता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है । अगर आपब जट लिटरेचर को देखें तो इससे स्पष्ट होगा कि हर साल जितनी धनराशि मंजूर होती है उसका केवल १० प्रतिशत ही इस्तेमाल होता है और शेष

दूसरे वर्ष में ट्रांसफर हो जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि जो प्रगति इस वर्ष में होनी चाहिये वह दूसरे वर्ष में होती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में यहां गंगा का किनारा पड़ता है। जहां पर सदैव बाढ़ आती रहती है। हमारे क्षेत्र से एक बाढ़ योजना बनाकर भेजी गयी थी लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मेरे इलाक में एक मौरावां बीरार सड़क है, जो कच्ची है। उसको पक्की कराने के लिये कई बार कहा गया लकिन अभी तक तक उसक सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मेरे क्षत्र में एक लोनी नदी है जो सारे क्षेत्र में स प की तरह से घेरे हुए है। अगर किसी को किसी दूसरे गांव में जाना होता है तो इसे पार करना आवश्यक होता है। पहले तो इस नदी में केवल बरसात में ही पानी रहता था और गर्मियों में सूखी रहती थी लेकिन अब नहर होने की वजह से इसमें जाड़ों में भी पानी रहता है जिसकी वजह से वहां के रहने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहां पर कम से कम २–३ जगहों पर बजोरा (विकास क्षेत्र, सुमेरपुर) तथा अढ़ौली एवं पसंडा में पुल बना दिये जायं।

अन्त में मैं जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)––

श्रीमन्, मैं इस बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने क लिय खड़ा हुआ हूं और जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं। विरोध इसलिय करता हूं कि मैं प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके से आता हूं जहां पर हमार मंत्री जी कई बार पधा चुके हैं, लेकिन इलाक में सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा स्टार इन ग्रिड के फारमूल पर सड़कें बनायी जाती है, लकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि वह इस फायमूले के आधार पर सड़कों के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। माननीय मंत्री जी बिजनौर जिले के रहने वाले है। वहां पर उन्होंने स्टार इन ग्रिड के फारमूले के मातहत इतनी ज्यादा सड़कें बना दी हैं, कि वे सरप्लस हैं लेकिन इटावा और फर्रुखाबाद जिले ऐसे है जहां पर इस फारमूले के अनुसार सड़कें माइनस में है। हमारे माननीय मंत्री जी अयाना एक सार्वजनिक सभ में भाषण भी कर आय थ कि बीझलपुर से मुरादगंज तक एक सड़क बनवा देंग लेकिन इस ओर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मंत्री जी ने कहा था कि बहुत शीघ्र सड़क का निर्माण कराया जायेगा लेकिन आज तक उस सड़क पर निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। कंचोसी से रसूलाबाद तक सड़क बनाना है लेकिन इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया गया हालांकि कंचौसी बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है। कंचौसीजरसूलाबाद के बीच में रिहन्द नदी पर गधुवापुर का पुल भी बनाना है। इसी तरीके से रूरा से दिवियापुर तक की नहर पटरी पर पक्की सड़क का निर्माण करा दिया जाय तो कानपुर इटावा और दिवियापुर का सीधा सड़कों स सम्बन्ध हो जायेगा। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में दो-दो पुल ८–८, ९–९ लाख रुपये की लागत से बनाने की योजना बनाई है और निर्माण भी शुरू हो गया है। लेकिन इटावा जिल में सेंगर नदी पर भर्थना और लखना के बीच मेंजो पुल बना हुआ है वह टूट गया है।वह टूट गया है और उसमें कितनी ही जानें भी चली गई और इस विधान सभा में बड़े जोर स चर्चा भी हुई थी लकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार औरैया स फफूंड तक जो सड़क जाती है वहां पर सेंगर नदी पुर सुमरपुर सरैंध्या का पुल बनाने के लिये जनता ने ९० हजार रूपया भी जमा किया था लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार सेंगर नदी पर जुवा का पुल ह जो जीर्णशीर्ण है। लेकिन इस पुल की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। २० साल से बराबर कांग्रेस सरकार इस मामले में पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाये जा रही है। ऐसी हालत में जो लोग यहां बड़े अरमान से चुन कर भेजे जाते हैं, दूसरी पार्टीज की तरफ से उनके अरमानों का क्या होगा? कहते है सड़कों और

[श्री भारत सिंह चौहान---]

पुलों के लिये पैसा नहीं है। मा० सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने देहरादून में जमीन खरीदी है लेकिन उस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उस जमीन को डेवलप करने क लिये और उसकी अच्छी कीमत वसूल करने के लिय देहरादून में ४० लाख रुपये की लागत से ९ मील लम्बा बाई पास बिला वजह बनाया जा रहा है जो देहरादून-मसूरी व देहरादून हरिद्वार रोड को मिलायेगा। इस तरह का आचरण जब मंत्री महोदय स्वयं करते है और ४० लाख सरकारी रुपये का व्यय करा रहे हैं तो फिर कैसे पिछड़े इलाकों में सड़कें बनेंगी।

इस विभाग में किस तरह से लाखों रुपया भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में बरबाद किया जाता है, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दिसम्बर ६८ में हमीरपुर में जमुना और बेतवा के घाटों के लिये टेन्डर मांगे गये थे। २८ फरवरी को घाट का ठेका समाप्त होने को था। उस ठेकेदार का ठेका २८ फरवरी, ६९ से पहले ७ लाख रुपये का था। २८ फरवरी के बाद जो नये टेन्डर आंमत्रित किये गये उनमें जो सबसे ऊंची कीमत का टेन्डर ११ लाख रुपये का आया है उसको आज तक कांट्रेक्ट नहीं दिया गया। लेकिन उस पुराने घाट के ठेकेदार को, जिसका टेका ७ लाख कुछ हजार का है लगातार एक्सटेंशन दिया गया सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा क्यों? और जो नुकसान हुआ उसको कौन भुगतेगा? जबकि जिलाधीश, हमीरपुर ने और वहां की जनता न बड़े पैमाने पर उसक खिलाफ शिकायतें लिख कर भेजीं थीं? कौन सा सम्बन्ध था मंत्री जी का उस ठेकेदार से, जिसकी वजह से जनता के लाखों रुपये बरबादा किये जा रहे हैं? इसके अलावा कानपुर शहर में जो रोडवेज का बस स्टेशन है वह नहर की पटरी के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर स्थित है। बहुत से सदस्यों को वहां जाने का मौका मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि वह इतना कन्जेस्टेड इलाका बनवाया गया है, जिससे वहां की जनता को बड़ी परेशानी है। माननीय मंत्री जी को इस बस स्टेशन को कहीं और हटवाना चाहिये और नहर विभाग को हिदायत करनी चाहिये कि उस जगह को डेवलप करें ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो।

दूसरी बात यह कि जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां १४-१४ फीट चौड़ी सड़कें बननी चाहिये लेकिन वहां ९-९ फीट चौड़ी भी नहीं है और जहां ट्रैफिक नहीं है वहां १४-१४ फीट चौड़ी सड़क बनी हुई है। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह चरम सीमा पर है। औरैया-इटावा सड़क पर एन्क्रोचमेंट के नाम पर वहां के इंजीनियर और ओवरसियर ने हजारों रुपये लोगों से लूटे। जो मुकदमें अदालत में भेज दिये जाते है, क्या कभी मंत्री जी इस बात की भी जांच कराते हैं, कि कितना पैसा ले कर ओवरसियर और इंजीनियर समझौता दाखिल करा देते हैं। इस तरह से हजारों रुपये रिश्वत में ले कर नागरिकों को परेशान किया जाता है। माननीय मंत्री जी इटावा का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसकी तरफ नजर डालें। यमुना और चम्बल के इलाके में सड़कों का निर्माण करायें। ऊदी से चकरनगर सड़क परमट रोड को जरूर बनवायें और सेंगर नदी पर और खास तौर से रिंद नदी पर जिन पुलों के निर्माण की आवश्यकता है इधर उन्हें ध्यान देना चाहिये। लेकिन उधर उनका ध्यान इसलिये नहीं जाता, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात में मुब्तिला है कि उनकी कमाई कैसे बढ़े। हमीरपुर के जिस ठेकेदार का मैं ने जिक्र किया वह ब्लैक लिस्टेड है लेकिन मंत्री जी फिर भी उससे मीठा रिश्ता निभा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

श्री राजबिहारी सिंह (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करने के लिय और सार्वजनिक निर्माण मंत्री के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा विभाग है जिसमें कोई कटौती का प्रस्ताव होना ही नहीं चाहिये। इस विभाग क जिम्मे इस समय सड़कों, पुल और मकान का बनवाना और उनका रखरखाव ये

चार मुख्य काम हैं। हर विभाग के जितने योजनागत मकान हैं, जैसेमेडिकल कालेज का निर्माण कृषि कालेज का निर्माण, विभिन्न भवनों का निर्माण आदि सब यही विभाग करता है। दूसरे पुलों क निर्माण इसका सबसे बड़ा काम है। सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव इसका काम है। तो इस विभाग में रुपये की बहुत कमी खुद ही है। योजना जब से बनी है तब से सड़कों और पुल के लिये रुपये की कमी है। इस पर अच्छी तरह से काम करने के लिये, सड़क निधि और पुल निधि का निर्माण सरकार ने किया और उसमें रुपया इकट्ठा करके उससे काम चलाती है। इसलिये इस विभाग में कटौती का सवाल नहीं होना चाहिये। अब रह गया इस विभाग के काम का सवाल। हमारे भाई साहब ने सवाल किया कि इस विभाग में कोई प्रगति नहीं हुई। चाहे नागपुर प्लान हो या बम्बई प्लान हो यह निर्बाध गति प्रगति की ओर बढ़ रहा है। १९४७ में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ९३०० मील लम्बी सड़कें थीं। नागपुर प्लान में हमारे प्रदेश के लिये १५,९७४ मील लम्बी सड़कें तथा बम्बई प्लान में ३९,०८६ मील लम्बी सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है। आप देखेंगे कि १९ मार्च, १९६९ तक हमारे यहां १९ ६०० मील लम्बी सड़कों का निर्माण हो जायगा। बम्बई प्लान के अनुसार ६७.७२ प्रतिशत योजना का काम पूरा हो रहा है। यह सड़कों के विकास के कार्य है।

अब पुलों की संख्या देखिये। जो तालिका दी गई है उससे मालूम होगा कि यह विभाग इधर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। ६८–६९ में ११ पुल बने हैं और २० सड़कों पर काम लगा हुआ है और कम से कम ३४ पुलों पर ६९–७० में काम लगा हुआ है। गंगा और रामगंगा का पुल बन रहा है। यह इस विभाग की प्रगति का काम है। पुल और सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव में काफी पैसा खर्च होता है। बड़ सवाल उठाय गय कि इस विभाग में काम खराब होता है। सीमेंट कम मिलाया जाता है। इसके लिये विभाग ने प्रयत्न किया है और शोध संस्थायें बना रखी हैं। यह दुर्गुणों से अछूता है यह न तो मंत्री जी कहते हैं और न कोई कह सकता है। लेकिन इसकी जैसी प्रगति है वह सराहनीय है।

भ्रष्टाचार का बड़ा सवाल होता है। इसक बार में मरी अपनी राय है कि इसको न तो सदन मिटा सकता है और न सरकार ही मिटा सकती है और न कानून से मिट सकता है। यह तो उस समय मिटेगा जब समाज भ्रष्टाचार क खिलाफ कोई सजग प्रयास हो। सदन में हम सरकारी अधिकारियों को चोर और भ्रष्टाचारी कहत हैं लकिन व्यवहार में क्या होता है। शादी विवाह के संबंध में हमारी निगाह आई० ए० एस०, इंजीनियर या ओवरसियर लड़के के ऊपर अपनी स्थिति के अनुसार जाती है। आप ओवरसियर के लिये यहां कुछ भी कहें लेकिन समाज में उसकी बड़ी इज्जत है। कहा जाता है कि फलां आदमी का काम बहुत अच्छा है। २०० रुपये तनख्वाह है और ५०० रुपये ऊपर की आमदनी है। मकान अच्छा बन गया है, कुंआ बन गया है और स्कूटर भी ले लिया है कहने का मतलब यह है कि इस चोर की समाज में बड़ी कदर हो रही है। समाज में जब तक चोरी करने वाले की कदर होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। अगर हम अपने आदमियों को भ्रष्टाचारी कहें, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको हम बुरा कहें वह अच्छा बनने का कोशिश करे। अगर किसी बुरे को अच्छा कहते जायं तो शायद वह अच्छा बनने की कोशिश कर सके। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सबसे बड़ा काम यहां बैठे हुए लोगों का है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में आन्दोलन करें, विरोध करें, तो भ्रष्टाचार मिट सकता है। इस सदन में भ्रष्टाचार कहने से भ्रष्टाचार मि ने वाला नहीं है। मैं दो तीन बातें पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक मिर्जापुर के पुल की बड़ी चर्चा है। माननीय मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ कर उस पुल को बनवाने की कोशिश करें। मैं बनारस की एक ऐसी सड़क की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो आज से नहीं होल्क के जमाने से, अहिल्याबाई के जमाने से, बाजीराव पेशवा के जमाने से सार्वजनिक निर्माण में है। मणिकनिकाघाट से कंदवा हो कर मणिकनिका घाट तक आने क

[श्री राजबिहारी सिंह]

के लिये २५ मील का दौरान है। इस पर पांच जगहें पाती हैं, कंदवा, भीमबंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारी। एक-एक जगह १५-१५, २०-२० धर्मशालाला बने हुये हैं। जिनमें एक साथ दो-तीन हजार आदमी रह सकते हैं। और सड़क कैसी है? प्रति साल एक महीने, माघ में हिन्दुस्तान के कोने कोने से आदमी आते हैं काशी की परिक्रमा करने के लिये। तीन साल के बाद हिन्दू धर्म के अनुसार जब एक अधिक मास होता है उस महीने में, अभी १५ जुलाई को अधिक मास बीता है, इसमें मदरास, पंजाब, केरल, बंगाल के दो-दो ढाई-ढाई लाख आदमी रोज परिक्रमा करते हैं। और उन धर्मशालाओं में रुकते हैं। अगर आप रामेश्वर से हरहुवा चले जायं बच कर आप जा नहीं सकते। आप जरूर गिरेंगे। इस सड़क की ओर माननीय मंत्री ध्यान दें। दूसरे काशीघाट जो हिन्दू राजाओं के बनवाये हुये हैं आज नष्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बरना कालिकाधाम में पुल बनाने की बात है। एक सड़क पुराने नक्शे में बनारस से रामेश्वरम् के नाम से है। उसमें बनारस से अदलहाट तक १२-१४ मील का ऐसा टुकड़ा है जिस पर दो-चार हजार आदमी रोज भाजी लेकर आते और जाते रहते हैं उस पर बरसात में कोई निकल नहीं सकता। इस सड़क पर भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव पर जो आपने बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना देखने में मेरे हृदय में बड़ी निराशा हुई, क्योंकि चौथी योजना में जौनपुर जिले को कुछ भी नहीं मिला है। २० साल से मेरे क्षेत्र में किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अभी श्री राज बहादुर सिंह जी ने बताया कि पी० डब्लू० डी० ने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में आप चल कर देख लें, वहां पर एक भी सड़क या पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। मैं जिला जौनपुर के बदलासी निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं। कांग्रेस के लोग आपके बीच में जो बैठे हैं जो मेरे ही जिले से चुन कर आये हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते है। हमने बड़ी आशा से इस योजना को देखा है जनता ने बड़ा धैर्य धारण किये रखा था लेकिन अब हमारे क्षेत्र के निवासियों का धैर्य समाप्त हो गया है। जौनपुर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए ४ जिलों में से एक है। पटेल कमीशन ने भी वहां पर सड़क निर्माण का कार्य बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बताया है लेकिन वहां पर कोई भी सड़क या पुल नहीं बना है। वहां पर मंडियाहूं सड़क जो दो तहसीलों को जोड़ती है और जो कि जिले की प्रमुख सड़क है, का बनना बहुत ही आवश्यक है। इस सड़क के न होने के कारण किसान आज अपने गल्ले को बाजार में नहीं ले जा पाता है। इस सड़क पर ३० मील का चक्कर लगा कर वहां के निवासियों को तहसीलों में पहुंचना पड़ता है। केराकत पर पीपे के पुल का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से जफरबाद से बेलावाघाट जो सड़क जाती है उस पर गठिया नाला है जिस पर पुल का होना परम आवश्यक है। यह ऐसा भयंकर पुल है जिस पर कई जानें हर वर्ष जाती हैं, लगातार क्रम लगा हुआ है जानें जाने का। इसकी तरफ सम्पूर्णानन्द जी के समय में उनका ध्यान दिलाया गया था। सम्पूर्णानन्द जी ने उस पर आर्डर दिया था सर्वेक्षण कराने का और सर्वेक्षण हुआ भी था, लेकिन उसके बाद वह भी अभी आपकी फाइलों में दबा हुआ है। आपने अपने बिजनौर जिले में तो डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कर लिया तथा दूसरे निर्माण कार्य करा लिये, लेकिन दूसरे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह आपका बहुत बड़ा पक्षपात है। क्या यही आपका समाजवाद है। आप समाजवाद का नारा तो बहुत लगाते है, लेकिन काम कुछ नहीं उसके मुताबिक होता है। यह आपका नारा बिलकुल थोथा है। मैं इस सदन में नया-नया चुन कर आया हूं और सोचता था कि इस सदन में हमें सही बातों के लिये दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, सही बात पर सब एक राय होंगे लेकिन मैं इसके विपरीत यहां पर देख रहा हूं। राज बहादुर जी ने सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता पर बल दिया है, मैं भी ऐसा मानता हूं, लेकिन वह कौन लाएगा। आपने २० वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ाया है, आप उसके

अगुवा हैं। आप सामाजिक क्रांति लाने के लिए आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे और जनता आपका साथ देगी। जौनपुर में एक शाही पुल है, मुख्य मंत्री से निवेदन किया गया था कि उस पुल का निर्माण होना चाहिये, पटेल कमीशन ने भी कहा था । लेकिन मैं इस बजट में देखता हूं उसका कहीं नामोनिशान नहीं है ।

दूसरी सड़क गौरा-बादशाहपुर से प्रसारा तक की है, आपके त्रिवेणी जी भी उस सड़क को देख चुके हैं। उस सड़क पर बरसात में कोई नहीं जा सकता है । त्रिवेणी जी का क्षेत्र मेरे क्षेत्र से लगता है हम लोगों को उस सड़क के न होने से बड़ी मुसीबत है । आप एक कमेटी बनवाइये और उसको देखवाइये । हमारे क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से निर्माण कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि केराकत पर गोमती नदी पर पीपे के पुल के लिए पटेल कमीशन ने अपनी सिफ़ारिश दी थी, लेकिन उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है । जो योजना है वह एक साल की ही यहां रखी गई है, यह बड़ी मनमानी है आपकी इस बारे में एक साथ पूरे पांच सालों का बजट रखा जाना चाहिये, जिससे यह सदन उस पर ठीक से विचार कर सके ।

मछलीशहर से मड़ियाहूं की सड़क का रुपया मंजूर है, लेकिन आपने उसे जाने कहां गायब कर दिया है। इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसे हमारे अधिकारी लोग शिष्टाचार समझते हैं। यह ५ परसेंट और १० परसेंट की बात छोड़िये ।

दूसरे मैं बताना चाहता हूं कि अराजपत्रित कर्मचारियों के विषय में सीनियारिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और मनमाने ढंग से उनका प्रोमोशन किया जाता है । इस संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आपके विभागीय प्रशासन की भर्त्सना की है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी अस्थायी हैं। संविद् के मंत्रि-मंडल ने वर्कचार्ज के मजदूर को स्थायी करने के लिए लिखा था । हमारे भाई रामकरण सिंह जी ने उसके बारे में बतलाया लेकिन आपने उसको दबा दिया । क्या यही आपका समाजवाद है और इससे मैं यह परिणाम निकालता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी अन्याय करने के लिए तैयार हैं।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जौनपुर से ढकवा होते हुए लखनऊ जो सड़क आती है उसका पेंटिंग नहीं हुआ है । इसके साथ ही बक्सा ब्लाक के अन्दर पीली नदी के पुल का निर्माण नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं आपका बालक हूं। एक सदस्य के नाते भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान दें और आज आश्वासन दें कि हमारी मांग को आप पूरा कर रहे हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों का धैर्य समाप्त हो चुका है, उसकी सीमा टूट चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त है ।

श्री चन्द्रमोहन (जिला गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तावित अनुदानों का समर्थन करता हूं। इससे कोई भी इंकार नहीं करता कि हमारे इतने बड़े प्रदेश को सड़कों की बहुत जरूरत है । लेकिन अभी काफी वक्त लगेगा उन सभी सुविधाओं को पाने में। किन्तु जहां तक इस बात का प्रश्न है कि २०,२२ सालों

[श्री चन्द्र मोहन]

में कुछ हुआ ही नहीं या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुछ कार्य नहीं किया यह आरोप गलत है क्योंकि आजादी से पहले यहां १५,११३ किलोमीटर सड़कें थीं अब वह बढ़कर ३१,५६६ किलोमीटर हो गयी हैं। यानी लगभग दुगुनी सड़कें इस दौरान में बनी हैं। श्रीमन्, इस संबंध में बहुत जोर दिया जाता है कि कृषि एक फंडामेंटल चीज है और उसकी बुनियाद पर हमें अपनी एकानामी को बनाना है तो इस सदन की भावना के अनुसार ही बजट में विभिन्न विभागों के लिये अनुदान तय किये जाते हैं किन्तु मैं अपने एक माननीय सदस्य का जिन्होंने यह कहा है कि पी० डब्लू० डी० का अनुदान कम है समर्थन करता हूं। वाकई सड़कों का जहां तक संबंध है वह भी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए परमावश्यक है। और उसके लिए इससे अधिक ऐलोकेशन होना ही चाहिये। अगर हम गल्ला पैदा करते हैं, बागबानी करते हैं बाग लगाते हैं या हमारा कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसको मारकेट में लाने के लिए तथा संचार साधनों से लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हम घर-घर तक, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक सड़कों का जाल बिछा दें। बाम्बे प्लान में कुछ इसी तरह की बातें कही गयी हैं कि १९८१ में जब वह प्लान पूरा हो जायगा तब कोई भी स्थान सड़क से चार मील से अधिक दूरी पर नहीं रह जायगा। बाम्बे प्लान में कुछ व्यावहारिक गलतियां हो सकती हैं और कुछ जिलों में या कुछ स्थानों में नाजानकारी की वजह से इसमें कुछ त्रुटियां रह गयी हैं।

एक माननीय विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि बिजनौर जिले के सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं तो उन के जिले में सब सड़कें बन गई हैं और बहुत ज्यादा प्रगति हुई। मैं उसी जिले से मिले हुए गढ़वाल जिले का रहने वाला हूं। उनकी सरहद मेरे जिले से मिली हुई है। एम० एल० सी० के चुनाव के सिलसिले में मैं उस जिले में गया था और वहां पर देखा है कि उतनी प्रगति नहीं है जितनी लोग कहते हैं। बम्बई प्लान के मुताबिक बिजनौर में ८४.८९ परसेंट, रामपुर में ८७.६४ परसेंट, आजमगढ़ में ८९.३८ परसेंट और अल्मोड़ा में १०८.२७ परसेंट सड़कें बनी हैं। जहां तक एफ़िशियेन्सी का संबंध है उसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आती है। अगर कोई कमी है तो वह साधनों की कमी है। हम अपने सीमित साधनों के अन्दर ही काम करते हैं। अच्छा होता अगर हम सड़कों के लिए कुछ और अधिक रुपया रखते।

मैं मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। यों तो जब हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो मालूम होता है कि अच्छी प्रगति हुई है। हमें ऐसा विश्वास है कि सन् ८१ तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे बल्कि और आगे बढ़ जायेंगे लेकिन किन्हीं कारणों से कहीं कहीं पर असमानता और असंतुलन रह गया है। कुछ जिलों की अधिक तरक्की हुई है और कहीं पर कम हुई है वे पीछे रह गये हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो जिले पिछड़ गये हैं, जहां पर कम सड़कें बनी हैं उन जिलों को अधिक प्राथमिकता दी जाय। बुन्देलखंड सड़कों में पीछे है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह है कि प्रदेश के स्तर से अधिक हैं। वहां का औसत ८९.१३ है। अल्मोड़ा में ११८.२७, देहरादून में ९२.८९, गढ़वाल में ६४.०९, नैनीताल में ८२.४५ और टेहरी में ९३.६८ प्रतिशत है। इस तरह से सरकार ने अपने ही कागजों में यह स्वीकार कर लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ अधिक औसत है फिर भी गढ़वाल तो प्रदेशीय औसत से अभी काफ़ी पीछे है। पूरे प्रदेश में बम्बई प्लान के मुताबिक ६७.०० प्रतिशत सड़क है। पर्वतीय जिलों में और कोई यातायात का साधन न होने की वजह से सड़कें ही साधन है जिनसे लोग आ जा सकते हैं। न वहां पर रेलवे लाइन है और न हवाई जहाज का साधन है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिशत अधिक होना चाहिये। सदस्यों से प्रार्थना है कि वह इस बात का समर्थन करें। वहां पर संचार का कोई अन्य साधन न होने के कारण

बम्बई प्लान के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक गुंजाइश वहां के लिए हो जाय तो बहुत लाभ होगा। वहां की स्थिति को देखकर कर वहां के लिए सड़कों का अलोकेशन किया जाय। अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते थोड़ा बहु। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि गढ़वाल जिले में लैंसडाउन निर्वाचन क्षेत्र में ढौंगा ब्लाक सब से अधिक गढ़वाल जिले में खुला, लेकिन हमारी कमी से या ध्यान आकर्षित न होने से १७८ ग्राम सभा के ब्लाक में एक भी सड़क नहीं है। मैं एक सड़क अविलम्ब मांगना चाहूंगा-गूमखाल-द्वारीखाल और ४–५ मील की कांडाखाल चेलू सेण अगर ये निर्मित कर दें तो वह उपेक्षित क्षेत्र कम से कम आने-जाने लायक हो जायगा और उस जीप का उपयोग हो जायगा जो ब्लाक को दी गयी है और प्रमुख साहब तो पहुंच जाया करेंगे। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और रामकरन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती का विरोध करता हूं।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)––

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग बड़ा महत्व का विभाग है। मैं तो यह सोचता हूं देश की, प्रदेश की बहुत कुछ प्रगति इसी विभाग पर आधारित है। समस्त प्रदेशों को सामने रखते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत बहुत पीछे है, चाहे जो दिशा हो। सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत मूलतः सड़क, पुल और भवन निर्माण आता है। तीनों दिशाओं में यह प्रदेश अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों के बहुत पीछे है। सड़क की स्थिति जिन जिलों के मंत्री रहते हों २०-२२ वर्ष तक चाहे जो हो, लेकिन जिन जिलों के मंत्री नहीं रहते हैं उनमें सड़क की स्थिति वास्तव में दयनीय है जैसी कि २०–२२ वर्षों के पूर्व थी। मैं कहना चाहता हूं विशेष रीति से प्रतापगढ़ जनपद के संबंध में वहां आजतक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। श्रीमन् सड़क का प्रदेश में उतना ही महत्व होता है जितना शरीर में नसों का। जैसे शरीर में नसों का जाल बिछा रहता है वैसे ही यदि सड़क का जाल बिछा हो तब तो वह देश प्रगति के पथ पर जायगा नहीं तो नहीं जायगा। प्रतापगढ़ में ३ तहसीलें हैं पट्टी, कुंडा और सदर। इन तीनों में कोई सड़क नहीं है, यद्यपि यह सही है कि प्रतापगढ़ जनपद से कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बराबर यहां आते रहे हैं, पर पता नहीं उनका ध्यान इस दिशा की ओर क्यों नहीं खिंचा। मैं सखेद कहना चाहता हूं कि सरकार प्रतापगढ़ जनपद के सड़क निर्माण की ओर ध्यान दे नहीं तो चाहे दूसरे जिलों में सड़क संबंधी विकास हो भी ले, अगर वहां नहीं होता है तो पूरे का पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ ही माना जायगा।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक सड़क रानीगंज से पट्टी तक जाती है। वह जिला परिषद् की सड़क है, लेकिन उसकी दशा यह है कि उस पर इक्का, मोटर, तांगा आदि तो चलना दूर रहा, उस पर मनुष्य भी नहीं चल सकता है। दिन में भले ही वह देख-देख कर चल लें, मगर रात में मनुष्य भी नहीं चल सकता। सरकार को इस सड़क के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, यह बहुत ही आवश्यक सड़क है। सड़क के बीच में सई नदी पर एक जामताली ग्राम पड़ता है। उसके बगल सई नदी पर अगर एक पुल बना दिया जाय तो रानी-गंज से पट्टी तक, ४–५ जनपदों का व्यापारिक संबंध हो जायेगा। प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहा-बाद और सुल्तानपुर इन ४–५ जिलों का व्यापारिक संबंध निश्चित रूप से इस सड़क के बन जाने से हो जायेगा।

श्रीमन्, सई नदी ने पट्टी तहसील को दो भागों में बांट रखा है। एक पट्टी वाला भाग, है जिसको पट्टी विधान सभाई क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा दक्षिण पट्टी वाला बीरापुर विधान सभाई क्षेत्र कहा जाता है। यहां की हालत यह है कि बरसात के दिनों में जानवर भी इस पार से

[श्री रामदेव]

उस पार नहीं जा सकते हैं। यदि बोरापुर विधान सभाई क्षेत्र के लोग इस पार से उस पार जाना चाहें तो जहां तक रुपया खर्च करके काम चल जाता था, वहां उनको ५–६ रुपये किराया खर्च करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी चक्कर लगाकर, घूमकर उनको जाना पड़ता है। अगर सई नदी पर पुल बन जाता है तो रानीगंज से पट्टी तक की सड़क, जो १३–१४ मील के करीब होगी, बन सकती है जिससे ३–४ जिलों में आवागमन की समस्या हल हो जाती है। एक सड़क और गाजी की बाग से मुबारकपुर तक अपेक्षित है। इस क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं है। अगर यह सड़क बन जाय तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। देल्हूपुर से रानीगंज तक की भी एक सड़क अपेक्षित है, इससे भी इलाहाबाद–प्रतापगढ़ का सीधा सम्बन्ध हो सकता है। इन सब सड़कों के न होने से वह क्षेत्र बहुत गरीब होता चला जा रहा है, आगे प्रगति करने की कोई गुन्जायश है ही नहीं। यही दशा श्रीमन्, सदर तहसील की भी है। वहां भी सड़कें नहीं हैं। यही स्थिति कुन्डा तहसील की भी है। कुन्डा से लेकर मोहनगंज तक की सड़क बहुत खराब है। सरकार को इन सड़कों को जिला परिषद् से लेकर पी० डब्लू० डी० को दे देना चाहिये। कुन्डा तहसील में और भी कई सड़कें हैं जिनका निर्माण आवश्यक है। वहां पर कई पुल तथा पुलियां ऐसी हैं जिनका निर्माण बहुत आवश्यक है। इससे निश्चित रूप से वहां का विकास संभव है। श्रीमन्, एक स्थल है जामताली। जहां सई नदी पर पुल का निर्माण नितान्त आवश्यक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोई बीस वर्ष तक सरकार का व्यवहार प्रतापगढ़ के साथ बड़ा सौतेला रहा है। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश समस्त प्रदेशों में से अपेक्षाकृत गरीब है। उत्तर प्रदेश में जितने जनपद हैं उनमें सब से गरीब प्रतापगढ़ का जनपद है, तो भी प्रतापगढ़ जनपद की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्रीमन्, हर दृष्टि से प्रतापगढ़ जनपद महत्वपूर्ण जनपद रहा है।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करना चाहता हूं। ठेकेदारी की प्रथा श्रीमन्, समाप्त होनी चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वयं निर्माण कार्य करना चाहिये। अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वयं निर्माण कार्यों को करता है तो निश्चित रीति से जो भ्रष्टाचार चलता है वह कुछ हद तक समाप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं, इंजीनियर और ओवरसियर जो होते हैं वे ठेकेदारों से प्रभूत धनराशि लेते हैं। आपके विभाग के सड़कों की स्थिति क्या चल ही है। मैं बहुत परेशान होता हूं जब देखता हूं कि रोडवेज की बसें प्रतापगढ़ में केवल ३१ हैं और प्राइवेट मोटरों की संख्या ३३ हैं। प्राइवेट मोटरें निरन्तर चलती रहती हैं। रोडवेज की बसों में प्रतिदिन का घाटा पांच सौ रुपये होता है। इस तरफ़ न पुलिस ध्यान देती है, न ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और न ही रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि यही लोग रिश्वतों को लेकर प्राइवेट मोटरें चलाते हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। पुल के लिये, सड़क के लिये या भवन निर्माण के लिये सरकार जो जमीन जो भूमि हस्तगत की है उसका न अभी तक मुआवजा दिया है और बहुत सी भूमि तो ऐसी है जहां काश्तकार का लगान अभी उनके नाम बंधा हुआ चला आ रहा है। यह विभाग के लिये कलंक है। ऐसी स्थिति की जानकारी करके, ऐसी स्थितियों का परीक्षण-निरीक्षण कर के सार्वजनिक निर्माण विभाग को चाहिये कि वह इन खराबियों को दूर करे। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने और माननीय मंत्री जी द्वारा उपस्थित अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए यह कहा कि अंग्रेजी जमाने के बाद इन २२ वर्षों में सड़कों के काम में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि १९४७ में १४,९२५ किलोमीटर सड़कें थीं। जब आजादी हमें मिली और उसके बाद १९५०–५१ में १६,१८२ किलोमीटर सड़कें हो गईं। द्वितीय योजना के अन्त में २३,४१२ कि० मी०

सड़कें हुईं। तृतीय योजना में २७,१९७ किलोमीटर और मार्च, १९६९ में २९,२१३ किलोमीटर सड़कें हुईं। इस प्रकार इस निर्माण से मालूम होता है कि ९० वर्ष के अंग्रेजी शासन काल में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ उसके बाद हमारे शासन काल में दुगुनी सड़कें बनीं। इसके अतिरिक्त ६ हजार मील सड़कों का सुधार हुआ और २२४ नये पुलों का निर्माण हुआ और इसके अतिरिक्त १९५६ में २० पुलों का निर्माण किया गया। माननीय मन्त्री जी ने जिस बाम्बे फ़ार्मूले का जिक्र किया वह बीस वर्षीय योजना है जो सन् १९६१ से १९८१ ई० तक सारे देश के इन्जीनियरों ने बनाई है। इसके अनुसार बड़ी सड़कों से ५ मील और छोटी सड़क से २ मील की दूरी पर कोई गांव न रहे। इस योजना में ८ साल बीत चुके हैं,। जो १२ वर्ष बचे हुए हैं, इन १२ वर्षों में १७,७४७ कि० मी० सड़कें बननी हैं, और २९,२१३ कि० मी० बन चुकी हैं। अब १७,७४७ कि० मी० सड़कों को बनाने के लिये १९८१ तक १९० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस वर्ष के आयव्ययक में ५० करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें २४.३४ करोड़ चालू कार्यों के लिये रखा गया है और २५.६६ करोड़ नये कार्यों के लिये।

इस वर्ष ३९ लाख रुपये की प्रस्तावित योजना बनायी गयी है। उसमें प्रस्ताव यह है कि ७९१ मील सड़कों का पुनर्निर्माण और सुधार किया जायगा और १२५४ मील नयी सड़कें बनायी जायंगी, ८७५ मील गांवों की सड़कें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ७३ नये पुलों का निर्माण भी शामिल है। इस तरह से हमें यह मालूम होता है कि इधर काफ़ी प्रगति हुई है। पटेल योजना में कुछ पूर्वी जिलों की सड़कों के बारे में भी सिफ़ारिश की थी लेकिन अफ़सोस है कि उधर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। योजना आयोग ने तय किया था कि १३.७२ करोड़ रुपया पटेल आयोग के अनुसार खर्च होगा लेकिन तीसरी योजना में ७.३१ करोड़ का ही कार्य शुरू किया गया और वास्तविक कार्य १.१३ करोड़ का ही हुआ। यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनायी गयी थी। वहां से रुपया न आने अथवा किसी और कारण से यह कार्य न हो पाया। इस बजट में भी उसकी बिलकुल उपेक्षा की गई।

मान्यवर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया की तरह जौनपुर की भी एक समस्या है। वहां पर एक शाहीपुल है। उसको बने हुए ४-५ सौ वर्ष हो गये। गाजीपुर, आजमगढ़ और इलाहाबाद जाने के लिए वही एक पुल है। वह बड़ा ही कमजोर हो गया है। १० बजे तो वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। पटेल स्कीम में कहा गया था कि एक और पुल होना चाहिये जिससे गमनागमन में सुविधा हो बड़ा आश्चर्य है कि इस साल भी वह पुल नहीं रखा गया है। सरकार इस ओर ध्यान दे। जौनपुर में दूसरा पुल जरूर बनाया जाय।

सरकार को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी निर्माण कार्य हैं---सड़कें पुल, अथवा इमारतें, उनकी उम्र की सीमा होनी चाहिए १० साल या ५० साल जो भी हो, उससे पहले अगर उस सड़क, इमारत या पुल में अगर कोई क्रेक आ जाय या खराब हो जाय तो उस इंजीनियर अथवा दूसरे जिम्मेदार व्यक्ति को दंड दिया जाय। अगर ऐसी कार्यवाही आप करेंगे तो काफ़ी हदतक सफ़ल होंगे।

पहले जिलों में परामर्शदात्री समितियां थीं जिनमें जिलों के विधायक रहते थे। वे अपने जिलों की कठिनाइयों और सड़कोंके बारे में वहां परामर्श देते थे। अब कई साल से जिला परामर्शदात्री समितियां खतम हो गई हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे परामर्शदात्री समितियां पुनः निर्मित की जाएं जो अपनी सिफारिशें सरकार को भेजे और सरकार उन पर कार्यवाही करे।

इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की बात भी आपके सामने रख देना चाहता हूं। जौनपुर, जिले में खुटहन-जौनपुर एक सड़क है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जिले के हेडक्वार्टर

[श्री माता प्रसाद]

से मिलती है, इसलिए पहले इस सड़क को बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ सड़कों का नाम माननीय सदस्य उमानाथ जी ने बतलाया, उनकी भी मैं समर्थन करता हूं कि वे सड़कें भी जरूर बननी चाहिए। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री हरनरायन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, ने तय किया था, कि कटौती के प्रस्ताव विरोध पक्ष के ज्यादा है तो प्रस्तावकों को कम से कम ५–५, ४–४ या २–२ मिनट का ही समय दे दिया जाय ताकि वे अपने विषय पर जो एकाध बात कहना चाहते हैं कह सकें। इसलिए इधर के लोगों को ज्यादा समय दें, क्योंकि मंत्री महोदय तो उन सबकी तरफ से बोल ही लेंगे।

*श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें सड़कों के निर्माण को छोड़कर बाकी सबके लिये अपना विरोध प्रकट करता हूं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सड़कों पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाय, वह वास्तव में राष्ट्र के लिए जरूरी है। लेकिन जो रुपया भवन, डाक बंगले, रहने के लिए बड़े बड़े मकान और उसके साथ सज्जा पर खर्च किया जाय तो उसे मैं बिलकुल ही बेकार समझता हूं। हमारे देश को आजाद हुए आज २२ वर्ष हो गए। हमारा और हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पक्की सड़कें उतनी नहीं हैं। यदि हम अपने निकट के प्रदेश पंजाब को देखें जहां प्रत्येक गांव में जाने के लिए पक्की सड़कें हैं परन्तु हमारे प्रदेश में यदि हम सभी अपने-अपने क्षेत्र में देखें तो एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने के लिए को पक्की सड़क नहीं है। मान्यवर, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां की जनता कहा करती है कि सड़कें बनवाओ, पुल बनवाओ, उनकी यह मांग बहुत ही अच्छी और करारी है। इसलिए कि जिस देश में आने जाने के साधन अच्छे न होंगे, उस देश के किसान ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। जो किसान हमारे देश व प्रदेश में अन्न पैदा करता है उस अन्न को शहर तथा मण्डी तक ले जाने के लिए सड़क न हो तो वह उसका पूरा पैसा नहीं पा सकता है। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो हमारी और भी कोई उन्नति नहीं हो सकेगी।

मान्यवर, समय कम होने की वजह से सर्व प्रथम मैं अपने क्षेत्र की बात ही रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जिला पीलीभीत का पूरनपुर है जो कि मैं समझता हूं कि प्रांत में सबसे पिछड़ा हुआ है। पिछड़ेपन का कारण मैं केवल यही रखना चाहता हूं जो इस वक्त निर्माण विभाग से संबंधित है। दूसरी बातों को मैं इस समय नहीं रख रहा हूं। मेरे क्षेत्र में पीलीभीत को जाने वाली एक सड़क १४ वर्ष से बन रही है। लेकिन आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, मंत्री महोदय जाकर देख सकते हैं कि वाकई में उसमें से एक मील सड़क भी ऐसी नहीं बने सकी है जिस पर आदमी भली प्रकार से चल सके। करोड़ों रुपये जनता के खून और पसीने की कमाई का उस सड़क पर खर्च हो चुका है। परन्तु एक मील भी ऐसी सड़क नहीं बनी है जो चलने योग्य हो। मान्यवर महोदय, इसके साथ-साथ वहां पर एक आसाम रोड निकाली गई है जिसके निकलने से देश में बहुत ही उन्नति होगी परन्तु उसके निर्माण के तरीकों में बहुत कमी है। पहले नक्शे तैयार किए जाते हैं जिनके अनुसार सड़क सीधी बनाई जाती है। उसके बाद में उस पर मिट्टी पड़ती है, फिर ईटें लगती हैं और फिर कंक्रीट डाली जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वह स्कीम खत्म ही कर दी जाती है। उसके बाद उसको मोड कर दूसरी ओर से बनाया जाता है। इसमें डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि टेक्निकल कमियों के कारण ऐसा होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं निवेदन करता हूं कि यह टेक्नीकल शब्द कब तक प्रयोग होता रहेगा। हमारी जनता के साथ कब तक इसका दुर्पयोग होता रहेगा। इसके न बनने से हम अपने नगरों से न तो पीलीभीत पहुंच सकते हैं और न किसी दूसरे बड़े शहर में। दूसरा दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे नगर के दूसरी ओर लखीमपुर जिला है और एक ओर शाहजहांपुर है लेकिन इस प्रदेश के नागरिकों को यह हक नहीं है कि अपने गांवों से कस्बों से किसी भी जिले में पहुंच सके। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा जो इस समय जब कि उनके विभाग के बजट पर विवाद हो रहा हो, सदन में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं। वे अभी गए हैं लेकिन और मंत्रिगण तो हैं।

श्री हरनरायन—

श्रीमन्, मैं अपने इलाके की बात कह रहा था। धनाभाव के कारण वहां पर ७ लाख रुपये खर्च करने के बाद एक पौन्टून ब्रिज बनाया जा रहा है। उस ब्रिज के बनने से कोई लाभ नहीं होगा। रुद्रपुर के पास एक पुल बनाया जा रहा है लेकिन उस पुल की कोई जरूरत नहीं है। उसके बजाय अगर सुतिया में एक पुल बना दिया जाय तो लोगों को राहत मिल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि पूरनपुर से जो बन्डा तक सड़क जाती है उसके बनवाने के लिए वे प्रयास करेंगे। आज हमारे सार्वजानक निर्माण विभाग में यद्यपि इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स, वर्क्स सुपरवाइजर और वर्क्स एजेंट्स सब हैं लेकिन काम फिर भी ठेके से हो रहा है। ठेके से हुए काम में ठेका होता है, यह हमारे गांव की एक कहावत है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वे इन कामों को अपने विभाग द्वारा ही कर वायें। मैं एक बार बहराइच गया था वहां पर घाघरा घाट पुल पर बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस विभाग के ऊपर हम गौर कर रहे हैं उसकी डिमांड्स का मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और उधर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसकी मैं मुखालिफत करती हूं। हमारे सूबे की जो जरूरियात हैं सड़कों और पुलों के मामले में, बिल्डिंग्स के मामले में वे बहुत अहम हैं और उनके सिलसिले में जितनी मांग है वह पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमें इस बात को देखना जरूरी है कि हर चीज में रुपये का सवाल होता है और हमें यह देखना होगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये जो रुपया रखा गया है वह किस तरह से खर्च हुआ और किस तरह से सड़कों में इजाफा हुआ।

आजादी के वक्त हमारे सूबे में सिर्फ ९३०० मील पक्की सड़कें थीं। इसमें कोई शक नहीं कि इतने बड़े सूबे में इतनी थोड़ी सड़कों का होना अफसोसनाक बात है। जब नागपुर योजना शुरू हुई और यहां सड़कों के बनने का इन्तजाम किया जाय तो तीन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने सड़कों की कमी को पूरा करने के लिये १६,८९३ मील सड़कें बनाई। नागपुर प्लान का टार्गेट जो मार्च ६१ तक पूरा होना था और दूसरे सूबों में मुकम्मल हो गया वह मकसद हम मार्च, ६६ में हासिल कर सके।

इसी अरसा में इंजीनियरों ने बैठ कर फिर २० साला योजना बनाई जिसे बंबई प्लान के नाम से कहा जाता है और उसमें यू० पी० के लिये २९,१६८ मील का टार्गेट रखा गया। मार्च, ६९ तक हमारे सामने जो फीगर्स आए हैं उनसे अन्दाज लगाता है, कि १९,६०७ मील हमारे यहां सड़कें तैयार हो गई हैं। बंबई प्लान ८१ में खत्म होगा और इस वक्त तक हम ६७

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

फीसदी टार्गेट हासिल कर चुके हैं। फोर्थ प्लान में १,२५४ मील सड़कें बनेंगी। इसमें ८७५ मील देहाती रास्ते होंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना तक खत्म होने पर बंबई प्लान का जो टार्गेट है उसका हम ७१.५ फीसदी टार्गेट कर सकेंगे।

जनाबवाला, यह मैंने इसलिए बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां सड़कों और पुलों को बहुत जबरदस्त जरूरत है। इसमें जितना भी ज्यादा रुपया हमें केंद्रीय सरकार से मिल सके वह हमें लेना चाहिए और मैं आशा करती हूं कि बैंक नैशनाइजेशन के नतीजे में हमारी सरकार का हिस्सा केंद्रीय सरकार में बहुत बढ़ जायेगा। उसमें से सड़कों वगैरह के लिये भी अधिक रुपया मिल सकेगा। मेरे अपने क्षेत्र में सड़कें बहुत कम हैं। हरदोई का क्षेत्र सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरी संडीला कांस्टाटुएंसी में सिर्फ एक सड़क अभी तक मंजूर हुई है और वह भी अभी तक बनी नहीं है। इसलिये मैं चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र की दो सड़कों पर गौर किया जाय। एक सड़क है कछवाना से गौसगंज और वहां से मल्लावां तक। दूसरी है संडीला-करलावां--बांगरमऊ वाया कासिमपुर। इस सड़क की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस पर बहुत से गांव हैं और संडीला जो पास का कस्बा है वहां जाने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं है। अगर यह सडक बन जायेगी तो उनको बहुत आसानी हो जायेगी। बांगरमऊ उन्नाव जिले में है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां के एम० एल० एज० भी उसके बनने पर जोर देंगे। इसके अलावा छोटी पुलियों के बनने की बहुत जगह काफी आवश्यकता है और मौजूदा पुलियां काफी मरम्मत तलब है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हमारे लिए जहां सड़कों का इंतजाम किया है वहां हमारे लिये पुलों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। १९६९-७० में नए पुल और सड़कों के लिए सवा ६ करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। इस साल २४० मील सड़कों की मरम्मत वगैरह और १५४ मील नई सड़कें तथा १३ नए पुल बनने हैं। इसी साल में आयोजनागत लगभग ५-१/२ सौ लाख रुपये की लागत पर नए कामों की मंजूरी का प्रस्ताव पास है। इन नए कार्यों में २७३ मील नई सडकें और १० नये पुलों का बनना शामिल है। हमारी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि रुपया दिया जाय ताकि हमारे यहां जो बड़े-बड़े दरिया हैं, जैसे गंगा, रामगंगा, घाघरा वगैरह उनके ऊपर ज्यादा पुल बनाये जा सकें। केंद्रीय सरकार ने साढ़े चार करोड़ रुपया हरिद्वार और फर्रुखाबाद के पास पुल बनाने के लिये इस शर्त पर मंजूर किया है कि हमारी सरकार भी इतना ही रुपया खर्च करे। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में अर्थ नीति योजनाओं तथा नई योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव है कि १४९६ मील मौजूदा सड़कों का सुधार, १६७१ मील नई सड़कों का बनाना और ११५ नए पुल भी शामिल हैं। सरकार ने बिजी क्रासिंग पर भी ध्यान दिया है। और १० बड़ी क्रासिंग्स पर ओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी दी है, जिसकी लागत लगभग १ करोड़ ४४ लाख रु० है। मुझे अपने कस्बे संडीले के लिये भी पुरजोर शिफारिश करनी है कि वहां भी एक ओवर ब्रिज अवश्य होना चाहिए।

जनाबेवाला, इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर समाप्त करूं मैं बताना चाहती हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में सडकों के बारे में ९वें नम्बर पर आता है। मद्रास सबसे अव्वल है। वहां १ लाख की आबादी पर लड़कों की लम्बाई १०५ और हर १०० वर्ग किलोमीटर पर ३०, जब कि हमारा उत्तर प्रदेश इसके मुकाबले में क्रमशः ३३ व ९ है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कारण यह है कि यह रुपया जनता की भलाई में खर्च नहीं हो पायेगा। इस रुपये का १५, २० प्रतिशत ठेकेदारों, ओवरसियरों और अधिकारियों की जेबों में जायेगा। ठेकेदारों की जांच कराई जाय कि ठेकेदारी शुरू करने से पहले उनकी क्या स्थिति थी और अब क्या है? उनके शहरों में पक्के मकान बन गए हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाय। उनके जरिए काम होगा तो कमजोर होगा और मुनाफे की दृष्टि से वे काम करेंगे। एक तरह से उनके जरिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की लूट हो रही है। इसलिए ठकेदारी समाप्त करना चाहिए।

ओवरसियरों की जांच की जाय कि भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने कितना कमाया है। उन्होंने पक्के मकान बना लिये हैं। एक ऐसा कमीशन बनाया जाय जो निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त करे कि वह निर्माण कार्य ठीक हुए या गलत हुए हैं। जो इनके बनाने वाले अधिकारी रहे हैं उनको दोषी ठहराया जाय अगर काम खराब हुए हैं।

महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा है कि हमारे गांव ही भारतवर्ष है। इसलिये यदि गांव कमजोर हुए तो भारतवर्ष कमजोर हो जायेगा। आज वे गांव कमजोर हो रहे हैं वहां से आयात और निर्यात मण्डी में नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि देहात का किसान अपना कच्चा माल शहर की मण्डी में आसानी से नहीं ले जा सकता है क्योंकि रास्ते बहुत खराब हैं। कीचड़ हैं, दलदल हैं और रेत है और बारिश में रास्ता बन्द हो जाता है। हमारा बजट गांवों की अपेक्षा शहरों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। शहरों में पक्की सड़कें हैं, शहरों में अस्पताल हैं शहरों में स्कूल हैं। लेकिन देहात जहां से टैक्स के रूप में रुपया आता है उन देहातों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। सबसे जरूरी है कि कोई भी गांव ऐसा न रहे जहां पर सड़क का निर्माण न हो पाए। जिस सरकार का रास्ता ही खराब है वह किस तरह से हकदार है यहां बैठने को। इसीलिए हम रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रुपया भले कामों में दिया जाय। लेकिन अगर रुपये का सही रूप से इस्तेमाल न हो तो क्यों रुपया दिया जाय? एक पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग से अभी दो साल हुए मोहान रोड पर बना। अभी-अभी बारिश हुई, उसके नीचे की दीवार धंस गई और उसकी स्लेब छतरी की तरह खड़ी है। उसी तरह पर सई नदी पर दो सौ वर्ष पहले का शाही जमाने का पुल बना हुआ है। वह मजबूत रहा। और दो साल पहले जो पुल बना था वह इतनी जल्दी खराब हो गया जिससे वहां कर रास्ता रुका हुआ है। दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत कर आता है वहीं पर सार्वजनिक कार्य हो, अगर कोई दूसरी पार्टी का जीत कर आए तो वहां पर न हो? सार्वजनिक निर्माण विभाग में यह तय हुआ था कि बनी से औरास तक सड़क बनेगी, जहां से दूसरा इलाका शुरू हो जाता है, जहां से कम्युनिस्ट उम्मीदवार जीत कर आता है, वह सड़क नहीं बनाई गई। पता नहीं क्यों नहीं बनती है। जब यह कहा जाता है कि बजट के अन्दर लिखा हुआ है तो कहा जाता है कि धन का अभाव है। म इसी तरह से मियांगंज से हसनगंज सड़क की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी जब थे १९५२ में जब उस सड़क का बजट में जिक्र था, १९५७ में उस सड़क का बजट म जिक्र था लेकिन आज जिक्र नहीं आया। कारण यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां से जीतकर आती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने सोचा है कि वहीं निर्माण का कार्य शुरू किया जाय जहां पर कांग्रेस का बहुमत है। जहां कांग्रेस के लोग जीत कर आएं वहीं सड़क का काम हो, यह अन्याय है।

हमारा उन्नाव जिला दो चक्की के पाटों के बीच में है, एक तरफ लखनऊ है और दूसरी तरफ कानपुर। वहां न फैक्टरियां हैं, न निर्माण का कार्य। यह बात जरूर है कि यहां लखनऊ से मंत्री महोदय कानपुर जाते हैं तो सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी। मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उन गांवों की तरफ ध्यान दिया जाय जो शहरों को जिन्दा रखन क लिय अपना कच्चा माल भेजत हैं। इसलिए उन सड़कों और पुलों की तरफ ध्यान दिया जाय और जो शाही जमाने के पुल हैं उन पर भी ध्यान दिया जाय।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)––

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं आपके द्वारा निर्माण मंत्री का ध्यान बस्ती जिले की तरफ दिलाना चाहती हूं। जिस क्षेत्र से जनता ने मुझे चुना है उस क्षत्र की दशा दयनीय है। वहां पर कोई भी सड़क ऐसी नहीं है

[श्रीमती राजेन्द्र किशोरी]

जिससे हमारे आने जाने सुविधाएं हों। इसके लिए मंत्री जी से कई बार प्रार्थना भी किया कि आप थोड़ा सा समय दें, उस सड़क को चल कर देख लें। उस क्षेत्र की क्या हालत है। बस्ती से महुली वाली जो सड़क है, उससे बीच-बीच में बहुत से टुकडे छोड़ दिये गये हैं। उनके बारे में वहां के एम० एल० एज० ने लिख कर दिया था और मैंने भी मंत्री जी को दिया था और प्रार्थना की थी कि जो भाग शेष रह गया है नन्दपुर से पाकर डाड़ तक का तथा बरहइया से मथौली तक को उसको पूरा किया जाय। यह टुकड़ा उसमें रह गया है जिससे नसें उलट जाती है और बरसात के दिनों में बसें नहीं चल पाती हैं। बसें क्या आदमी तक नहीं चल पाते हैं। मेरे क्षेत्र में जनता की यही एक मात्रमांग थी कि उस सड़क को बनवा दिया जाय। उन्होंने मुझ से कहा था कि आपको एलेक्शन में हम कामयाबी दिलायेंगे, आप इस सड़क का निर्माण करवा दीजिएगा।

हमारे अपोजीशन के भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं जिस क्षेत्र से आई हूं, उसमें २ सीट्स कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन वहां की जनता के हित के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। केवल वही सड़क बनवाई है, जो उनके बंगले तक जाती है। २२ साल की स्वतंत्रता के बाद भी वह क्षेत्र ऐसा मालुम पड़ता है कि जिसमें इंच भर काम नहीं हुआ है। वहां पर असरदार, और ताल्लुकेदार आदमियों ने ही २-४ ट्यूबवैल्ल लगवाये हैं। मेरी बात का आप विश्वास नहीं तो खुद चलकर देख लें या किसी को भेज कर आप इन्क्वायरी करा लें कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैं चाहती हूं कि बस्ती से मौसे तक की सड़क जो जिला परिषद् की है, उसको पी० डब्ल्यू० डी० ले ले, ताकि वह सही सड़क बन सके। हमारे खाद्य मंत्री जी की तरफ से खाद्यान्न के वितरण के बारे में कहा गया है लेकिन यदि सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो इस प्रकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। उद्योग की दृष्टि से भी मेरा जिला अति पिछड़ा हुआ है। जब सड़कें नहीं होंगी तो उद्योग का कैसे विकास होगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि निर्माण विभाग के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसके बजाय यदि यह प्रस्ताव आता कि जो अनुदान पेश किया गया थोड़ा है तो मुझे हर्ष होता कि आप जनता के सच्चे हितैषी हैं। जैसे हाथी के दिखाने और खाने के अलग-अलग दांत होते हैं, वैसे ही अपोजीशन के भाइयों की नीति है। अपने क्षेत्र में तो यह बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन यहां पर चुप रहते हैं। देश की रक्षा के लिए, मुल्क की आजादी के लिए यह होता आया है कि हर आदमी हर कौम कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, बिना इसके देश की रक्षा नहीं हो सकती और न कोई काम हो सकता है। इसलिए, मंत्रिओं, कांग्रेस वालों और गवर्नमेंट पर आप जो कीचड़ उछालते हैं उसको बन्द करके आप सहयोग दीजिए। मैं भी इसमें आपका साथ दूंगी, लकिन सही कदम उठाइए, गलत काम के लिये नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कीचड़ नहीं उछालना चाहिय।

श्री उपाध्यक्ष---

कटौती का जो प्रस्ताव आया है, उस पर आप बोलिये, नियमानुसार सबको बोलने का हक है। आप निर्माण विभाग पर बोलिए।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में ही कह रही हूं। मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करती हूं और मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करती हूं। मैं इस बात पर अफसोस जाहिर करती हूं कि निर्माण विभाग के लिये बजट बहुत कम है वह अधिक से अधिक होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक गांव है जिसके बारे में मैं मंत्री जी को लिखकर दे आई हूं। मंत्री जी मेहरबानी करके उस बारे में हमारे क्षेत्र की मदद करेंगे। हमारे क्षेत्र में कुआनो नदी के किनारे एक मौजा है गनेशपुर जो बरसात भर पानी से भरा रहता है और लड़के अपने स्कूलों में हाजिरी तक नहीं दे पाते, वहां आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। वहां पर कोई व्यवस्था सड़कों की अवश्य करें। यदि पक्का पुल न बनवा पावें तो पीपे का ही पुल बनवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष––

आपका समय समाप्त ।

श्री दीपनारायण मणि––

माननीय उपाध्यक्ष जी,.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि बोलने वालों का कोई क्रम नहीं है । अब तक इस सदन की परंपरा रही है कि एक माननीय सदस्य सरकारी पक्ष का और एक विरोधी पक्ष का बोलता रहा है । विपक्ष में हालत यह है कि किसी-किसी दल के दो-दो अदामी बोल जाते हैं और किसी-किसी दल के एक आदमी को भी बोलने का मौका नहीं मिलता । तो मैं जानना चाहता हूं कि पुरानी परंपरा के अनुसार कार्यवाही हो रही है या कोई नई परंपरा डाली गई है ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय मैनेजर सिंह ने जो बात उठाई है मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि जो चार्ट मेरे पास है उसके हिसाब से हर दल का सदस्य बोल रहा है । एक सरकारी पक्ष का और एक विपक्ष का, दोनों को बराबर समय दिया गया है । विपक्ष में भी उतना ही समय दिया गया है जितना कांग्रेस पक्ष को दिया गया है । अब रही बात यह कि अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का अकला सदस्य है और प्रजा समाजवादी दल के तीन सदस्य हैं लेकिन चूंकि वे अलग-अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं यद्यपि वे संख्या में कम हैं तब भी उनको समय दिया गया । भारतीय क्रांति दल के सदस्यों को उनकी संख्या को देखते हुए भी अधिक समय नहीं दिया गया है, यानी पहले १ भारतीय क्रांति दल का, फिर भारतीय जनसंघ, फिर उसके बाद संयुक्त समाजवादी दल और फिर प्रजा समाजवादी दल और फिर कम्युनिस्ट पार्टी और फिर और दूसरे दलों को समय दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है । लेकिन अब सवाल यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं वे संशोधन-कर्त्ता भी बोलना चाहते । माननीय दीपनारायण मणि जी ने प्रश्न उठाया है कि जिन्होंने संशोधन दिया है उनको भी समय मिलना चाहिये । तो मेरे ध्यान में इस समय संशोधन देने वालों की बात ज्यादा है । मैं आप सबको उसी हालत में समय दे सकूंगा जब आप सब ५ मिनट या ७ मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें ।

श्री मैनेजर सिंह––

आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है और वह सराहनीय है । यही हमारे सदन की परंपरा रही है लेकिन उस परंपरा के विपरीत यहां पर कार्यवाही चल रही है । मैं इस तरफ आपका ध्यान खींचता हूं कि यदि इस व्यवस्था के अनुसार आप काम चलाते हैं, तो सारा समय उनको ही मिलेगा । लिस्ट की कोई परम्परा नहीं है कि आप लिस्ट के हिसाब से चलें । जो परम्परा है उसके हिसाब से ही आप चलें ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)––

हमारा नाम भी लिस्ट में गया है । अभी तक हमको मौका नहीं मिला है । वह लिस्ट आपके पास है ।

श्री उपाध्यक्ष––

यदि आपका नाम है तो उस हिसाब से आपको मौका मिलेगा । लिस्ट हमारे पास है ।

श्री रामबचन (जिला आजमगढ़)---

२८ तारीख को जनरल डिबेट में ५ विरोधी दल के सदस्य बोले थे जिनमें एक बी० के० डी० का था। उन लोगों में से जो चाहे बोले हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके उपनेता ने यह बताया था कि हमको संख्या के हिसाब से नहीं मिला है ।मैंने उनको समझाया था कि सब को संख्या के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है। प्रतिपक्ष में कुछ छोटे दल भी ह उनको फ़िर समय नहीं मिलेगा। अब जिनको आप चाहते थे उन सब को समय मिल गया। छोटे दल वालों को भी समय मिल गया।

श्री दीपनारायणमणि---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी कटमोशन का अनुदान संख्या ३३ के अधीन है कि महुआपाटन बरियारपुर घाट पर छोटी गंडक जिला देवरियामें पुल बनाने की कोई योजना नहीं है तथा पुरानी बरहज रोड पर कार्य के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है दूसरा अनुदान संख्या ३४ के अधीन यह है कि देवरिया जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग का केन्द्र (डिवीजन) तोड़ने का सुझाव जनहित में नहीं है। आवश्यकता की दृष्टि से देवरिया एक स्वतंत्र डिवीजन होना चाहिये। इन दो विषयों पर ही मैं बात करूंगा।

पहली बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह देवरिया जिला है। महुआपाटन बिहार की सीमा से २ मील पर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई बार गत वर्ष और इस वर्ष भी और गवर्नरी शासन में भी यह बतलाया था कि जो सीमा पर पुल हैं उनको बनाने की योजना बननी चाहिये। खास कर चीन आक्रमण के बाद पूर्वी जिलों के जो एरिया हैं उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। यह महुआपाटन छोटी गंडक पर है। बहुत बड़ी योजना नहीं है। इसके बनने से पटना तक रास्ता खुल जायगा। देवरिया से सीधी तीन मील सीधी रोड है। २ मील के बाद बिहार प्रदेश शुरू हो जाता है। मैं माननीय निर्माण मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण पुल है। यदि हो सके तो इस बजट में इसका प्राविधान करके जो बहुत-सी योजनायें उत्तर प्रदेश में थोड़े खर्च की हैं, इसको भी उसमें ले लें।

दूसरा सुझाव मैं बरहज रोड के विषय में देना चाहता हूं। देवरिया से बरहज रोड केवल १७, १८ मील है। दूरी कम है। बरहज रोड के बनने से ३०, ४० मील का चक्कर काटकर जो जाना पड़ता है वह कम हो जायगा। जब यह गोरखपुर की फ़र्टिलाइजर फ़ैक्टरी बनी तो सुझाव आया था कि बरहज रोड को आजमगढ़ तक जाने के लिये बना दिया जाय क्योंकि उस पर यातायात बहुत चलता है। मान्यवर, रूरल रोड फ़ंड से ९ करोड़ की योजना मंत्री जी ने बताई है। यहां १८ मील में कच्ची मिट्टी पड़ चुकी है, उसमें कंकर डाल कर पक्की करना है। मंत्री जी इस योजना को अवश्य उसमें ले लें।

तीसरा मामला पी० डब्लू० डी० की डिवीजन देवरिया का है। बराबर अखबारों में पढ़ा। ४०-५० लाख रुपया जिस जिले में पी० डब्लू० डी० का खर्चा है, एक स्वतंत्र डिवीजन रखा है। देवरिया में एक आर० एम० पी० की भी स्कीम ह १०-२० लाख की देवरिया में। लेकिन उससे देवरिया की स्वतंत्र सत्ता पर कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। गंडक योजना में देवरिया में अगर कोई सड़क बनती है तो उससे क्या परेशानी होती है। कल ही आर० एम० पी० वालों से प्रश्न था, मैं उपकार मानता हूं इस सम्बन्ध में, लेकिन मंत्री जी दो सड़क एक तो पुरानी १८ मील की बरहज रोड और दूसरी महुआपाटन वाली, इनको निर्मित कराने की कृपा करें। अब हमारा समय काट कर हमारे विपक्षियों को दे दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

*श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह हम सभी लोग स्वीकार करते हैं कि किसी देश के उत्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए उस देश की सड़कों का उत्थान होना परम आवश्यक है। जब तक हमारे बड़े-बड़े कस्बों और शहरों से सड़कों के द्वारा गांवों का सम्पर्क स्थापित नहीं होता है तब तक किसानों को बहुत लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिए सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक संख्या में होना चाहिए। इससे भी इसकी महत्ता प्रकट होती है कि हमारे उन साथियों ने जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का विरोध किये हैं और उन्होंने भी विरोध करने के बाद यह भी कहा है कि हमारे यहां अमुक सड़क, पुल का निर्माण होना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह कटौती का प्रस्ताव केवल विरोध ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन आशा भी करते हैं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय। म संक्षेप में अपने जिले मैनपुरी में सड़कों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इन चारों योजनाओं में जहां तक मेरी जानकारी है एक भी नवीन सड़क का वहां निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आवश्यक है कि एक सड़क जो मैनपुरी से किसनी को जाती है उसका निर्माण किया जाय। जिला परिषद ने भी उसको प्राथमिकता दी है। वह ऐसी सड़क है जहां धान अधिक पैदा होता है। बल्कि तीन चौथाई धान हमारे मैनपुरी का आता है। मैनपुरी में १८ धान की मिले हैं और इसी सड़क के द्वारा किसानों की उपज वहां पहुंचती है, इसलिए इसकी उपादेयता बहुत अधिक है। इसलिए इसका अवश्य निर्माण किया जाय। साथ ही हमारे एक कस्बे में जिसका नाम नहीं लेना चाहता, एक माडेल स्कूल ७–८ वर्ष हो गये बन गया, नार्मल भी बनने वाला था, लेकिन उसका निर्माण ७–८ वर्ष हो गये नहीं हुआ है। और वह भवन ७–८ वर्ष से वैसा ही पड़ा हुआ है। आज जिस जगह पर नार्मल स्कूल चल रहा है, जिस पर कि सरकार को ५ हजार रुपया देना पड़ता है, उसके लिये अगर यह इमारत बना कर तैयार कर दी जाय, जो ७–८ वर्ष से अधूरी बनी पड़ी है, तो उसका सदुपयोग हो सकता है और काफ़ी रुपये की बचत भी हो सकती है। चूंकि आधा वह बना हुआ है, इसलिये उसको बनाने की सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फ़िर अपने यहां की सड़कों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे उन्हें शीघ्र बनवाने का प्रयत्न करें।

(श्री रामबचन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजरसिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस व्यवस्था की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार आप माननीय सदस्यों को बोलने के लिये बुला रहे हैं। अभी आपने व्यवस्था दी थी कि विरोधी पक्ष में भी विभिन्न पक्ष ह और उनको अवसर मिलेगा बोलने का। लेकिन इस समय उस व्यवस्था के विपरीत आचरण हो रहा है। अभी दो भारतीय क्रान्ति दल के माननीय सदस्य बोले। उसके बाद फ़िर भारतीय क्रान्ति दल के माननीय सदस्य को आपने बुलाया। हमारा भी इस सदन में एक गट है और उसका एक भी माननीय सदस्य नहीं बोला है। आप ऐसी कोई व्यवस्था दें जिससे कि सभी पक्षों के आधार पर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिला करें।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे जरा समझने का प्रयत्न करें। जो सूची मेरे पास थी उसके हिसाब से जनसंघ के माननीय विजय बहादुर सिंह का नाम था। लेकिन जब वे खुद उठे नहीं, तो मुझे कठिनाई हो जाती है। उस वक्त स्वयं विवेक से मैं बुलाने का प्रयत्न करता हूं, और बावजूद अपनी सारी दुर्बलताओं के, मेरा यह प्रयास रहता है कि जहां तक सम्भव हो शिकायत का अवसर न दूं। लेकिन कठिनाई यह है कि आप अपने दल की तरफ़ से, जो आपके सचेतक हैं, उनके द्वारा नाम भिजवाते ह और जब उनके अनुसार मैं बुलवाता हूं तो आप एतराज करते हैं। व्यवस्था का मतलब तो यह है कि जो आप सदन के बाहर तय करें

[श्री उपाध्यक्ष]

उस पर यहां भी अमल करें। आपके दल को कोई कठिनाई हो तो आप भी नाम दे सकते हैं, ऐसा सब ने किया भी है।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, नाम तो देते रहे हैं, मगर वह चोरी की परम्परा है। चूंकि आप नये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप माननीय अध्यक्ष जी से परामर्श कर लें। मैं चाहता हूं कि किसी नियम के अनुसार ही कार्यवाही चलनी चाहिये। धांधली, मनमानी बन्द हो जाय, यह मैं चाहता हूं। मैं गत मार्च से देख रहा हूं कि किसी नियम के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है। मनमानी और धांधली हो रही है। आप यहां विराजमान हैं। इसलिये मैं अवसर देता हूं कि आप व्यवस्था दीजिये। चिट देने की बात गलत परम्परा है और मैं अपने गुट से कभी चिट नहीं देने दूंगा। आप की दृष्टि से जो ठीक हो वही हो।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अब मिनिस्टर हैं ये पहले सिंचाई मंत्री रहे हैं और आप हमारे यहां प्रतापपुर ब्लाक पर तशरीफ़ ले गये थे और आपने उस स्थल को देखा है। और वहीं यह घटना घटी थी। आपका हार्ट फ़ेल होने का अन्देशा हो गया था जब आप सिंचाई मंत्री थे और आप प्रतापपुर ब्लाक में गये थे। उस समय आपके साथ आपकी श्रीमती भी थीं। आपके साथ इफ्तिकार हुसेन तशरीफ़ ले गये थे। आने जाने का रास्ता सड़क खराब होने के कारण अच्छा नहीं था। उसी के कारण आपके हार्ट फ़ेल होने का अन्देशा हो गया था। उस वक्त की सड़क देखते हुए भी आपने अपने निर्माण विभाग में उस सड़क को शामिल नहीं किया है इसका मुझे बड़ा अफ़सोस है। तहसील हंडिया, जो जवाहरलाल जी का क्षेत्र था, उसके बाद विजयलक्ष्मी जी का क्षेत्र था उसको भी आपने अपने बजट में जगह नहीं दी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उस क्षेत्र की जंघई-वारी सड़क व जंघई-वरना सड़क को पक्की कराने के लिये अपने बजट में स्थान दें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मुझे खेद है उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया, अच्छा होता यदि वे न उठाते। विरोधी दलों का प्रश्न था अगर वे वहीं तक सीमित रहते तो अच्छा था। मैं माननीय मैनेजर सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने माननीय अध्यक्ष जी से एक तरीके से शिकायत की थी कि जनरल डिबेट में भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात से समय नहीं मिला। भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों की संख्या लगभग एक चौथाई है। अगर विरोधी दल के दो माननीय सदस्य बोलें तो उनमें भारतीय क्रान्ति दल के एक माननीय सदस्य को मौका मिलना चाहिये। लेकिन हमने वह आपत्ति अब तक नहीं उठाई। जहां तक दलों का प्रश्न उठाया गया, कुछ दुर्भाग्य की बात है कि सदन में ऐसे भी दल हैं जिसके केवल नेता ही हैं और दूसरा फालोवर भी नहीं है जैसे हिन्दू महा सभा और किसान मजदूर पार्टी। इसी तरह से और कई ऐसे दल हैं। अगर उनके सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय तो उन दलों को प्रतिदिन मौका मिलता रहेगा। एक सदस्य हैं वे ही बोलते रहेंगे। तो माननीय अध्यक्ष ने यह रूलिंग दी थी कि हम जब अनुदान वाईज डिबेट होगी तो भारतीय क्रान्तिदलके लोग कम बोलें हैं उनको अधिक मौका दिया जायेगा। अगर आपने भारतीय क्रान्ति दल के लोगों को ज्यादा मौका दिया गया तो वह व्यवस्था का प्रश्न इसलिये नहीं है कि उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय महीलाल जी ने मेरा नाम लिया है इसलिये मुझे नियमतः सफाई देने का अधिकार हैं। माननीय महीलाल जी तथ्य से परे जाना चाहते हैं। उनके नेता, चौधरी चरण सिंह

साहब ने पांच, साढ़े पांच घंटे वक्त लिया इस सदन का और मैं चाहता हूं माननीय महीलाल जी सारे समय को जोड़ें। उनकी जो तादाद है उसके अनुपात में, कुल कितने मिनट बी० के० डी० ने लिये हैं। उस हिसाब से बटवारा कर लें। मैंने पहले ही कहा यदि संख्या के आधार पर भी समय वितरण होता है तो भी मुझे स्वीकार होगा। जितने भी छोटे-छोटे दल हैं उनमें से आपने लोगों को तोड़ने की कोशिश की और हमारे दल में से भी बी० के० डी० ने एक सदस्य को तोड़ लिया फिर भी हमारे दल में ९ सदस्य हैं। अगर आप संख्या के अनुसार भी बटवारा कर दें तो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन वैसे संख्या के अनुसार समय देने की हमारे इस सदन की परम्परा नहीं रही है। फिर भी अगर आप उसको मानते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि कितना समय किस को दिया जाय यह अध्यक्ष का विवेक है। लेकिन बाहर कुछ तय हो जाता है तो उसके अनुसार काम करने की कोशिश की जाती है। इसलिये समय के बारे में अगर कोई माननीय सदस्य कहने का प्रयत्न करेंगे तो मैं उनको टोक दूंगा। उस पर यहां कोई बहस नहीं होगी। मैं अपने विवेक से काम लूंगा और जो कोई मेरी दृष्टि के सामने पड़ेगा उसी को समय दूंगा। यह व्यवस्था जो माननीय मैनेजर सिंह जी ने उठायी वह नियमों के अनुसार नहीं है। बार-बार ऐसी बातों के लिये जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह उसका अनुपयुक्त इस्तेमाल है।

श्री मैनेजरसिंह---

अगर मेरा व्यवस्था का प्रश्न न हो तो आप जो भी दण्ड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई नियम हो, कोई कार्य संचालन की प्रक्रिया हो, उससे संबंधित आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं आप बता सकते जिसमें अध्यक्ष को यह निदश हो कि वह इस तरह से बुलाने के लिये बाध्य है। अगर ऐसा हो तो माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करें।

श्री मैनेजरसिंह--

आप जो कर रहे हैं, उससे सदन की परम्परा का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

परम्परा का इसमें कोई हनन नहीं हो रहा है।

श्री रामवचन--

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में २० वर्षों में सड़कों की प्रगति हुई है मगर और प्रदशों के मुकाबले में धीमी प्रगति हुई है। यह प्रगति इसलिये नहीं हुई कि जितनी सड़कें बनी हैं उससे सवाई सड़कें बन गयी होतीं, अगर हम इस विभाग में जो परसेंटेज लिया जाता है, उसको रोक पाते। मैं समझता हूं करीब-करीब २०-२५ प्रतिशत सरकारी अनुदान का इंजीनियर, ओवरसियर और ठकेदारों की जेब में चला जाता है। यह ऐसा भ्रष्टाचार है जिसके विरुद्ध आम जनता कोई आवाज नहीं उठाती। इसलिये कि उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल दो वर्ग से ही इसका सम्बन्ध ह। ठेकेदार, ओवरसियर और इंजीनियर। जनता से इसका सीधा सम्बन्ध न होने के कारण आम जनता से

[श्री रामबचन]

उसका कोई उपाय नहीं निकल सकता। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमारी सरकार इसको रोकने का उपाय करे तथा यह सदन उसको कोई सुझाव दे। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इस विभाग के दफ्तरों के आसपास मंत्री जी अपनी तरफ से एक गोपनीय व्यक्ति नियुक्त करें जो उन अधिकारियों को देखते रहें जो परसेंटेज लेते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जब हमारे इंजीनियर और ओवरसियर नियुक्त होते हैं तब उनके घर की दशा तथा उनकी व्यक्तिगत क्या आमदनी है, उसका एक आंकड़ा अपनी नियुक्त के समय प्रस्तुत करें कि आज हमारी यह हैसियत है और हर पांचवें वर्ष उसकी जांच होती रहे कि अब उनकी हैसियत क्या हो गयी, तब तो पता चले कि उनका वेतन कितना है और कितना ज्यादा पैसा वे भ्रष्टाचार से इनकम कर रहे हैं। साथ ही उनके काम को भी देखा जाय कि अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, तब उनको डर रहेगा। अगर वे अच्छा काम करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। मान लीजिये कोई पुल बन रहा है, उसमें सीमेंट कितना प्रतिशत पड़ता है और बालू कितना प्रतिशत पड़ता है इसके देखने की विशेष जरूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि वह बालू का प्रतिशत तो ज्यादा कर देता है और सीमेंट का प्रतिशत कम कर देता है और जो सीमेंट बचता है उसको बेच लेता है या ठेकेदार को फायदा होता है। उन कामों को देखना चाहिये कि वह काम कितने दिनों में और किस ओवरसियर ने बनाया है और वह टिकाऊ है या नहीं। अगर जल्दी में काम कराया जाता है और पुल में सीमेंट की मात्रा कम दी जाती है तो वह पुल गिर जायेगा। जहां भी ऐसे खराब निर्माण कार्य हों, ओवरसियर को सजा देनी चाहिये फिर वे सोचेंगे कि अगर हमारा बनाया हुआ पुल कहीं गिर गया तो हमें सजा होगी या हम मुलाजिमत से निकाल दिये जायेंगे, फिर वे लोग अच्छा काम करेंगे। इसलिये इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह आम जनता का भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि यह कुछ लोगों के बीच का है। यह भ्रष्टाचार सरकारी धन का होता है, जनता की जेब से सीधा नहीं होता है, जनता की जेब से टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आता है और सरकार के पास से जब वह काम करने के लिये जाता है तब उसमें भ्रष्टाचार होता है। इसलिये जनता उसके लिये कोई आवाज नहीं उठाती है। इसको दूर करने के लिये जनता का आन्दोलन नहीं हो सकता, इसके लिये सरकार की तरफ से ही कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि वह इस भ्रष्टाचार को खत्म करे।

हमारे पूर्वी जिलों के लिये पटेल योजना चली थी, लेकिन लड़ाई की वजह से थोड़ा सा ही काम होकर वह रुक गया। मेरा सुझाव यह है कि वह योजना जो वहां की गरीबी को दूर करने के लिये वहां के लोगों को काम देने के लिये व वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बनी थी, उसे आप फिर से लागू करने की कृपा करें। कुछ सड़कें ऐसी भी बन गयी हैं जहां जिनकी जरूरत नहीं थी मगर जहां अधिक जरूरत थी वहां नहीं बनी हैं। मेरे जिले आजमगढ़ में कई सड़कें डामर की हो गयीं, जहां ज्यादा ट्रैफिक नहीं चल रहा है। मगर जो सड़क बुढ़नपुर से दीदारगंज को जाती है और इम्बारी से महाराजगंज, कप्तानगंज को जाती है और जिस पर बराबर ट्रैफिक चलती है उसको नहीं बनाया गया है। वह ऐसी सड़क है जहां अगर माननीय मंत्री जी अपनी कार लेकर जायं तो २० मील की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकती। तो ऐसी सड़क न बना कर, ऐसी जगह डामर की सड़क बना दी गयी जहां जरूरत नहीं थी। इसीलिये मेरा सुझाव है कि बुढ़नपुर से दीदारगंज की सड़क को पी० डब्लू० डी० डामर की कर दें अगर ऐसा नहीं करते तो वह सड़क साल भर खराब रहती है और एक साल जो कंकड़ उसके ऊपर पड़ता है वह उसी साल के अन्दर उड़ जाता है। इसी तरह से शाहगंज, जहां शुगर फैक्टरी है, को फैजाबाद जिले के जलालपुर से मित्तूपुर होते हुए पबई (आजमगढ़) और इसके बीच की सड़क को पक्की बना दिया जाय तो जनता को बड़ी आसानी हो जाय। मितूपुर से आजमगढ़ जाने में लोगों को ७० मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। अगर १०-१२ मील की यह सड़क जुड़ जाय तो जलालपुर से पबई तक यह सड़क इटर डिस्ट्रिक्ट भी हो जायेगी और दूरी

इतनी कम हो जायेगी कि आजमगढ़ वहां के लोगों को जाने के लिये २० मील का रास्ता कम हो जायेगा।

इसी तरह से शाहगंज में एक शुगर फ़ैक्ट्री है लेकिन उस इलाके के जितने गन्ना उत्पादक हैं, उन्हें घूम कर जाना पड़ता है। अगर मितूपुर के पास मझुई नदी पर एक पुल बनवा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वहां के किसानों को सीधा जाने की सहूलियत मिल जायगी और इस इलाके के लोगों की तरक्की होगी। आजमगढ़ जाने के लिये मार्टिनगंज से जो सड़क सिकदौर और फ़ूलपुर तहसील को जाती है, जो कच्ची है इसलिये दीदारगंज होकर जाना पड़ता है। अगर वहां पर यह सड़क पक्की बना दी जाय तो आजमगढ़ पहुंचने के लिये १५ मील रास्ता कम हो जायगा। इसी तरह से हमारे जिले में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें बननी चाहिये। फ़ैजाबाद जिले के सुल्तानपुर से जहांगीरगंज होते हुए अतरौलिया (आजमगढ़) सड़क को भी मिलाना चाहिये।

पी० डब्लू० डी० विभाग में जो मस्टर रोल बनाये जाते हैं वे बहुत फ़र्जी होते हैं। काम करने वाले रहते नहीं हैं और मस्टर रोल बन जाता है और उस पैसे को ओवरसियर और मेट लोग खा जाते हैं। मेरा निवेदन है कि चूंकि जनता की ओर से इस विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में प्रचार नहीं हो सकता है तो सरकार को चाहिए कि वे सी० आई० डी० में कुछ गोपनीय आदमियों को रखें जो जगह-जगह पर जाकर देखें कि वास्तविकता क्या है। तब हमारा पैसा जो २० या ३० प्रतिशत विभाग वालों की जेबों में चला जाता है, वह बच जायगा और हमारे प्रदेश में काम सवाया बढ़ जायगा। इसलिये मैं इस ग्रान्ट का विरोध करता हूं क्योंकि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। अगर मेरे इस सुझाव पर गौर नहीं किया जायगा तो हमारे प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी जो प्रश्न उठाया गया था मैं उसके बारे में माननीय सदस्यों के सूचनार्थ बता देना चाहता हूं। सामान्य बहस पर अब तक किस दल के कितने माननीय सदस्य बोले, यह इस प्रकार है :—

कांग्रेस के कुल मिलाकर ३० सदस्यों ने बहस में भाग लिया और विरोधी दल के ३१ माननीय सदस्यों ने। ९ माननीय सदस्य भारतीय क्रान्ति दल के थे, ९ संयुक्त समाजवादी दल के, ८ जनसंघ के, एक सदस्य पी० एस० पी०, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, निर्दलीय और किसान मजदूर पार्टी के एक-एक महानुभाव थे जिनको बोलने का समय मिला। आज और कल की बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया वह इस प्रकार है:—

कांग्रेस	.. .. ..	२१ माननीय सदस्य
भा० क्रा० दल	.. .. ..	९ (श्रीराम बचन के बोलने तक)
जनसंघ के	.. .. ..	५
पी० एस० पी० के	.. .. ..	२
निर्दलीय	.. .. ..	१
कम्यु० मार्कसिस्ट	.. .. ..	१
कम्यु० भारतीय	.. .. ..	१

(श्री मैनेजरसिंह के खड़े होने पर)

आप बीच में खड़े हो जाते हैं और मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। इस तरह से कोई सदन नहीं चल सकता।

श्री मैनेजरसिंह—

आज के भी बतलाइये, जो आपने नहीं बतलाये ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह भी बतला रहा हूं। आपको धीरज रखना चाहिये। आपसे मैं सविनय निवेदन करता हूं कि सदन की मर्यादा का पालन करना अपनी मर्यादा का पालन करना है। आपकी, मेरी और सदन की मर्यादा कोई भिन्न नहीं है। अगर कोई किसी की बात नहीं सुनता है और अपनी ही बात कहता रहे तो फिर कैसे काम चलेगा ? आज के वक्ता इस प्रकार हैं :

कांग्रेस के भगवती सिंह, विशारद, राजबिहारी सिंह, माता प्रसाद, कुदसिया बेगम, राजेन्द्र किशोरी और शिव वक्ष सिंह राठौर।

बी० के० डी० के भारत सिंह चौहान, हरनरायन, रामबचन।

जनसंघ के उमानाथ सिंह।

श्री मैनेजरसिंह—

दीपनारायण मणि बी० के० डी० में हैं अथवा जनसंघ में चले गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

रामकरन पी० एस० पी० से, रामदेव एस० एस० पी० से और संजीवन लाल कम्युनिस्ट पार्टी से बोले।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपने जिले की बात मंत्री महोदय के कानों में डाल सकूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अपने प्रदेश में नव निर्माण की जो योजनायें चल रही हैं उनको देखने से पता चलता है कि प्रगति में किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रदेश की प्रगति बड़े सुन्दर ढंग से चल रही है। लेकिन नव-निर्माण की योजनायें जो आगामी वर्ष में होने जा रही हैं उनका बटवारा जिस आधार तथा तथ्य पर हुआ है उसको देख कर मुझे दुःख होता है। बुन्देलखण्ड में बांदा बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसकी अपनी समस्यायें हैं। पृष्ठ ३४ पर जो आंकड़े हैं उनको देखने से विदित होगा कि बांदा ही ऐसा जनपद है जहां मार्गों के निर्माण का प्रतिशत सब से कम है, लेकिन जो बजट आया है उसमें उसे प्राथमिकता नहीं दी गयी। बांदा के करवी सब डिवीजन में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अपनी समस्यायें हैं। माननीय मंत्री अगर पिछले दो वर्ष का इतिहास देखें तो मालूम हो जायगा कि निर्माण के नाम पर इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। यह हम सभी मानते हैं कि चित्रकूट और राजापुर तपोभूमि है, उनको न सड़कों की जरूरत पड़ती है न किसी और चीज की, उनका तो काम तप करना है। शायद इसीलिये उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह हमारा दुर्भाग्य है। इस क्षेत्र का कोई स्थान सड़क से २०—२५ मील से कम दूर नहीं है। काली मिट्टी का प्रदेश है। बरसात में चलना दूभर हो जाता है। मैंने स्वयं सार्वजनिक निर्माण मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि राजापुर—कमासिन-रैपुरा का मार्ग पक्का कर मिला दिया जाय, इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। १९६६ में हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, श्री कमलापति त्रिपाठी तथा तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री जगन प्रसाद रावत, ये दोनों सूखे के सम्बन्ध में वहां गये थे और उन्होंने जो दुर्दशा वहां की देखी थी उससे प्रभावित होकर एक सार्वजनिक सभा में उस पर खेद प्रकट किया था और राजापुर से कमासिन मार्ग के लिये तो उन्होंने पूर्णतया कहा था कि यह सड़क तो बजट में अवश्य ले लेंगे। लेकिन मुझे दुःख है कि आजतक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। करवी और मऊ क्षेत्र में अब तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और भविष्य में कितनी का निर्माण होने जा रहा है इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे रहीम का वह दोहा याद आता है कि—

चित्रकूट में बस रहे रहिमन अवध नरेश,
जापर विपदा परत है सो आवत एहि देश।

हम पर तो विपत्ति पड़ी है लेकिन शायद यह समझा जाता है कि हम इसके आदी हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बांदा की सड़कों की समस्या की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करते तो जो नवनिर्माण का बंटवारा हुआ है उसको देख कर खेद होता है। यह तो मेरे क्षेत्र की कमी अपनी समस्यायें हैं। लेकिन इलाहाबाद से झांसी को एक मार्ग है। उस पर केन नदी पड़ती है। उस पर पुल की कहानी हमेशा से सुनते थे। बरसात के दिनों में बांदा का जनपद अपने इस भाग से बिल्कुल अलग हो जाता है। केन पर पुल बनाने का कई बार आश्वासन दिया जा चुका है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चित्रकूट ऐसा स्थान है जहां पर हर अमावस्या में लाखों लोग जाते हैं। इसी सोमवती अमावस्या में न मालूम कितने आदमी बढ़ी हुई केन नदी में गिरे हैं और उनका प्राणान्त हो गया है। अन्त में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आवश्यकता के आधार पर निर्माण का बंटवारा करिये, जिनका पेट भरा हुआ है या जो आधा पेट खाये हुये हैं उनको छोड़ कर जो बिल्कुल भूखे हैं उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस क्षेत्र के साथ अन्याय करते हैं।

अन्त में मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष––

श्री मैनेजर सिंह।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)––

मैं आठ बार से खड़ा हो रहा हूं, मुझको टाइम नहीं दिया जा रहा है। कृपया मुझे भी थोड़ा-सा समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष––

इनको बोल लेने दीजिये फिर।

श्री मैनेजर सिंह––

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी रामकरन जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के बारे में अनेक बार कहा गया है कि यह निकम्मा और भ्रष्ट विभाग है। इसको यदि तोड़ दिया जाय तो प्रदेश का कल्याण ही होगा। आज इस विभाग में रिश्वत, चापलूसी तथा भाई भतीजे वाद चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस विभाग की कहानी कह कर मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। क्योंकि गंदे कीचड़ पर रोड़ा फेंकना अपने को गंदा करना है इसलिए निन्दा करना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। इस विभाग की जो हालत है उसके दोषी सरकारी पक्ष के नेतागण हैं। इस विभाग के सब से बड़े नालायक इंजीनियर, श्री जगदीश प्रसाद को पद्म श्री या पद्म भूषण की उपाधि भाई भतीजावाद के नाम पर ही मिली है।

इस विभाग को भी अच्छे-अच्छे कलाकार मंत्री मिले। इसमें गंदगी फैलाने की काफी कोशिश की गई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्री मंगलदेव विशारद जी के अतिरिक्त इस विभाग का कोई मंत्री ऐसा नहीं हुआ जिस पर कीचड़ न उछाली गई हो। इस नालायक विभाग की करतूत देखिये। तीसरी तथा चौथी योजनाओं में कहा गया है कि बम्बई योजना के अनुसार सड़कों के लक्ष्य में जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असंतुलन है उसको चौथी योजना में कम करने का प्राविधान किया जा रहा है।

[श्री मैनेजर सिंह]

एक पुस्तिका "सिंहावलोकन" १९६८-६९" की है। उसके तृतीय पृष्ठ पर लिखा है कि पूर्वी चार जिलों पर काफ़ी खर्च करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में बाम्बे प्लान के अनुसार सड़कों का प्रतिशत इस प्रकार है-पूर्वी जिलों का जहां ७२ प्रतिशत है वहां बलिया का ६०.४, गाजीपुर का ५९.५६, जौनपुर का ८१.१०, देवरिया का ८४.९५ और आजमगढ़ का ८९.३८ है। गाजीपुर जिले को छोड़ दिया जाय तो पटेल आयोग में जिन चार जिलों को लिया गया है उसके बजाय बलिया, गोरखपुर, गोंडा और मिर्जापुर को लेना चाहिये था। जब आप का संकल्प असंतुलन माप्त करने का है तो आपने क्यों नहीं लिया? गोंडा का प्रतिशत ६२, गोरखपुर का ६२, मिर्जापुर का ६० तथा बलिया का ६०.४ है। इस विभाग के मंत्री की करनी और कथनी में फ़र्क है। या फ़िर से ये गलत बयानी करते हैं कि हम असंतुलन मिटाना चाहते हैं। लेकिन यह तो आप असंतुलन को और बढ़ावा दे रहे हैं। बलिया का प्रतिशत ६०.४ है उसको नहीं रखा और गाजीपुर को रखा जिसका ८९ है। देवरिया का करीब ८५ प्रतिशत है उसको बलिया से आप अधिक रुपया देते हैं। इस प्रकार से आपकी योजना नहीं चल सकती है। यह आप के विभाग की नालायकी का दूसरा नमूना है।

इस पुस्तिका में ऐसा दिया है कि कौन कौन सी सड़कों पर निर्माण कार्य हुआ, पिछले साल में। बलिया की दो सड़कें हैं। लिखा है रेवती-देवरिया लालगंज। रेवती-बैरिया-लालगंज की सड़क को रेवती देवरिया लालगंज लिखा हुआ है। ऐसा नालायक डिपार्टमेंट है जिसे सड़क का नाम नहीं मालूम। यही कारण है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेवती लालगंज वाया रानीगंज सड़क स्वीकृत हुई थी। रानीगंज जो सब से बड़ी मंडी है, उसको छोड़ कर आप के इंजीनियरों ने उसको सीधे ले लिया और रानीगंज मंडी छूट गयी। बक्सर के पुल की प्रदेशीय योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार रुपया देगी, एक तिहाई बिहार की सरकार ने देना स्वीकार किया है और एक तिहाई उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। उसका नाम तक पुस्तिका में नहीं हैं। एक जो प्रदेशीय योजना है उसका भी जिक्र तक नहीं है। परिवहन मंत्री की तरफ़ से कहा गया कि दोहरीघाट में पक्का पुल बनने के बाद पीपे का पुल मांझी में चला जायगा जो आसाम बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। उसका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसा नालायक अधिशासी अभियन्ता बलिया में रखा हुआ है कि दफ्तर में बैठा रहता है और उजियार घाट बंगले में बैठ कर डाक-बंगले में अध्याशी करता है, जिसने २५ लाख रुपया लौटाया है, खर्च नहीं किया। ऐसे नालायक लोगों को रख कर आप रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा, माननीय मंत्री जी इसलिये नहीं जाते कि आप का हार्ट फ़ेल हो जायगा। आपने कई बार वादा किया, लेकिन आप बलिया गये नहीं। आपने कहा था कि जयप्रकाशनारायण की जन्मभूमि पर चलेंगे। लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं, आप जाएंगे तो कहीं सचमुच आप का हार्ट न फ़ेल कर जाय। छोटी लाइन की गाड़ी है, बनारस से बलिया जायेंगे तो उसमें जर्किंग होगी। आप छुट्टी ले लीजिये या समाज कल्याण विभाग ले लीजिये। आराम से बुढ़ौती काटिये। बेकार आप अपना स्वास्थ्य चौपट कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथप्रतापसिंह (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री के अनुदान के समर्थन तथा कटौती प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। कुछ कहने के पहले मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बड़ी इमानदारी के साथ, शुरू ही में, कहा कि बजट तथा उसके अनुदानों के समझने में कठिनाई हो रही है। यदि माननीय विरोधी दल के सदस्यों के सभी भाषणों पर विचारपूर्वक ध्यान दिया जाय तो यह सिद्ध हो जाता है कि उनकी कठिनाई इसको समझने में सही रही है। हमारी सरकार के पास और चीजों का इलाज हो सकता है, लेकिन समझ बढ़ाने का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। साथ ही साथ एक चीज और अनुभव हुई है हमारे साथियों को, कि समझ की जगह शोर होता रहा है, बड़े आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि शोर और समझ में प्रतिलोम अनुपात है। अभी

विरोधी दल के पूर्व वक्ता ने कहा, कि कोई ऐसा मन्त्री नहीं आया है जिस पर कीचड़ इस पद पर न उछाला गया हो। मैं बड़े आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग कीचड़ उठाने में लगा हुआ है, कीचड़ उछालने का श्रेय आप ही लोगों को है। हमें शब्दों से लड़ाई नहीं करनी है, मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व १५,११३ किलीमीटर लम्बी सड़कें थीं। १९६८ के अन्त में २८,८३५ किलोमीटर हो गई और १९६८–६९ में ३७८ किलोमीटर और बनाई गई। इस दरम्यान में ११ पुल बनाये गये। चालू वर्ष में २४८ किलोमीटर लम्बी सड़कें और १३ नये पुल बनने हैं। यह आंकड़े भले ही विरोधी दल के सदस्यों के लिए कोई माने न रखते हों, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों के लिये माने रखते हैं, जिनके लिए सड़कें हो जाने से उद्योग तथा निर्माण के नये नये मार्ग खुल जायंगे। उनके लिये यह काफ़ी माने रखता है जिनके गांव बरसात के दिनों में टापू बन कर रह जाते थे और चारों तरफ़ पानी भर जाने के कारण वह दुनिया से अलग हो जाते थे। यह आंकड़े इस सदन में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कोने कोने में प्रस्फुटित होंगे। यह सब हमारे गरीब वर्ग की आशा है, स्वप्न है। ये आंकड़े उनकी आशाओं के प्रतीक हैं, और यह बजट और अनुदान उन्हीं स्वप्नों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प है।

एक सदस्य––

श्रीमन्, ५ मिनट तो इनके समाप्त हो गये।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह––

यदि आप को सुनने में तकलीफ़ होती है तो मैं एक बता ऊं, ईश्वर ने आप को एक मुंह और दो कान दिये हैं, तो आप को सुनना दुगुना चाहिये। साथ ही इस अनुदान में जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग के लिए इस बजट में पहली बार योजना रखी गयी है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है जो नीचे तबके के लोगों को उठाने के लिए किया गया है। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्र के लिए इकट्ठा २५ लाख रुपया रखा गया है, जो स्वागत योग्य है। यह सीमान्त क्षेत्र इस प्रदेश का ही नहीं वरन् पूरे देश का सीमान्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उन्नति करना नितान्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजों की मांग की गई है, मेरा नम्र निवेदन है कि समस्याओं के हल से नहीं, बल्कि समस्याओं के स्तर से, प्रगति नापी जाती है। मानव इतिहास रहा है, आजतक सभी समस्यायें कभी हल नहीं हुई हैं, और न हो सकती हैं। हमारे प्रगति का मापदण्ड यही है कि जो हम १० साल पहले मांग रहे थे उस से बड़ी चीजें आज विरोधी दल मांग रहा है। इससे स्पष्ट है कि हमने निश्चित ही प्रगति की है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा हुई यह एक विकट समस्या है। जब विरोधीदल के सदस्यों ने राज्य की बागडोर संभाली थी तब उन्होंने भी इसकी जटिलता का अनुभव किया होगा।

एक सदस्य––

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री विश्वनाथप्रतापसिंह––

आपके पास कोई नई घड़ी है? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार की समस्या है यह इस देश की ही समस्या नहीं है बल्कि अधिकांश देशों की समस्या है। एशिया में जितने देश स्वतन्त्र हुये हैं सभी को अपनी स्वतन्त्रता के बाद ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है, चाहे वह बर्मा, इंडोशिनेया, पाकिस्तान या श्री लंका कोई भी देश हो। हर देश में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ी है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से भारत में भ्रष्टाचार और देशों की अपेक्षा बहुत कम है। आपका सुझाव है कि सब को दंडित किया जाय।

[विश्वनाथ प्रताप सिंह]

लेकिन दंड का एक प्रभाव होते हुए भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के अन्दर यह दंड नीति बरती गयी तो घूसखोरी की संख्या अवश्य कम हो गयी लेकिन रकम बढ़ गयी, क्योंकि उसमें खतरा ज्यादा था ंड से नहीं, सामाजिक विषमता को दूर करके समाजवादी व्यवस्था लाकर के ही हम इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। नैराश्य के नारे हम लोग सुन रहे हैं। किन्तु मानव इतिहास रहा है कि नैराश्य से आशायें बलवती हुई हैं। यह आशा का बजट है अस्तु विजयी है। माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि पी० डब्लू० डी० खत्म कर दिया जाय। ऐसा अगर हो जाय तो सदन ही नहीं रह जायेगा। लेकिन हम सब सदस्यों को जैसे सदन को आवश्यकता है वैसे ही इस प्रदेश की प्रगति के लिये इस विभाग का रहना अत्यन्त आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री श्यामसूरत—

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की तरक्की तब तक न होगी जब तक गांवों में यातायात के साधन न हों। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जब स्वतंत्रता हमको हासिल हुई हमारे देश में कुल १५,११२ किलोमीटर सड़कें थीं, लेकिन उसके बाद कुल १६ हजार किलोमीटर सड़क हम बना सके हैं। अगर इसीगति से बढ़ेंगे तो हम अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। अगर प्रति वर्ष के हिसाब से इस गति को देखें तो ८ सौ किलोमीटर प्रति वर्ष हमने सड़क बनाई है। इस वर्ष १९६९–७० के बजट में २४८ किलीमीटर सड़क बनाने का प्राविधान है। समझ में नहीं आता कि रुपये बजट में बढ़ गया है लेकिन सड़कें क्यों काट दी गयी हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपये का प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग पर खर्च करने के लिये है लेकिन ग्रामीण सड़कों पर कुल बजट का १८ प्रतिशत पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिये कि शहरों में बाबुओं और अफ़सरों के रहने के लिये अच्छे-अच्छे मकान व सड़क हासिल हैं। लेकिन देहात में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कें ही उपलब्ध होती हैं और उन पर १८ प्रतिशत ही खर्च करने का प्राविधान है।

अब मैं अपने क्षेत्र की दो तीन सड़कों का जिक्र करूंगा। एक सड़क सोराम–फूलपुर–हंडिया है जो सन् १९६४ से बन रही है और उस पर कुल ३३ लाख २९ हजर रुपया खर्च करने के लिये था। उसमें १३ लाख ४९ हजार १५४ रुपया खर्च हुआ है। ५ लाख रुपया और रखा गया है। अगर यह रुपया भी खर्च हो जायगा तो कुल १८ लाख ४९ हजार १५४ रुपया इस सड़क पर खर्च होगा। इस गति से अभी इसमें ८, १० वर्ष पूरा होने में लगेंगे। अगर योजना ज्यादा देर में पूरी होती है तो उसमें रेकरिंग खर्च जरूर बढ़ जाता है यह भी माननीय मंत्री जी को मालूम होना चाहिये। इसी सोराम-फूलपुर-हंडिया वाली सड़क से ६ मील दूर जंघई-जौनपुर वाली पक्की सड़क है। अगर उस सड़क से इस सड़क को मिला दिया जाता है तो बनारस, प्रतापगढ़, जौनपुर सब जगह के लोग आ जा सकेंगे। पता नहीं योजना बनाते समय यह ६ मील की सड़क बीच में कैसे छूट गयी। जंघई रोड को पक्का होना अत्यन्त आवश्यक है। यह ६ मील सड़क छूट जाने से वहां पर फूलपुर-हंडिया सड़क जो बन रही है उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है क्योंकि जौनपुर, प्रतापगढ़ और बनारस से जो आते हैं हंडिया फूलपुर जाने के लिये रास्ता ही बन्द हो जाता है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जंघई-वारी सड़क जो ६ मील का टुकड़ा है उसको पक्का कर दिया जाय। इसी प्रकार से फूलपुर-सैदाबाद रोड भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है। अगले वर्ष इस सड़क को लेने की कृपा की जाय। हंडिया में जब डा० के० एल० राव आये थे १९६५ में तो उन्होंने एक गुडरी बांध बनाने के लिये शिलान्यास किया था और अपना एक बड़ा सा भाषण भी दिया था। वह वहां पर कांग्रेस सदस्य को जिताने की दृष्टि से गये थे तो उसी सिलसिले में उन्होंने गुडरी बांध बांधने के विषय में कहा था, लेकिन अभी तक वह गुडरी बांध नहीं बना है। उसके न बनने से १० हजार एकड़ भूमि हर साल कट जाती है। यह बांध बन जाय तो उससे वह कटाव बन्द हो जायगा और वहां की जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

इसी प्रकार से फूलपुर में तीन सड़कें और हैं जिनका बनना जरूरी है। एक हनुमानगंज-छिबरिया-कुटवान। दूसरी गौरापुर-सिकन्दरा और तीसरी सड़क है सहसो-मुगरसन। ये तीन सड़कें बहुत जरूरी सड़कें हैं। तीन मील की दूरी पर ये पक्की सड़क से मिलती हैं। इनको अगली योजना में रखकर यदि पक्का कर दिया जाय तो जनता का बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार से हंडिया तहसील में आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत जो काम हो रहा था काम खतम कर दिया गया। यह स्कीम खतम होने से जो उसके अन्तर्गत काम हो रहा था उसको भी समाप्त कर दिया गया। हमारी राज्य सरकार ने भी अभी तक उस स्कीम को ठप किये हुये हैं। करीब लाखों रुपया उस स्कीम के अन्तर्गत खर्च हो चुका है। अगर उस स्कीम को पूरा नहीं किया जाता तो लाखों रुपया बरबाद हो जायगा और जनता को कोई राहत नहीं मिलगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर केन्द्र ने सहायता बन्द कर दी है तो राज्य सरकार उस स्कीम को पूरा करने के लिये बजट में प्राविजन करे। मैं श्रीमन्, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है उसका विरोध करता हूं।

डाक्टर जगदीश्वर दयाल (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। मैं आपके द्वारा सदन क समक्ष यह रखना चाहता हूं कि मैं छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद से आया हूं। वहां पर जब से आजादी हुई आज तक एक भी सड़क का इस विभाग के द्वारा निर्माण नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनाई गई है। छिबरामऊ-विष्णुगढ़ सड़क बहुत जरूरी सड़क है। यह ६ मील की सड़क है। इसमें से २ मील बन चुकी है और ४ मील बाकी है। यह सड़क दोनों कस्बों को मिलाती है तो उसका बनना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से तालग्राम की ८ मील की कच्ची सड़क है। इसको पक्का करने की जरूरत है। सौरिख से सकराबा तक यह सड़क बन जाय तो इससे जनता को वहां पर बहुत आराम मिल सकता है और उनकी हालत सुधर सकती है जो वहां पर रहते हैं। वहां तहापुर में एक पुल बन रहा था अब हम देखते हैं कि उसका नाम तक नहीं है कि वह बनेगा या नहीं। उधरनपुर काली नदी का पुल जो वहां बन रहा था लेकिन जब मजदूरी बढ़ गई तो उसको रोक दिया गया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार किया जाय। मजदूरी बढ़ने से उसको रोकना नहीं चाहिये और उस पुल का बनना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार कानपुर से नहर की पटरी पर दुकानदार बैठते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड उनको हटाता नहीं है। अगर उस नहर को पाट दिया जाय तो इससे उनको आमदनी भी हो सकती है और उन लोगों को भी लाभ हो सकता है जो वहां पर बैठ कर अपनी रोजी कमाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस नहर को पाट दिया जाय। इससे वहां के अफसरान को नाजायज फायदा होता, इसलिए वह लोग उनको हटाना नहीं चाहते और न हटाने से रोडवेज का इन्तजाम बहुत खराब है। अगर यह नहर पाट दी जाय तो यात्रियों को बहुत आराम होगा। मैं पुनः अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

रामकरन जी, आप कितना समय लेंगे, कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में? श्री चन्द्रपाल आजाद।

श्री रामकरन--

१० मिनट।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं दो एक को और बुला लेता हूं।

एक सदस्य—

हमारा एक कामरोको प्रस्ताव है इलाहाबाद का...

श्री अध्यक्ष—

यह तय हुआ है कि ५ बजे वह शुरू हुआ करेगा साढ़े चार बजे के बजाय। साढ़े चार बजे से ५ बजे तक कटौती के प्रस्तावों का मंत्री जी उत्तर देंगे। ५ बजे वोटिंग होगी और उसके बाद ५१-५२ के प्रस्ताव लिये जायेंगे।

एक सदस्य—

हमको भी ५ मिनट का मौका दीजिय, हमको सुबह से मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।]

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मथुरा जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूं। मंत्री जी ने एक इंच सड़क का भी प्राविधान मथुरा जिले के लिए नहीं रखा है। एक सड़क खैर से टेंटीगांव होती हुई वाया राया-दाऊ जी खदौली टूंडला तक की है जो कि तीन जिलों को मिलाती है। राया से दाऊ जी तक की सड़क तो राज्यपाल शासन के समय बनने वाली थी, अगर वह शासन कुछ दिन और रहता तो वह निर्मित हो गयी होती, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण सड़क को आपने बजट में नहीं रखा है। इसी तरह से एक सड़क है राया से सादाबाद और कोसी से साहपुर वाया शेरगढ़। ये सड़कें अवश्य निर्मित होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रिज है शेरगढ़ का वह बड़ा महत्वपूर्ण है उससे अलीगढ़ के हिस्से की पूर्ति होती है और सारी दृष्टि से वह हितकर है। दूसरा गोकुल का पुल है, वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण को मथुरा से वसुदेव जी वहां रात्रि में ले गये थे, उसको अवश्य बन जाना चाहिए जमुना पर। तीसरा पुल वृन्दावन पर जो माट को मिलायेगा। मंत्री जी ने एक इंच सड़क का भी प्राविधान नहीं रखा, आशा है कि वह इन सड़कों की और पुलों को अवश्य बनवाने की कृपा करेंगे।

*श्री विजयबहादुरसिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस बजट में साहस के साथ काम नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में सड़कों की जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु जो साहसपूर्ण कदम सरकार को उठाना चाहिये था वह नहीं उठाया गया है और इस बजट से उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। यह वह पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर कि पारसाल आपने देखा कि कितना भयानक सूखा पड़ा, और वह क्षेत्र अकाल पीड़ित रहा। वहां प्रत्येक वर्ष ही ऐसी हालत रहती है जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है और वहां की गरीबी बढ़ती जा रही है। इसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है कि वहां पर यातायात के कोई साधन नहीं हैं। वहां पर आज से नहीं, पिछले २२ वर्षों से बराबर यह मांग होती रही है कि गंगा पर एक पुल बनाया जाय। सन् ६७ में मान्यवर, यह घोषणा भी कर दी गयी थी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिर्जापुर में गंगा पर एक पुल का निर्माण होगा। मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वर्षों से यह प्रश्न इस तरह उलझता रहा है कि उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और वहां की गरीब जनता परेशान है। श्रीमन्, इस नगर की लगभग एक लाख की आबादी है। वहां पर कोई उद्योग धन्धे भी नहीं हैं। आज से नहीं, २२ वर्षों से वह नगर उपेक्षित रहा है। मिर्जापुर जनपद के विकास के लिये, वहां की जनता की ओर से, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम वहां पर गंगा नदी पर पुल अवश्य बनवा दें ताकि वहां की गरीब जनता का जीवन स्तर कुछ ऊपर उठ सके।

जहां तक मिर्जापुर में सड़कों की समस्या का सम्बन्ध है, उस ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर लाखों रुपया ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत खर्च कर दिया गया है, परन्तु वहां की आज हालत यह है कि बरसात के कारण ये सड़कें कहीं से टूट रही हैं तो कहीं से बह रही हैं। लाखों रुपये की पत्थर की गिट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन इस बजट में उनके इस्तेमाल के लिये रुपया नहीं रखा जाता जिससे कि लाखों रुपया जो बरबाद हो रहा है वह न हो सके। हमारे यहां छियानवे क्षेत्र में, कोन, मझवा, और सीखन विकास खंड में, जहां कि ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत काम हुआ है, और जो सड़कें बरबाद हो रही हैं, जनता के धन का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, यदि उन सड़कों को पक्का बना दिया जाय तो उस हानि से बचा जा सके और उन सड़कों को नष्ट होने से बचाया जा सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गंगा के उत्तर भाग में सड़कें तो हैं, मगर उनकी हालत बड़ी बदतर है। इसलिये माननीय मंत्री जी को एक तो हमारे यहां गंगा पर पुल बनवाने की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, दूसरे जो सड़कें खराब पड़ी हैं उन्हें ठीक कराने की कृपा करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मिर्जापुर जिले में जो पिछले वर्ष अकाल पड़ा था, वहां, साधनों के न होने, विकास के न होने तथा गरीबी के कारण, १९६८ में १३ हजार व्यक्तियों की मौतें हुई थीं। मैं उस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता था कि वे भूख की परिभाषा कर दें। यदि आज भूख की परिभाषा हुई होती तो मैं इस सदन में यह बात साबित करता कि मिर्जापुर जनपद में ही १३ हजार व्यक्तियों की मौतें हुई हैं। ये आंकड़े हम लोगों ने ग्राम सभाओं के सभापतियों और थानों में जाकर एकत्रित किये हैं। मान्यवर, इसलिये मैं कहता हूं कि मेरी मांग है कि वहां पर हर हालत में सड़कों के निर्माण की ओर ध्यान दिया जाय। जहां तक सड़कों के निर्माण का सवाल है उस सवाल को हल करने के लिये मैं श्री गिरधारी लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे उस भूखी और गरीब जनता पर भी ध्यान दें। एक बार गोवर्धन पर ऐसा अवसर आया था जब इन्द्र का प्रकोप गोवर्धन पर हुआ था तो गिरधारी ने ही अपनी अंगुलि पर पर्वत उठा कर गोवर्धन की रक्षा की थी। तो आओ, आओ गिरधारी उसी प्रकार हमारे जनपद मिर्जापुर की रक्षार्थ और हमारा उद्धार करो। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं और यह भी कह देना चाहता हूं कि आज जो मेरे जनपद की स्थिति है, वहां जो बेकारी और भुखमरी है, मंत्रिगण वहां की पीड़ा को पहचानें, वहां का दर्द पहचानें। वहां की जवानी बीमार है, वहां की जवानी बेकार है। अगर वहां की जवानी के आंसू विद्रोह कर बैठे तो नक्सलपंथी की संज्ञा दी जायेगी। आप उस उपेक्षित दीन जनों की पीड़ा को पहचानें, कदम उठायें और वहां की रक्षार्थ, वहां के विकास के लिये हर प्रकार के सम्भव कदम उठाने की कृपा करें। मैं इन शब्दों के साथ जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनका अनुमोदन करता हूं।

(श्री रामकरन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात सुझावात्मक होगी, इसलिये मुझे समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैंने श्री रामकरन को बुलाया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, इनको एक ही मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, बहुत ज्यादती है। जब मैं उनको बुला चुका हूं। आप बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मेरा भाषण हुआ था सार्वजनिक निर्माण विभाग पर और शायद हमने भ्रष्टाचार के कई उदाहरण प्रस्तुत किये थे। आज अभी तक उस विभाग में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो पहली बात यह है कि यहां पर जितने भी हमारे कांग्रेसी सदस्य बैठे हुए हैं मैं उन उभी लोगों को और मंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करता हूं और चुनौती दे रहा हूं कि इस विभाग में अगर भ्रष्टाचार को पकड़ना चाहें तो मेरे साथ आज चलें, अभी चलें मैं इसी समय भ्रष्टाचार को पकड़वा सकता हूं और दिखा सकता हूं कि उनके विभाग में कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य है, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो मेरी बात सही है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी, श्री गिरधारीलाल जी को ही सार्वजनिक निर्माण विभाग का पद अभी तक दान में देते चले आ रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके विभाग में, वर्क आर्डर क्या है, मस्टर रोल क्या है और उनके विभाग में ठेकेदारों से कमीशन कौन-कौन लोग खाते कमाते हैं ? काफ़ी दिन हो गये उनको निर्माण मंत्री का पद संभालते-संभालते।

× × ×

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप मंत्री जी के लिये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उनको वापस लें।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के प्रति माननीय सदस्य को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये उनको ये शब्द वापस लेना चाहिये या उनको क्षमा याचना करनी चाहिये।

श्री मोतीलाल देहलवी---

यह हमारा विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष---

यह आपका अधिकार नहीं है।

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

श्रीमन्, या तो वे माफ़ी मांगें या उनको सदन से निष्कासित किया जाय।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष––

आप अपने शब्द वापस लें, मंत्री जी के खिलाफ इस तरह आप नहीं कह सकते।

श्री राममूर्ति 'अंचल'––

मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

(श्री देहलवी से) आप अपने शब्दों को वापस लें। अब आप कृपा करके बैठ जायं। आपका दो मिनट का समय भी हो गया है।

(श्री रामकरन को बुलाया गया।)

(श्री मोतीलाल देहलवी बैठ गये।)

श्री राममूर्ति 'अंचल'––

मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी सदस्य या मंत्री के विरुद्ध ऐसा कहना कि वह भ्रष्टाचारी है यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है, उसकी पवित्रता के विरुद्ध है। मान्यवर, वे या तो सदन को छोड़ दें, या माफ़ी मांगें, या अपने शब्दों को वापस लें या अपनी भूल स्वीकार करें।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)––

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

मैंने श्री रामकरन को बुला लिया है, आप कृपया बैठ जायं। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री रामकरन––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव पर अपने सुझाव रखे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के सामने जो विचार पेश किये गये हैं वे उन पर गौर करें और आने वाले दिनों में उनका स्पष्टीकरण दें। इसके अतिरिक्त १–२ ऐसी घटनायें हैं जिनकी तरफ़ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड है उसमें माननीय मंत्री जी कुछ पब्लिक के आदमियों को भी रखें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मलौनी बांध पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। उसके लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने सुझाव दिया है कि उसको २ मील पीछे हटा दिया जाय। अगर इस सम्बन्ध में वहां के लोगों के विचारों को भी जाना जाय तो उनके सुझाव व्यवहारिक रूप से लाभदायक होंगे। इसी प्रकार से रुड़की में विशिष्ट इंजीनियरों की एक कमेटी है जो प्लान बनाती है, उसमें भी पब्लिक का समावेश होना चाहिये ताकि आपके सामने टैक्नीकल और पब्लिक दोनों की राय का समावेश हो सके। अगर आपके सामने दोनों बातें आ जायंगी तो उससे अधिक लाभ होगा। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ साथियों ने सुझाव दिया था कि जिले जिले में जो आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधी परामर्शदात्री समितियां थीं और जो पिछले दिनों बन्द हो गयीं थीं, जिनके माध्यमि से जिले जिले से सुधार के लिये सुझाव आते थे, उसे भी अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन]

आप कंटिन्यू कर सकें तो करने का प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका जवाब दें ।

चौधरी गिरधारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सबेरे से इस वक्त तक सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनीं और अपने तमाम सदस्यों का मैं बहुत अहसानमन्द हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव दिये हैं । मैं उनको बतला दूं कि बहुत सी बातें जो उन्होंने सड़कों के सिलसिले में कहीं उनको नोट कर लिया गया है । इसी बीच में सामने से एक साहब ने कहा था कि मेरा संबंध एक कंट्रैक्टर से है । लेकिन मुझे शक है कि उनके दिमाग में दूसरा कंट्रैक्टर बोल रहा है । मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से डील किया है और यह चीज ऐसी नहीं है जिसका जवाब यहां दूं । उसके फाइल है, रेकार्ड्स हैं और तमाम चीजों को देखा जा सकता है ।

इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं । बहुत मसलों को यहां राजनीतिक दृष्टिकोण से रखा गया है, उसक बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । हर आदमी अपने अपने नजरिए से सब बात कहता है, अपने अपने चश्मे से, अपनी अपनी दृष्टि से सब चीजें देखता है ।

जहां तक लेटरल रोड्स की बात है, इसके लिए शुरू शुरू में सन् ६४ में केंद्रीय सरकार ने हमें ३६ करोड़ रुपया दिया लेकिन बाद में कुछ आर्थिक संकट आने के कारण वह काम पड़ा रहा । फिर सन् ६६ के बाद में काफी कहने सुनने और लिखा पढ़ी करने के बाद उसकी शुरूआत हुई । उसका स्पेसिफिकेशन कुछ कम हो गया । पहले जहां २२–२३ फीट चौड़ी सड़क बननी थी वहां वह १२–१३ फीट चौड़ी ही रह गई । उसका काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है । मशीनों की जो बातें कही गयीं, कुछ मशीनें भी उसी खयाल से ली गयीं थीं । मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राम करन सिंह जी को इस महकमे की वर्किंग का बहुत अच्छा तजुर्बा है और उन्होंने गोरखपुर डिवीजन के संबंध में जो बहुत से सुझाव दिये हैं, उनका मुझे पूरी तरह से ख्याल है और जितना हो सकता है हम हर चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ।

एक बात उन्होंने कुछ छोटे ठेकेदारों की कही । जो बात उन्होंने कही उसके बारे में खुद हम लोगों की फीलिंग है कि इस वक्त पूरे महकमे में ऐसे बड़े-बड़े ठेकेदार नहीं हैं । जो छोटे ठेकेदार हैं वे काम की पूरी वाकफियत नहीं रखते । पहले जो लोग यहां वर्कचार्ज्ड में थे, उनको जब यहां यहां से निकाला गया तब बाहर जाकर पेटी कंट्रेक्ट ले लेकर वे उन्हीं लोगों के गाइडेंस में काम करने लगे ।

जहां तक रेट की बात है, मैं फिर आपको बतला दूं कि वाकई इस वक्त रेट बहुत कम है और काफी किफायत से काम हो रहा है । फिर भी आपका जो सुझाव है उसको हम देखेंगे और अगर कोई रास्ता निकल सका तो निकालने की कोशिश करेंगे ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा काम हो ।

पटेल योजना की बाबत भी कुछ बातें यहां कही गयीं । उसके अनुसार जो काम चालू हुआ वह केंद्रीय सरकार द्वारा ही रुपया देने पर चालू हुआ था लेकिन बाद में वह योजना खत्म हो गई । एक तरफ तो केंद्रीय सरकार कोई योजना चालू करती है और फिर बाद में उससे हट जाती है । इसी प्रकार से जब पटेल योजना चालू हुई तो उसके अनुसार ४ पूर्वी जिलों में काम शुरू हुआ लेकिन बाद में वह उससे पीछे हट गई और वह काम जैसे का तैसा पड़ा रह गया । जितना काम शुरू हुआ था वह सब काम पूरा किया जा सके, किसी न किसी तरीके से इसके लिये हमारी कोशिश है । मैं इस वक्त आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों का अहसानमन्द हूंगा कि बिना किसी हुज्जत के वे इस अनुदान को स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,५४,२४,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—संचार-साधनों का सुधार के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—संचार-साधनोंका सुधार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६३,४५,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च,१९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३५--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,७५,७०,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,३८,१८,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्यवृत्त में संशोधन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है माननीय असरार अहमद के बारे में। जो कार्यवृत्त संक्षिप्त छपता है जिस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये हैं गलती से छपा है कि वे निर्दलीय दल से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, यह गलत है। वे भारतीय क्रांति दल में सम्मिलत हुए हैं। इसे आप ठीक कर लें ।

इलाहाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सचना

श्री अध्यक्ष--

साहु केमिकल्स पर आज जवाब दिया जायगा और आज मैंने एक मंजूर किया है सर्वश्री रामगोपाल संड और कन्हैयालाल सोनकर का "इलाहाबाद नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाना'। लेकिन इसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि वे आज नहीं, ४ तारीख को जवाब दे सकेंगे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत कतिपय सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, सर्वसुख सिंह, रूपनाथ यादव, श्यामसूरत उपाध्याय, रामपूजन पटेल, अनन्त राम जायसवाल, राजित राम पांडेय तथा मनोहर लाल द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न हैं "नगरपालिका इलाहाबाद के कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाया जाना" यह मैंने बतला दिया है ऊपर कि स्वीकार किया गया है और ४ तारीख को मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

दूसरा है श्री मोहन लाल कपूर का प्रश्न "नगरमहापालिकाओं के सभी श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल न करने के बारे में अध्यादेश"। इसको कल मैंने अस्वीकार कर दिया था और फिर आज उन्होंने भेज दिया। ऐसा कोई अध्यादेश नहीं है। इसके बारे में मंत्री जी के पास भेज दिया है कि इसके बारे में किसी दिन वह सदन को सूचना दे दें।

तीसरा प्रश्न है सर्वश्री प्यारे लाल, शिव कैलाश तथा अनीसुर्रहमान का "नानक सागर बांध के समीप ग्राम देवी पुरवा, जिला नैनीताल के श्री माखन सिंह की खेत जोतते समय गोली मार कर हत्या"। इसे भी मंत्री जी के पास भेज दिया है ताकि वह सदन को सूचना किसी दिन दे दें।

चौथा प्रश्न है सर्वश्री गया प्रसाद, तेजभान सिंह व अनन्तराम जायसवाल का "ग्राम रोर, थाना बाघराय, जिला प्रतापगढ़ के प्रधान बैजनाथ सिंह का दिनांक २० जुलाई, १९६९ को कत्ल"। इसे मंत्री महोदय को भेज दिया है कि इसकी सूचना वह सदन को दे दें।

एक प्रश्न है सर्वश्री बैजनाथ प्रसाद तथा दीपनारायण मणि त्रिपाठी का 'ग्राम भजन छपरा, थाना खड्डा, जिला देवरिया की भूमि पर पुलिस की कथित साजिश"। इसको भी मंत्री जी के पास भेज दिया है।

एक प्रश्न है सर्वश्री सच्चिदानन्द व बैजनाथ प्रसाद का "कोरियागांव आलमबाग लखनऊ में बिना नोटिस के श्री हरीलाल हरिजन का मकान गिराया जाना"। इसे भी मंत्री जी के पास भेज दिया है।

एक प्रश्न है श्री हुकुमसिंह परिहार का "हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों की मान्यता समाप्त किया जाना।" इस पर माननीय सदस्य शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर लें तो अच्छा है। इतने प्रश्न हैं कि एक-एक सवाल के जवाब देने में देरी होगी।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में है जिसको मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। मंत्री जी उस पर अपना वक्तव्य ८ अगस्त, १९६९ को देंगे।

हरदोई जिले के तेजपुरवा ग्राम के संबंध में नियम ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

हरदोई जिले के तेजपुरवा ग्राम के संबंध में मेरे पास नियम ५२ तथा ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं आई हैं। मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत उसको भी स्वीकार किया है। उस पर मंत्री जी अपना वक्तव्य ५ अगस्त को देंगे।

साहू केमिकल्स, वाराणसी में तालाबन्दी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

*नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैसर्स साहू केमिकल्स एन्ड फ़र्टीलाइजर्स लिमिटेड, साहूपुरी, वाराणसी के केमिकल्स फ़ैक्ट्री मजदूर यूनियन ने अपने पत्र दिनांक २४ अप्रैल, १९६९, द्वारा यह नोटिस दी थी कि उस पत्र में उल्लिखित मांगें २ दिन के अंदर न पूरी की गईं तो श्रमिक खुलकर सीधे संघर्ष में आएंगे। उपरोक्त कारखाने के अन्य तीनों यूनियनों (१) साहू केमिकल्स कर्मचारी संघ, (२) र सायनिक मजदूर संघ तथा (३) साहू केमिकल्स इम्प्लाइज यूनियन ने भी दिनांक १ मई, १९६९ को नोटिस दी कि यदि १५ दिन के अन्दर हेवी केमिकल्स तथा फ़र्टीलाइजर्स वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू न किया गया तो श्रमिक सीधी कार्यवाही पर चले जायेंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया किन्तु सफ़लता नहीं मिली और कारखाने में १५ मई, १९६९ को प्रातःकाल ८ बजे से आंशिक भीतर रहो हड़ताल (स्टे इन स्ट्राइक) हो गई। लगभग १५० श्रमिक कारखाने के फ़ाटक पर बैठ गए और किसी भी कर्मचारी को अन्दर नहीं जाने दिया। यह भी सूचना मिली है कि १६ मई, १९६९ को सामान्य पाली (८ बजे प्रातः से ५ बजे सायंकाल) के लगभग २०० श्रमिकों द्वारा कारखाने के मुख्य इंजीनियर तथा मैनेजर का ११-१/४ बजे घेराव किया गया। जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप से १२-१/४ घेराव समाप्त हुआ तथा ९ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये। २२ मई, १९६९ को सेवायोजकों ने एक नोटिस जारी की जिसमें कहा गया कि यदि श्रमिकों ने "स्टे इन स्टाइक" समाप्त नहीं किया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी "स्टे इन स्ट्राइक समाप्त न होने के कारण सेवायोजकों ने २६ मई, १९६९ की रात की पाली से कारखाने में तालाबन्दी घोषित कर दी।

श्रमिकों की मुख्य मांगें यह हैं कि—

(१) कारखाने के ६ श्रमिक जो १९६८ की हड़ताल में निकाल दिये गये थे उनको फ़िर से लिया जावे; तथा

(२) हेवी केमिकल्स एन्ड फ़र्टीलाइजर्स वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को तुरन्त लागू किया जाय।

उपर्युक्त मांग नं० (१) में उल्लिखित ६ श्रमिकों का मामला संराधन समिति के सम्मुख जाने के बाद अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय को भेजा गया था तथा श्रम न्यायालय ने इन श्रमिकों के निष्कासन को अपने एवार्ड में उपयुक्त बताया। इन ६ श्रमिकों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कारखाने के प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारी को मारा। श्रम न्यायालय के फ़ैसले के बाद सेवायोजकों का यह कहना है कि जब श्रम कानून के अनुसार पूरी कार्यवाही हो चुकी है तो इस विषय पर कोई अन्य समझौता नहीं हो सकता।

जहां तक वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने का प्रश्न है, प्राप्त सूचना के अनुसार सेवायोजक वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने को तैयार हैं किन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों का यह कहना है कि वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के अनुसार वेतन बढ़ोत्तरी तो दी ही जाए किन्तु कारखाने में जो "इंसेंटिव स्कीम" पहले से चल रही है उसे भी लागू रखा जाय। सेवायोजकों का कहना है कि भारत सरकार के उस प्रस्ताव में, जिसके द्वारा वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें मंजूर की गई हैं, यह प्राविधान किया गया है कि यदि पहले से कोई समझौता लागू है तो वह पूरी तरह से हटाकर पैकेज की तरह वेज बोर्ड का एवार्ड लागू किया जा सकता है। सेवायोजक "इंसेंटिव स्कीम" को समाप्त करके वेज बोर्ड का एवार्ड लागू करने के लिये तैयार हैं श्रमिक प्रतिनिधियों का कहना है कि "इंसेंटिव स्कीम" कारखाने में पहले से चली आ रही है, अतः वेज बोर्ड का एवार्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लागू करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये और यह ज्यों की त्यों लागू रहनी चाहिए चाहे इसके पुनरीक्षण के विषय में बातचीत होती रहे। सेवायोजक बातचीत के लिये तो तैयार हैं किन्तु फ़िलहाल वह "इंसेंटिव स्कीम" को वेज बोर्ड का एवार्ड लागू होने पर समाप्त कर देना चाहते ह। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों में वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण के सिद्धांतों पर भी मतभेद है। श्रम विभाग द्वारा बराबर इस संबंध में समझौता कराने की चेष्टा की गई किन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद १९ तथा २० जून, १९६९ को वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने के प्रश्न पर विचार हेतु बुलाए गए त्रिदलीय सम्मेलन में भी उक्त विषय पर विचार किया गया किन्तु कोई समझौता न हो सका तथा यह निश्चय किया गया कि श्रमायुक्त इस मामले में समझौता कराने का प्रयास करें। और यदि सफ़लता न मिल सके तो सरकार को यथावश्यक कार्यवाही हेतु स्थिति से अवगत करा दें। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमायुक्त द्वारा किये गए समझौता प्रयासों में अभी तक कोई सफ़लता नहीं मिली है। समझौते का प्रयास अभी जारी है।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ६ श्रमिक निकाले गये थे उनके मामले को लेकर माननीय उप मुख्य मंत्री को दोनों पार्टियों ने पंच माना था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जिस समय पंचनामे की बात है यह इस सरकार के बनने के पहले की है। इस संबध में दो रायें हैं। कुछ का कहना है कि उनको पंच माना था और कुछ का कहना है कि नहीं माना था।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे इस नाते से दोनों पार्टियों ने उनको पंच माना था और इसलिये श्रमिकों ने मुकदमे की पैरवी नहीं की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, प्राप्त सूचना के अनुसार यह प्रश्न माननीय त्रिपाठी जी के पास गया था और उन्होंने समझौता कराने का प्रयास किया था।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मजदूरों को बैनीफिट मिल जाता है तो क्या उसको मिल मालिक खत्म कर सकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तो आम सवाल है। यह मेरे लिये कहना मुश्किल है और मेरे लिये यह कहना संभव नहीं है कि वे मान सकते हैं या नहीं। प्रत्येक प्रश्न पर अलग अलग निर्णय होगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घिराव के समय वहां ९ श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया तो क्या उनका गिरफ्तार किया जाना जरूरी था या बिना उनके गिरफ्तार किये स्थिति काबू में लाई जा सकती थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर स्थानीय जिलाधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं कि उस समय उनका गिरफ्तार करना उचित है या नहीं और उन्होंने उसका निर्णय लिया।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार और रा य सरकार दोनों ने स्वीकार किया है तो साहू केमिकल्स के प्रबन्धक सर्वसम्मत निर्णय को भी नहीं मान रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि वेज बोर्ड ने जो न्यूनतम दरों को माना था उसको केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है । न केवल राज्य सरकार ने बल्कि सभी ने स्वीकार कर लिया है । उनका कहना यह है कि वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करते हैं । लेकिन विवाद इनसेंटिव स्कीम के संबंध में है ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस झगड़े को लेकर मैनेजर तथा मजदूरों के ऊपर १०७ की कार्यवाही हो रही है । जिसमें मिल का मैनेजर आज तक अदालत में हाजिर नहीं हुआ बावजूद इसके कि वह फ़ैक्टरी में ही रहता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसकी सूचना अदालत को होगी, मुझे सूचना नहीं है कि वे कहां हाजिर हुये कहां नहीं हुये ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आयोग ने प्रोत्साहन बोनस को वेतन में सम्मिलित नहीं किया है ? यदि वे इस राय के हैं तो उसको मनवाने के लिये साहू केमिकल्स के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मुझे सूचना है ओवर टाइम , बोनस का कोई प्रश्न उसमें नहीं है ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस नहीं दी बल्कि सीधी कायवाही का नोटिस दिया जिस समय फ़ैक्टरी के अन्दर जाकर मजदूर काम नहीं कर रहे थे इसलिये फ़क्टरी के मालिक ने अपने वाच ऐंड वार्ड के द्वारा पिटवाया और जबरदस्ती निकलवा कर तालाबन्दी की नोटिस दे दी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे, सीधी कार्यवाही नाम की कोई कार्यवाही का विधान हमारे कानूनों में नहीं है । सीधी कार्यवाही के कई अर्थ हो सकते हैं । उस समय जो सीधी कार्यवाही का नोटिस दिया गया उसका वैधानिक दृष्टिकोण से क्या अर्थ होगा यह स्पष्ट नहीं है । जहां तक वाच ऐंड वार्ड से पिटाई का प्रश्न है ऐसी कोई सूचना नहीं है । यह बात सही है कि मिल मालिकों ने तालाबन्दी की ।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली ह तो क्या साहू केमिकल्स को इस बात के लिये मजबूर करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा त्रिदलीय सम्मेलन में साहू केमिकल्स का प्रश्न आया था और यह निर्णय हुआ कि इस संबंध में लेबर कमिश्नर समझौता करवाने का प्रयत्न करेंगे ।

इसमें वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के अतिरिक्त और भी प्रश्न हैं जैसे ८ कर्मचारियों को लेने का भी प्रश्न है, इंसेंटिव स्कीम का भी प्रश्न है। अगर लेबर कमिश्नर असफल हो जायेंगे तो सरकार को संस्तुति देंगे। वह संस्तुति हमारे पास आयी नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मजदूरों को इंसेंटिव स्कीम लागू रहने से कितना फ़ायदा होगा और न लागू रहने से मिल मालिकों को कितना फ़ायदा होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अगर वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों के अलावा इंसेंटिव स्कीम चालू रहेगी तो औसतन आमदनी १५ रुपये माहवार मजदूरों को मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो इतनी मात्रा में मालिकों को लाभ होगा।

श्री उमाशंकर तिवारी—

माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब-जब त्रिदलीय सम्मेलन होता है, और उसकी पहली मीटिंग में जो कार्यवाही मानली गई होती है उसके विरोध में फ़ैक्टरी के प्रतिनिधि दूसरी नयी बात शुरू करते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह बात सही है कि सेवायोजक ८ कर्मचारियों को साहू केमिकल्स में दोबारा लेने को तैयार नहीं प्रतीत होते हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

साहू केमिकल्स में हड़ताल का ६७वां दिन है। इस बीच में कई पंच माने गये। श्रम मंत्री को दोनों पक्षों ने पंच माना। उप मुख्य मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी को भी पंच माना गया। उसके बाद लेबर कमिश्नर को सौंपा गया कि वह इस विषय को देखें और इसमें समझौता करवाने में सफ़लता प्राप्त करें। यदि सफ़लता न हो सके तो राज्य सरकार को लिखें। मैं पूछता हूं कि हड़ताल ६७ दिन तक चल रही है, लेबर कमिश्नर ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी तो क्या मंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करके इस हड़ताल को तोड़ेंगे और मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रयत्नशील होंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे। संभवतः उनको पूरी सूचना नहीं दी गयी है। ऐसा कोई भी स्थल उपस्थित नहीं हुआ जब पंच माना गया हो मुझे या उपमुख्य मंत्री को, कोई स्थल नहीं आया जब कि हमें पंच के रूप में माना गया हो। अगर पंच के रूप में माना गया होता तो बाकायदा पंचनामा होता। ऐसा जरूर हुआ कि समझौते के लिये कई बार बातें हुईं और समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वह प्रयत्न विफ़ल रहे। अब जहां तक त्रिदलीय सम्मेलन के अनुसार लेबर कमिश्नर के रिपोर्ट देने का सवाल है, राज्य सरकार को रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। उनसे कहा गया है कि वह शीघ्रताशीघ्र उसे प्राथमिकता देकर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को दें। उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा कि सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आमतौर पर सेवायोजक लोग वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें नहीं लागू करते ह, क्या सरकार इस संबंध में कोई बिल लाने को सोच रही है, ताकि सेवायोजकों को मजबूर किया जा सके कि वह वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें लागू करें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन, को पता हो कि वेज बोर्ड जब कोई सिफ़ारिशें करता है तो उसे लागू करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें सरकार, मजदूर और मालिकों, तीनों के प्रतिनिधि होते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं उन्हें लागू करने का दायित्व सरकार पर रहता है। जब इस प्रकार की बात होती है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धारा ३ के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। यदि कोई वेज बोर्ड के निर्णयों को लागू न करे तो उन पर धारा ३ के आधार पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और चलाया जाता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अनुसार इस तरह की तालाबन्दी गैर कानूनी होती है, तो क्या विभाग की ओर से इस तालाबन्दी को गैर कानूनी घोषित किया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तालाबन्दी को गैर कानूनी घोषित करने के साथ साथ 'भीतर रहो' 'घिराव' और 'सीधी कार्यवाही' का प्रश्न भी गैर कानूनी घोषित करने का सवाल है। अतः इस संबंध में यह प्रश्न तब उठता है जब कि लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट सरकार के पास आ जाये।

श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हड़ताल के पूर्व इस संबंध में एक हड़ताल हुई थी जिसमें श्रम-आयुक्त, शान्ति प्रसाद और काशीनाथ पांडेय, एम० पी० के साथ विचार करने के लिये एक कमेटी बनी थी, जिसमें कि शान्ति प्रसाद जी ने बठने से इंकार कर दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तो मुझे सूचना है कि कमेटी बनी थी लिखित रूप में, लेकिन एक मतता प्राप्त करने में सफ़लता नहीं मिली। परन्तु उसमें अन्दरूनी क्या कार्यवाही हुई, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अनुसार बाद में उसे एड्जूडीकेशन में भेजने की कोशिश क्यों नहीं की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्योंकि इस कार्यवाही के करने से मजदूरों का अहित होता है। यदि प्रश्न एड्जूडीकेशन में जाता है तो उसके लिये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिये रास्ता खुल जाता है। इसलिये पद्धति यह है कि हम त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर मजदूरों के हित में कार्यवाही करते हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

लेबर कमिश्नर को जो आपने आदेश दिया है कि वह शीघ्रताशीघ्र रिपोर्ट दें लेकिन स्थिति को देखते हुये कि ६७ दिन हड़ताल हुये हो गये, क्या मंत्री जी कोई तिथि निर्धारित करने की कृपा करेंगे कि इस तिथि तक उनसे रिपोर्ट अवश्य प्राप्त हो जाये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आमतौर पर श्रमिक वर्ग की इच्छा यह रहती है कि कलेक्टिव बारगेनिंग के लिये मार्ग खुला रहे, संघर्ष चलता रहे और सरकार हस्तक्षेप न करे। यह बड़े दुख का विषय है कि सामान्यतः जो शान्तिपूर्ण संघर्ष की प्रक्रिया होती है उसमें समस्यायें हल नहीं हो पा रही है।

इतने दिनों तक हड़ताल चली इसका सरकार को दुःख है और हस्तक्षेप की अन्ततोगत्वा आवश्यकता होगी तब उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

७५ दिन हड़ताल को हो गये । सरकार अब भी आवश्यकता नहीं समझती हस्तक्षेप करने की तो, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी कितने दिनों तक हड़ताल और चले तब सरकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता समझेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य बाराबंकी मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार किसी लम्बी अवधि की हड़ताल की आवश्यकता समझती है । मैंने यह कहा था कि साधारणतया मजदूर संगठनों की यह आकांक्षा रहती है कि सरकार हस्तक्षेप न करे, अपने शासन का जोर न डाले और कलेक्टिव बारगेनिंग उनका उद्देश्य होता है । इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर कंसीलियेशन का प्रयास विभाग करता है । हमारी लगातार उसकी चेष्टा रही है और अब भी वही चेष्टा हमारी है । काफी समय उसमें दिया जा रहा है । आशा है कि श्रमायुक्त की रिपोर्ट जल्द ही आ जायेगी तब सरकार उसको कार्यान्वित करेगी ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

इस लम्बी अवधि से जो हड़ताल चल रही है उसका फायदा उठाकर मिल के मैनेजर मजदूरों से दस्तखत करा रहे हैं अपनी इच्छानुसार वेज बोर्ड को लागू करने के लिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य की सूचना सही हो सकती है ।

श्री गोविन्दसिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में केवल यह प्राविजन है कि जो सेवायोजक वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करते उनके खिलाफ प्राशीक्यूशन होगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि वेजबोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में मजबूर करने के लिये क्या सरकार कोई बिल लाने की सोच रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य टेहरी गढ़वाल मुझे क्षमा करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में एक नहीं अनेक प्राविधान हैं । वेज बोर्ड या किन्हीं भी सिफारिशों को लागू करने के लिये धारा ३ बनी हुई है । जहां तक भविष्य के लिये बिल लाने का प्रश्न है माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि नेशनल लेबर कमीशन इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहा है । इस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है । उसने एक लेबर कोर्ट भी बनाया है जिसमें जितने श्रम संबंधी कानून हैं जैसे कि इस प्रदेश में १०८ श्रम संबंधी कानून लागू हैं उनको मिलाकर एक कानून बनाया जाय और वेज बोर्ड या अन्य किन्हीं सिफारिशों को किस तरह से लागू किया जाय । उस कमीशन की रिपोर्ट आने पर सरकार उनको इस सदन में प्रस्तुत कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हड़ताल की लम्बी अवधि को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी आदेश देंगे कि लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य बाराबंकी की भावना से पूर्णतया सहमत हूं और इस बात की पूरी चष्टा करूंगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करगे कि प्रदेश में इस समय जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट लागू है उसमें ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से मिल मालिकों के ऊपर इस तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता कि वे तालाबन्दी को समाप्त कर सक तो क्या इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट में वह कोई परिवर्तन लाने की सोच रह हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने अभी स्पष्ट किया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट में जो कमियां हैं उन सब कमियों को दूर करने का विचार स्वयं नशनल लेबर कमीशन कर रहा है। इस सरकार ने अपनी ओर से इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट में एक प्राविधान सदन के सम्मुख रखने का विचार किया था लकिन नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है तो फिर हम एक संशोधन विधेयक लायें और उसके बाद फिर २, ४ महीने में दूसरा बिल लायें जो उसकी परिधि को छूता हो, इसलिये हमें केवल थोड़े दिनों के लिय इंतजार करना है और नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को देखत हुय पूरा अधिनियम सदन के समक्ष लाने का विचार है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को १०-३० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसक बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार ४ अगस्त, १९६९ के १०-३० बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्तल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१ अगस्त, १९६९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

३ व ४ जून, १९६९ को प्रदेशीय स्तर पर इलाहाबाद में हुई शिक्षा गोष्ठी की मुख्य-सिफारिशें

१—पूर्ववत् जो सामान्य निधि एवं शिक्षा निधि प्रचलित थी, उसे पुनः लागू किया जाय तथा शिक्षा निधि पर जिला विद्यालय निरीक्षक का नियंत्रण हो ।

२—प्रत्येक प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक को अधिकतम ६० विद्यालय मैदान में तथा ४० विद्यालय पहाड़ी क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दिये जायं ।

३—प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक का मुख्यावास तहसील से हटाकर जिला स्तर पर किया जाय ।

४—जिला परिषद् शिक्षा नियम शीघ्र पारित किये जायं ।

५—प्रदेश के २० प्रतिशत विद्यालयों जिनमें वेतन समय से नहीं दिया जाता है उनके शिक्षा शुल्क का ८० प्रतिशत, विकास शुल्क का ५० प्रतिशत तथा संपूर्ण मंहगाई भत्ता शुल्क पृथक से एक कोष में जमा कराकर तथा उसे निरीक्षक क मद में प्लैज करके वेतन वितरण की व्यवस्था की जाय ।

६—समिति का मत है कि प्रशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा कर्णिकां के प्रांतीयकरण पर गम्भीरता से विचार करने के लिये निदेशालय में एक समिति बनाई जाय जिसके उप शिक्षा निदेशक (अर्थ) सचिव हों । यह समिति चयन की प्रणाली, वर्तमान प्रधानाचार्यों की खपत, स्थानान्तरण, ज्येष्ठता निर्धारण, प्रशासकीय व्यय तथा अन्य सभी सम्बद्ध कठिनाइयों एवं पहलुओं पर विस्तार से विचार करें ।

७—राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्य, यू० पी० ई० एस० (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा) वेतन क्रम का होना चाहिये । एल० टी० कालेजों के प्रधानाध्यापकों का वेतन क्रम ३००—६०० होना चाहिये ।

८—बी० टी० सं० प्रशिक्षणार्थियों को रु० २० प्रति मास के स्थान पर रु० ४० छात्रवृत्ति दी जाय महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये यह राशि ५० रुपया प्रति मास होनी चाहिये ।

९—एल० टी० कक्षाओं के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ६० रु० छात्रवृत्ति दी जाय ।

१०—ग्रामीण क्षेत्रों के नार्मल स्कूलों के अध्यापकों के लिये निःशुल्क आवास गृह की व्यवस्था की जाय ।

११—निदेशालय में अधिशासी अभियन्ता के अधीन सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक एकायी का गठन हो । निर्माण कार्य में गति लाने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क रखें ।

१२—विज्ञान के प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य के लिये ११६ लाख रु० के अनुदान की योजना को शासन स्वीकार कर ।

१३—सी०टी० वेतन-क्रम के अध्यापकों एवं रोटीन लिपिकों के संबंध में जो अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये गये हैं उन्हें पुनः मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को दे दिये जायं ।

१४—आडिट आपत्तियों पर आख्या महालेखाकार एवं शासन को सीधे प्रेषित करने का अधिकार मंडलीय अधिकारियों को द दिया जाय ।

१५—शिक्षा विभाग क अधिकारियों को भी सरकारी जीपों का सरकारी काम से लिये स्थानीय प्रयोग की सुविधा शासन द्वारा प्रदान की जानी चाहिये ।

१६—उप निरीक्षकाओं तथा उप विद्यालय निरीक्षकों को जीप प्रदान करने का प्राविधान किया जाना चाहिये ।

१७—अधिकारियों से आवास खाली करने को न कहा जाय जब तक शासन उपयुक्त आवास बनवा न दे या किराये का उपर्युक्त आवास जिलाधिकारी उपलब्ध न करा दें ।

अमर उजाला प्रकाशन

बी० एस० यू० पी०—ए० पी०—५८ एल० ए०—१९६९—८७० ।